इग्नू
जन जन का
विश्वविद्यालय
इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

# MEC-106
# लोक अर्थशास्त्र


## खंड 1 लोक अर्थशास्त्र : मूल संकल्पनाएँ

इकाई 1
आर्थिक नीतियों के क्षेम अर्थशास्त्रिक आधार 5

इकाई 2
बाज़ार विफलता और राजकीय विफलता 23

इकाई 3
समता और न्याय 43

## खंड 2 सार्वजनिक वस्तु और बाह्यताएँ

इकाई 4
सार्वजनिक वस्तु सिद्धांत 61

इकाई 5
बाह्यताएँ और समाधान 77

इकाई 6
स्थानीय एवं वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ 95

## खंड 3 सामूहिक निर्णय प्रक्रिया

इकाई 7
सामाजिक चयन का सिद्धांत 117

इकाई 8
सार्वजनिक चयन का सिद्धांत 132

इकाई 9
क्रियाविधि अभिकल्प 150

## खंड 4 लोक राजस्व का अर्थशास्त्र

इकाई 10
प्रत्यक्ष और परोक्ष कराधान 167

इकाई 11
इष्टतम कराधान 184

इकाई 12
गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ 199


ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

## विशेषज्ञ समिति

प्रो. पुलिन नायक
दिल्ली स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स (सेवानिवृत्त)
नई दिल्ली

प्रो. अतुल शर्मा
मानव विकास संस्थान
नई दिल्ली

प्रो. डी.के. श्रीवास्तव
भूतपूर्व निर्देशक, एन.आई.पी.एफ.पी.
नई दिल्ली

प्रो. पी.के. चौबे
प्रोफेसर, आई.आई.पी.ए. (सेवानिवृत्त)
नई दिल्ली

प्रो. सोमेन चट्टोपाध्याय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

प्रो. गोपीनाथ प्रधान
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. कौस्तुव बारिक
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

श्री. सौगातो सेन
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. बी.एस. प्रकाश **(संयोजक)**
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

## पाठ्यक्रम संयोजन

प्रो. बी. एस. प्रकाश, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

## खंड निर्माण दल

| इकाई सं. | इकाई लेखक |
|---|---|
| 1. | प्रो. अजिताव राय चौधरी, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता |
| 2. | प्रो. प्रणब बैनर्जी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली |
| 3. | प्रो. एस.एस. रथ, संबलपुर विश्वविद्यालय |
| 4. | प्रो. पी.के. चौबे, प्रोफेसर, आई.आई.पी.ए.(सेवानिवृत्त), नई दिल्ली |
| 5. | प्रो. पी.के. चौबे, प्रोफेसर, आई.आई.पी.ए.(सेवानिवृत्त), नई दिल्ली |
| 6. | प्रो. एस.एस. रथ, संबलपुर विश्वविद्यालय |
| 7. | प्रो. पी.के. चौबे, प्रोफेसर, आई.आई.पी.ए.(सेवानिवृत्त), नई दिल्ली |
| 8. | डॉ. पॉलोमी राय, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता |
| 9. | प्रो. प्रणब बनर्जी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली |
| 10. | प्रो. कविता राव, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली |
| 11. | डॉ. मनोज पांडे, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, केनबरा |
| 12. | प्रो. पी.के. चौबे, प्रोफेसर, आई.आई.पी.ए.(सेवानिवृत्त), नई दिल्ली |

इग्नू संकाय सदस्य (विन्यास, भाषा एवं विषय-वस्तु) (इकाई 1 से 12): **प्रो. बी. एस. प्रकाश, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली**

संपादक (विषय-वस्तु) (इकाई 1 से 12): **श्री बी.एस. बागला, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली**

**हिंदी अनुवाद (इकाई 1 से 12)**: श्री कुमुद कुमार, नई दिल्ली

**अनुवाद परिशोधन** : श्री बी.एस. बागला, नई दिल्ली

## मुद्रण प्रस्तुति

श्री तिलकराज
सहायक कुलसचिव (प्र.)
इग्नू, नई दिल्ली

श्री यशपाल
अनुभाग अधिकारी (प्र.)
इग्नू, नई दिल्ली

जनवरी, 2020
*© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2020*
ISBN :
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफी (चक्र मुद्रण) द्वारा अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
*इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी नई दिल्ली–110068 से अथवा इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।*
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, एमपीडीडी द्वारा मुद्रित और प्रकाशित।
लेजर टाइप सैट– ग्राफिक प्रिंटर्स, 204, पंकज टॉवर, मयूर विहार फेस 1, दिल्ली – 110091
मुद्रण –

# पाठ्यक्रम परिचय

इस पाठ्यक्रम का ध्येय पाठक को नीति विमर्श के एक विशेष क्षेत्र 'लोक अर्थशास्त्र में आर्थिक संकल्पनाओं और सिद्धांतों' के अनुप्रयोगों से परिचित कराना है। आप जानते ही हैं कि सरकार जनता से कर एकत्र कर उस राशि को वृहत्तर जनहित के कार्यों पर खर्च करती है। सरकार उन वस्तुओं-सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से यह कार्य करती है जिनके सामाजिक हितलाभ निजी हितलाभों से कहीं विशाल होते हैं। अतः सरकार द्वारा किए गए व्यय का एक प्रबल क्षेम शास्त्रिक आधार होता है। इस प्रबल तर्कशास्त्र के बावजूद बाज़ार की विफलताएं सरकार के प्रयासों की प्रभावोत्पादकता को क्षीण कर सकती हैं। साथ ही कतिपय परिस्थितियों में सरकार स्वयं भी विफल रह सकती है। ये दोनों विफलताएँ मिलकर न्याय एवं समता के क्षेम शास्त्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव बना सकती हैं। इन विषयों से संबंधित प्रश्नों पर पाठ्यक्रम के प्रथम खंड – अर्थात् इकाई 1–3 में चर्चा की गई है।

सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली चीज़ें सार्वजनिक पदार्थ या विशेष गुण पदार्थ अथवा विशुद्ध सेवाएँ ही होती हैं। इन वस्तुओं और सेवाओं के मामले में बाज़ार तंत्र दक्षतापूर्वक काम नहीं कर पाता। सार्वजनिक पदार्थों को आगे स्थानीय और वैश्विक वर्गों में भी बांटा जाता है। साथ ही समाज को प्रायः सकारात्मक एवं नकारात्मक बाह्यताओं का भी सामना करना पड़ता है। सरकार को सकारात्मक बाह्यताओं के प्रभाव का लाभ उठाने और नकारात्मक का निराकरण करने के लिए अलग-अलग उपस्करों का प्रयोग करना पड़ता है। इन आयामों से संबद्ध प्रश्नों पर खंड 2 की इकाइयों, 4 से 6, में विचार किया गया है।

समाज के सदस्यों की वरीयताएँ अलग-अलग होती हैं। सरकार को यह निश्चित करना होता है कि ऐसी स्थिति में सामूहिक या सामाजिक पसंद क्या है। अतः वैयक्तिक चयनों को सामाजिक चयन में निबद्ध करने की विधियाँ होनी चाहिए और इस प्रकार निर्धारित चयनों को सकल सामाजिक क्षेम संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतियां बनाकर क्रियान्वित भी किया जाना चाहिए। इन्हीं मुद्दों से जुड़ी बातें हमारे तीसरे खंड की तीन इकाइयों (7 से 9) की विषय वस्तु हैं।

क्षेम सुनिश्चित करते समय गरीबों पर करों के भार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कर इस प्रकार लगाने चाहिए कि इनके समाज के विभिन्न वर्गों की आय क्षमता और भुगतान क्षमता पर प्रभाव हो। यहां हमें 'करों की अभीष्टता' को समझना होगा। साथ ही, सरकार के कुछ गैर-कर राजस्व स्रोत भी होंगे। शीर्षस्थ सरकार के पास राजस्व को शेष प्रशासन स्तरों के साथ बंटाने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। इन मुद्दों से जुड़े विषयों पर खंड 4 की इकाइयों, 10 से 12, में चर्चा की गई है।

विश्वभर में सरकारें बजट में घाटे को पूरा करने के लिए ऋणों का सहारा लेती हैं। किंतु वह इस प्रकार होना चाहिए कि ऋण धारणीय रहें तथा दक्षता-समता के बीच समप्रत्ययन भी बना रहे। इन विषयों पर खंड 5 की इकाइयों, 13 से 15, में चर्चा हुई है।

दक्षतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने की प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण पिछले कुछ वर्षों से सरकार की भूमिका भी बदल रही है। अनेक ऐसी सेवाओं में विशाल पूँजी की आवश्यकता होती है (मैट्रो रेल परिवहन)। किंतु इनकी दीर्घकालिक सीमांत लागत वक्र नीचे की ओर ढलवां होती है। इससे सरकार की लागत उगाही वाली सेवा प्रदाता भूमिका में बदलाव आए हैं। साथ ही, निजी क्षेत्र की भूमिका के विस्तार के कारण अब सरकार का विनियामक स्वरूप निर्णायक रूप धारण कर रहा है। हमारे खंड 6 की दो इकाइयाँ, 16 और 17, सार्वजनिक क्षेत्र के अर्थशास्त्र और विनियमन सिद्धांतों की ही व्याख्या कर रही हैं।

सरकारों की संरचना और उनकी प्रभावी प्रशासन क्षमता में पिछले कुछ दशकों में बड़े परिवर्तन हुए हैं। यह प्रशासन कार्यों में निजी निगमों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बढ़ती हुई भागीदारी के कारण हुआ है। अब प्रशासन की संरचना राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों पर निर्भर हो रही है, क्योंकि अंतर-प्रशासन अंतरणों की आवश्यकता में निरंतर वृद्धि हो रही है। हमारे खंड 7 की तीन इकाइयों, 18 से 20, में इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा की गई है।

सार्वजनिक नीति में व्यापक परिवर्तनों के बीच स्थिरता सहित धारणीय संवृद्धि के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाए रखने की चुनौती पिछले कुछ दशकों से वैश्वीकृत विश्व में महत्त्वपूर्ण रूप धारण कर गई है। इसी ने अंतर्राष्ट्रीय नीति समन्वय को निर्णायक महत्त्व प्रदान कर दिया है। इन आयामों की व्याख्या का कार्य पाठ्यक्रम के अंतिम खंड 8 की तीन इकाइयों, 21 से 23, में किया गया है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

# खंड 1

# लोक अर्थशास्त्र : मूल संकल्पनाएँ

# खंड परिचय

पाठ्यक्रम का यह परिचयात्मक खंड (प्रथम खंड) **''लोक अर्थशास्त्र की मूल संकल्पनाओं''** से संबंधित है। इसमें तीन इकाइयां हैं। **इकाई-1 : आर्थिक नीतियों के क्षेम अर्थशास्त्रिक आधार** पर है। अर्थव्यवस्था की संस्थागत रचना– अर्थात् स्पर्धी बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था या निर्देश आधारित अर्थव्यवस्था – के अनुसार सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप भी भिन्न हो जाते हैं। सरकार द्वारा ध्यान में रखे गए क्षेत्र आयामों पर ही उसके कार्यों से अपेक्षित परिणाम आधारित होते हैं। इस पृष्ठभूमि में क्षेम अर्थशास्त्र की संकल्पनाओं, दक्षता तथा अभीष्टता पर इस इकाई में चर्चा की गई है। एकाधिकारी शक्ति, सार्वजनिक पदार्थों, बाह्यताओं और अपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में क्षेम कसौटियों के प्रयोगों पर खंड-1 की प्रथम इकाई में ही विचार किया गया है।

**इकाई 2 'बाज़ार विफलता और राजकीय विफलता'** के आयामों पर है। यह तो स्पष्ट ही है कि प्रथम इकाई में चर्चित संदर्भ विशेष सरकारी हस्तक्षेप नितांत अनिवार्य बना देते हैं, इस इकाई में हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं कि 'बाज़ार कब विफल' हो जाते हैं तथा सरकार इस विफलता का निराकरण करने के लिए क्या उपाय कर सकती है। इसी इकाई में, इन प्रश्नों पर भी चर्चा की गई है कि कब और कैसे सरकार भी विफल हो सकती है तथा ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए क्या उपाय/उपस्कर उपलब्ध होते हैं।

**इकाई 3 'समता और न्याय'** सामाजिक क्षेम को अधिकतम करने से 'सामाजिक न्याय' की संपूर्ति आवश्यक नहीं होती। इसीलिए इस इकाई में 'सामाजिक क्षेम' के साथ-साथ 'समता एवं न्याय' को भी सुनिश्चित करने के महत्त्व पर विचार किया गया है। संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास करते हुए अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने की विधियों पर यहां चर्चा हुई है। आर्थिक मूल तत्वों को और सशक्त स्वरूप प्रदान करने के लिए अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म स्तरीय सुधार करने की विधियों पर भी यहीं विचार किया गया है। सरकार के आदर्शमूलक सिद्धांतों और न्याय सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए हमने यहां सरकार की भूमिका को पुनःपरिभाषित किया है। यहीं ''व्यावहारिक लोक अर्थशास्त्र'' के कुछ तत्वों से भी आपको परिचित कराया जा रहा है।

# इकाई 1 आर्थिक नीतियों के क्षेम अर्थशास्त्रिक आधार

**संरचना**


1.0 उद्देश्य

1.1 विषय प्रवेश

1.2 लोक अर्थशास्त्र एवं क्षेम अर्थशास्त्र : अंतराफलक

1.3 क्षेम की संकल्पना

- 1.3.1 सामाजिक क्षेम फलन (SWF)
- 1.3.2 उपयोगितावादी सामाजिक क्षेम फलन
- 1.3.3 सिटोव्स्की-बर्गसन सामाजिक क्षेम फलन
- 1.3.4 रॉल्स का सामाजिक क्षेम फलन

1.4 दक्षता और पैरेटो इष्टतमता

1.5 उपयोगिता संभावना सीमांत

- 1.5.1 क्षतिपूर्ति सिद्धांत

1.6 लोक अर्थशास्त्र में क्षेम निकर्षों का अनुप्रयोग

- 1.6.1 एकाधिकार शक्ति
- 1.6.2 सार्वजनिक वस्तुएँ
- 1.6.3 बाह्यताएँ
- 1.6.4 अपूर्ण जानकारी

1.7 सार-संक्षेप

1.8 शब्दावली

1.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.10 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत


## 1.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद, आप इस योग्य होंगे कि :

- लोक अर्थशास्त्र के उद्देश्य और क्षेम-अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के उद्देश्य के बीच अंतराफलक की रूपरेखा बना सकें;
- विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्षेम फलनों में स्वाभाविक, क्षेम संकल्पनाओं पर चर्चा कर सकें, जो कि लोक अर्थशास्त्र में नीतियों का आधार बनती हैं;
- दर्शा सकें कि किसी प्रतिस्पर्धी बाज़ार में आर्थिक नीतियों के क्षेम विषयक आधार किस प्रकार पैरेटो निकर्ष द्वारा निर्देशित होते हैं;
- स्पष्ट कर सकें कि पुनर्वितरण द्वारा किस प्रकार कोई सामाजिक रूप से अधिक वांछित क्षेम-स्तर उपयोगिता संभावना सीमांत पर विचार कर प्राप्त किया जा सकता है;

- समाज में बेहतर क्षेम-स्तर हासिल करने के लिए पुनर्वितरण के तीन प्रतिपूर्ति सिद्धांत बता सकें; तथा
- उन विभिन्न प्रसंगों का वर्णन कर सकें जिनमें क्षेम निकर्ष लोक अर्थशास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं।

## 1.1 प्रस्तावना

कोई भी सामान्य अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा नीति हस्तक्षेप हेतु संभावनाएँ रहती हैं, हालाँकि उस अर्थव्यवस्था के सांस्थानिक संगठन पर निर्भर करते हुए, उनकी कोटि भिन्न-भिन्न हो सकती है। किसी भी प्रतिस्पर्धी बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्था पर अधिकांशतः वैयष्टिक निर्णयन अभिकरणों (जैसे परिवारों एवं प्रतिष्ठानों) की गतिविधियों का प्रभुत्व रहता है। दूसरी ओर, कोई भी कमान अर्थव्यवस्था प्रमुखतः सरकार के नीति-नियोजकों द्वारा संचालित होती है। उक्त दोनों ही प्रकारों में, सरकार की आवश्यकता उस समय समुचित नीति-हस्तक्षेप हेतु पड़ती है जब अर्थव्यवस्था वांछित रूप से न चल रही हो। अभिकर्ताओं द्वारा (किसी बाज़ार अथवा किसी कमान अर्थव्यवस्था में) चलाई जा रही गतिविधियों के वांछनीय परिणामों संबंधी यह मुद्दा अर्थव्यवस्था में लोगों को क्षेम संबंधी विचार की ओर प्रवृत्त करता है। बाज़ार अर्थव्यवस्था में बेहद सशक्त क्षेम-प्रमेय विद्यमान हैं जो उसके इष्टतम निष्पादन हेतु मानदण्ड प्रदान करते हैं। कमान अर्थव्यवस्था में भी, वैयष्टिक क्षेम की उपेक्षा नहीं की जा सकती, हालाँकि किसी व्यक्ति का क्षेम निर्धारित करने में सरकार की भूमिका किसी अर्थव्यवस्था के सापेक्ष कार्यक्षेत्र में कहीं अधिक सशक्त होती है। इस इकाई में, हम प्रमुखतः किसी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों के क्षेम शास्त्रिक आधारों पर एकाग्रता से विचार करेंगे।

## 1.2 लोक अर्थशास्त्र एवं क्षेम अर्थशास्त्र : अंतराफलक

लोक अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य होता है– अर्थव्यवस्था में विभिन्न अभिकर्ताओं के निर्णयन् क्षेत्र में विद्यमान किसी भी विकृति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा नीति-हस्तक्षेप किए जाने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करना। किसी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था का मुख्य अभिलक्षण होता है – ऐसे क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या में विद्यमानता जो पूर्णतः सूचना प्राप्त हों और उनके सम्मुख बाज़ारों में प्रवेश एवं निकास हेतु कोई व्यवधान अथवा लेन-देन लागतें न हों। ये बाज़ार वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए अथवा उत्पादन उपादानों के लिए हो सकते हैं और विकृतियाँ इन रूपों में दृष्टिगत हो सकती हैं – (i) विक्रेताओं अथवा क्रेताओं को एकाधिकार अथवा क्रेता-एकाधिकार; (ii) फर्मों अथवा परिवारों पर कर अथवा उनको अर्थसाहाय्य; (iii) सार्वजनिक वस्तुओं की विद्यमानता, जहाँ वैयक्तिक स्वामित्व अथवा उपभोग असंभव होता है; अथवा (iv) बाह्य मितव्ययताएँ या अपव्ययताएँ जो कि संबद्ध क्रियाकलापों में सीधे शामिल न होते हुए भी लोगों को प्रभावित करती हैं। ये सभी मामले ऐसे उदाहरण हैं जिनमें वैयक्तिक अभिकर्ता अपने इष्टतम क्षेम-स्तरों तक पहुँचने में विफल रहते हैं। इसके अलावा, यदि लोग अपना अनुकूलतम हासिल करने में सक्षम न हों तो यह अपेक्षा नहीं जाती है कि उस अर्थव्यवस्था का कुल क्षेम (जैसा कि किसी प्रकार के सामाजिक क्षेम फलन द्वारा निरूपित किया गया हो) भी अपना अनुकूलतम या सर्वश्रेष्ठ हासिल कर पाएगा।

उपर्युक्त रूपरेखा किसी सरकारी हस्तक्षेप में शामिल क्षेम संबंधी विषयों को उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है। इस प्रकार की किसी भी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी नीतिगत कदम नितांत उस अर्थव्यवस्था में वैयक्तिक अभिकर्ताओं की विकेंद्रीकृत कार्रवाइयों का परिणाम सुधारने पर अभिलक्षित होता है। यह इसी कारण अपने सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में लोक अर्थशास्त्र के सार भाग (अथवा सिद्धांत) का निर्माण करता है। यदि परिवार अपनी उपयोगिता अधिकतम करने के मुख्य उद्देश्य के साथ उपभोग करते हैं तो प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की प्रकार्यात्मकता में किसी भी

विकृति के कारण, उपभोक्ता वर्ग के पास अधिकतम के मुकाबले उपयोगिता का निम्नतर स्तर ही बचेगा। क्षेम, किसी भी अर्थ में परिभाषित किए जाने पर तब वैयक्तिक उपयोगिता स्तरों पर ही निर्भर करेगा। ऐसी दशाओं में, सरकार को परिणाम दुरुस्त करने हेतु उपयुक्त नीति-हस्तक्षेप अभिकल्प करने पड़ते हैं जो कि अर्थव्यवस्था को अपना अनुकूलतम हासिल करने की ओर अग्रसर करते हैं। तद्नुसार, क्षेम संबंधी विचार आमतौर पर आर्थिक नीतियों की रीढ़ और ख़ास तौर पर लोक-अर्थशास्त्रोन्मुखी निर्णयों को रूपामित करते हैं।

लोक अर्थशास्त्र में, तद्नुसार, क्षेम अर्थशास्त्र के साथ व्यापक अधित्यापन देखा जाता है। इन दोनों के बीच फिर भी इस अर्थ में एक स्पष्ट सीमांकन है कि क्षेम अर्थशास्त्र में अधिकांशतः क्षेम के समस्त स्तरों (हालाँकि वह वैयक्तिक उपयोगिता स्तरों के कुल योग के सिवा कुछ और नहीं होता) पर चर्चा की जाती है जबकि लोक अर्थशास्त्र में प्रतिनिधि वैयक्तिक क्रेता अथवा विक्रेता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है (क्योंकि किसी भी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था में, क्रेता वर्ग को विक्रेता वर्ग की भाँति ही तद्रूप माना जाएगा)। अतएव, लोक अर्थशास्त्र में, क्षेम को प्रायः उपभोक्ता के अधिशेष (उपयोगिता की दृष्टि से), उत्पादक के अधिशेष (लाभ की दृष्टि से) और सरकार के अधिशेष (निवल कर राजस्व की दृष्टि से) के कुल योग के रूप में मापा जाता है। तद्नुसार, क्षेम अर्थशास्त्र में प्रायः सामने आने वाली सामाजिक क्षेम अवधारणा से भिन्न, लोक अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार के अधिशेष को क्षेमवर्धक के रूप में देखा जाता है। यह संदर्श उन क्षेम संबंधी विचारों के अभिलक्षण दर्शाने के लिए अनिवार्य होता है जो लोक अर्थशास्त्र का आधार बनेंगे।

## 1.3 क्षेम की संकल्पना

अर्थ संबंधी साहित्य में सामाजिक क्षेम की परिभाषा एक 'व्यक्तिवादी' दृष्टिकोण पर आधारित है (ग्राफ़, 1975; ग्रीन, 1096)। इसका अर्थ है कि समाज का समग्र क्षेम अनिवार्यतः वैयक्तिक उपयोगिता स्तरों पर ही निर्भर करता है और इसी प्रकार वैयक्तिक उपयोगिता फलनों के अनेक गुणधर्मों का पालन करता है। परंतु किसी भी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियाँ एक बेहद सरल अवधारणा के साथ शुरू होती हैं कि लोग वस्तुओं एवं सेवाओं संबंधी अपने उपभोग से ही उपयोगिता प्राप्त करते हैं और अपने पड़ोसियों के उपभोग से प्रभावित नहीं होते। परिणामतः, सामाजिक क्षेम फलन अनेक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित 'सामाजिक संजाल' जैसे पहलुओं की उपेक्षा कर व्यक्ति-केंद्रित ही होता है। सामाजिक संजालों में, समूहों की कार्रवाइयाँ व्यक्ति की उपयोगिता को प्रभावित करती हैं (उदाहरणार्थ, स्वयं-सहायता समूह अथवा जनजातीय ग्राम संजाल)। अतः, लोक अर्थशास्त्र में प्रमुख अवधारणाएँ वैयक्तिक उपयोगिता स्तरों में मूलबद्ध क्षेम संकल्पनाओं से ही नियंत्रित होती हैं। इसलिए हम इस भाग में क्षेम अवधारणाओं पर ही ज़ोर देंगे, जो लोक अर्थशास्त्र में चर्चित आर्थिक नीतियों का मूल आधार बनती हैं।

### 1.3.1 सामाजिक क्षेम फलन (SWF)

मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में, व्यक्ति $m$ संख्या में हैं जो कि अपनी उपयोगिताएँ $n$ संख्या में उपभुक्त वस्तुओं की मात्रा से प्राप्त करते हैं। माना $i$वें व्यक्ति की उपयोगिता $u^i$ के रूप में परिभाषित की जाती है, जहाँ $i = a,b,c,....,m$। तब सामाजिक क्षेम फलन (SWF) को निम्नवत् दर्शाया जाता है–

$$W = W(u^a, u^b, ....., u^m) \qquad (1.1)$$

जहाँ $i$वें व्यक्ति ने अपनी उपयोगिता अर्थव्यवस्था में $n$ वस्तुओं के अपने निजी उपभोग से प्राप्त की है, जैसे कि $u^i = u^i(q_{i1}, q_{i2}, ....., q_{in})$ जहाँ $q_{ij} =$ $i$वें व्यक्ति द्वारा उपभुक्त $j$वीं वस्तु की मात्रा है, $j = 1, 2, ....., n$ वैयक्तिक उपयोगिता फलन उपभोक्ता

व्यवहार संबंधी नव-शास्त्रीय सिद्धांत में कल्पिक गुणधर्मों को संतुष्ट करते हैं। तथापि, इस प्रकार का सामाजिक क्षेम फलन इस प्रश्न को जन्म देता है कि व्यक्ति वर्ग को कितना महत्त्व दिया जाए? क्यों उन्हें एकसमान महत्त्व दिया जाए अथवा हर व्यक्ति का अलग महत्त्व हो? यदि वे भिन्न हों तो वैयक्तिक कीमत निर्धारण हेतु क्या मापदण्ड हों। अतिरिक्त मुद्दों में शामिल है कि क्या भावी पीढ़ियों का उपभोग भी किसी सामाजिक क्षेम फलन में शामिल किया जाए। सामाजिक क्षेम फलन पर अध्यारोपित एकमात्र गुणधर्म है– पैरेटो निकर्ष (जो कि इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेदो पैरेटो, 1929 द्वारा सुझाया गया)। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति की उपयोगिता किसी अन्य व्यक्ति की उपयोगिता में कोई परिवर्तन लाए बिना बढ़ती है तो सामाजिक क्षेम में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, यदि एक व्यक्ति की दशा सुधरती है और कोई भी अन्य दुष्प्रभावित नहीं होता है तो सामाजिक क्षेम में वृद्धि होती है। गणितीय रूप से –

$$\frac{\partial W}{\partial u^i} > 0 \text{ सभी } i = a, b, c, \ldots\ldots, m \text{ हेतु} \qquad (1.2)$$

किन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना करते हुए, हम सामाजिक क्षेम को किसी नियत स्तर पर रख सकते हैं और उन लोगों के बीच उपयोगिता को पुनर्वितरित कर सकते हैं ताकि सामाजिक क्षेम परिवर्तित न हो। समाज में यदि केवल दो व्यक्ति ही हों तो हम इन दो व्यक्तियों के उपयोगिता स्तरों के ऐसे विभिन्न संयोजनों का बिंदुपथ अंकित कर सकते हैं जो सामाजिक क्षेम का एक नियत स्तर प्रस्तुत करते हों। इस प्रकार के बिंदुपथ को **सामाजिक समभाव वक्र (SIC)** कहा जाता है। यदि व्यक्तियों के उपयोगिता फलन उत्तल आकृति के समभाव वक्रों को जन्म देते हों [ह्रासमान प्रतिस्थापन सीमांत दर (MRS) के कारण] तो SIC भी मूलबिंदु के प्रति उत्तल होगा (चित्र 1.1)। इस चित्र में मानक सामाजिक समभाव वक्र *a* एवं *b* के रूप में नामांकित दो व्यक्तियों के वैयक्तिक उपयोगिता स्तरों से व्युत्पन्न है। स्पष्टतः, पैरेटो निकर्ष से, B  A की तुलना में श्रेष्ठतर बिंदु है क्योंकि व्यक्ति *b* दूसरे व्यक्ति *a* को कोई हानि पहुँचाए बिना A की बजाय B बिंदु पर बेहतर स्थिति में होता है। साथ ही, बिंदु C को समाज द्वारा बिंदु A की तुलना में कहीं अधिक मान दिया जाता है क्योंकि C एक उच्चतर SIC पर अवस्थित है। तथापि, समाज स्थितियों C और B के बीच निर्पेक्ष भाव से रहता है।

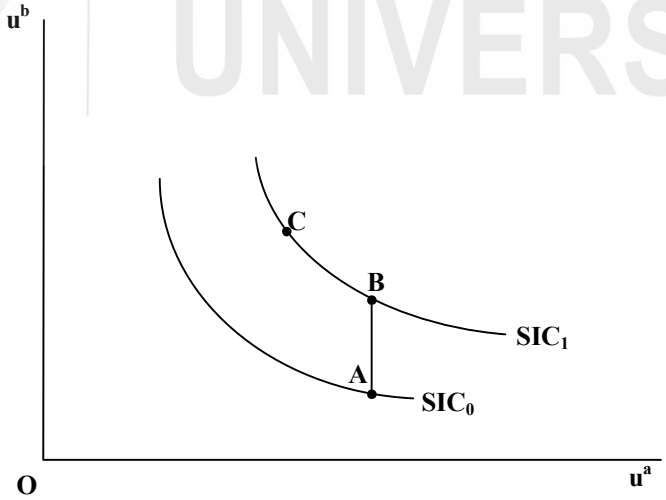


**चित्र 1.1 : एक पैरेटो SWF हेतु सामाजिक समभाव वक्र**

### 1.3.2 उपयोगितावादी सामाजिक क्षेम फलन

उपयोगितावादी सामाजिक क्षेम फलन (SWF) का एक वैकल्पिक प्रकार ज़ेरेमी बेंथम (1789) द्वारा सुझाया गया था। बेंथम द्वारा सुझाया गया SWF इस रूप में दर्शाया जाता है :

$$W = u^a + u^b + u^c + \ldots\ldots\ldots + u^m \qquad (1.3)$$

ऊपर दिया गया क्षेम फलन इस प्रकार संयोज्य है कि समाज व्यक्तियों की सम्पन्नता की अधिक परवाह नहीं करता। तद्नुसार, यदि कुछ उपयोगिता किसी विपन्न व्यक्ति से लेकर किसी धनाढ्य व्यक्ति को दे दी जाती है तो भी क्षेम स्तर यथावत् रहेगा। इसका अर्थ है कि उक्त व्यक्तियों के लाभ और हानि उनकी सम्पन्नता स्थितियों पर निर्भर नहीं करते हैं। अतः, यह क्षेम फलन सामाजिक क्षेम फलन की व्यक्तिवादी प्रकृति जैसी त्रुटि का निवारण नहीं कर पाता जो कि समीकरण (1.2) करता है। सामाजिक समभाव वक्रों की दृष्टि से, इस उदाहरण में SIC दो अक्षों के साथ $45^o$ प्रावण्य वाली एक ऋजु रेखा है। इसका कारण यह है कि समाज दो व्यक्तियों के बीच समान दर पर उपयोगिता का लेन-देन कर सकता है।

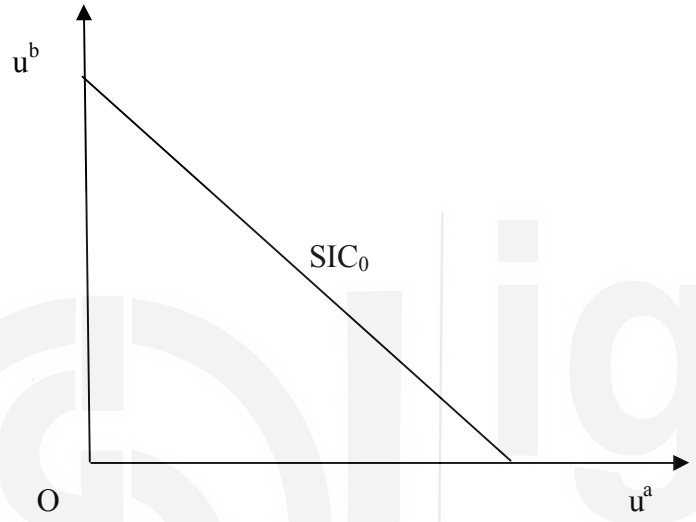


चित्र 1.2 : उपयोगितावादी सामाजिक समभाव वक्र

### 1.3.3 सिटोव्स्की–बर्गसन सामाजिक क्षेम फलन

सिटोव्स्की-बर्गसन (1941, 1038) ने एक प्रकार सामाजिक क्षेम वक्र (न कि सामाजिक क्षेम फलनों के किसी वर्ग) का सुझाव दिया जो कि समाज में व्यक्तियों के लिए लाभ और हानि की समानता की कल्पना किए बिना **पैरेटो निकर्ष** को संतुष्ट करता है। यह दर्शाता है कि यदि कोई विपन्न व्यक्ति उत्तरोत्तर उपयोगिता गँवाता रहता है तो धनाढ्य वर्ग को वर्धमान रूप से अधिक उपयोगिता प्राप्त करनी पड़ती है ताकि समाज पुनर्वितरण हेतु निर्पेक्ष रह सके। यह बात उपभाग 1.3.2 में विचार किए गए उपयोगितावादी SWF हेतु सिद्ध नहीं होती। बर्गसन का क्षेम फलन सिटोव्स्की के फलन की कुछ समस्याओं को दूर कर देता है (यथा, **बर्गसन** का सामाजिक क्षेम फलन एक ऐसा सीमांत क्षेत्र है जो सिटोव्स्की के सामुदायिक समभाव वक्रों को आवृत्त कर लेता है)। वैसे, मूल क्षेम फलन (बर्गसन अथवा सिटोव्स्की, किसी के लिए भी) समान प्रायः लगते हैं क्योंकि वे वैयक्तिक उपयोगिता स्तरों के फलन स्वरूप समस्त क्षेम को दर्शाते हैं। उस दृष्टि से, यह एक ही प्रकार के SWF के अंतर्गत उन्हें एकाकार कर देने के वर्तमान उद्देश्य हेतु यथेष्ट है। अर्थात्, समाज प्रत्येक वैयक्तिक सदस्य की सम्पन्नता स्थिति को ध्यान में रखता है। दूसरे शब्दों में, धनाढ्य वर्ग से विपन्न वर्ग को आय-हस्तांतरण अपेक्षाकृत विपन्न लोगों के लिए उपयोगिता मानों को कहीं अधिक बढ़ा देता है। इस प्रकार की स्थिति हेतु सामाजिक समभाव वक्र ऊपर चित्र 1.1 में दर्शाए गए वक्रों की भाँति ही होंगे।

### 1.3.4 रॉल्स का सामाजिक क्षेम फलन

सामाजिक क्षेम फलन के विषय में एक आत्यांतिक विचार जॉन रॉल्स (1971) द्वारा

प्रस्तुत किया गया। उसका विचार है कि समाज का क्षेम समाज में विपन्नतम व्यक्ति के क्षेम पर निर्भर करता है। तद्नुसार, यदि समाज में दरिद्रतम व्यक्ति को विपन्नतम व्यक्ति माना जाए तो सामाजिक क्षेम पूर्णतः इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आर्थिक नीतियाँ समाज में सम्पन्नतर लोगों के लाभ अथवा हानि पर ध्यान दिए बिना, उस व्यक्ति के क्षेम में वृद्धि करती हैं? दूसरे शब्दों में, यदि कुछ नीतियों के कारण सम्पन्नतर व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता हासिल कर रहे हों, और विपन्नतम व्यक्ति अछूता रह जाता हो तो भी समाज के क्षेम में वृद्धि नहीं होगी। सामाजिक समभाव वक्र की दृष्टि से, SICs L-आकृति के होंगे क्योंकि विपन्नतम व्यक्ति की उपयोगिता को $u_0^a$ पर तय करना सामाजिक क्षेम में शून्य वृद्धि की ओर प्रवृत्त करेगा, बेशक अन्य सम्पन्नतर लोगों के लिए उपयोगिता को कितना भी बढ़ाया गया हो।

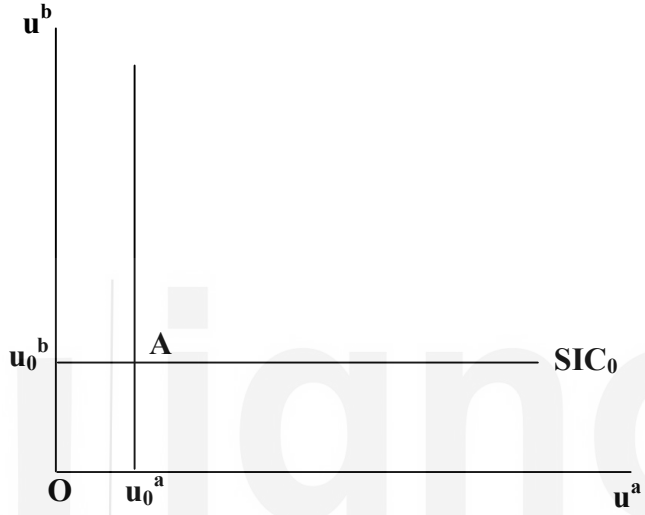


**चित्र 1.3 : रॉल्स का SWF और सामाजिक समभाव वक्र**

**बोध प्रश्न 1** (दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में लिखें।)

1) लोक अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सामाजिक क्षेम फलन को 'वैयक्तिक' क्यों कहा जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) उपयोगितावादी सामाजिक क्षेम फलन अपने वैयक्तिक केंद्रिक लक्षण से किस प्रकार व्यतिक्रम होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

4) रॉल्स का क्षेम फलन L-आकृति क्यों दर्शाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 1.4 दक्षता और पैरेटो इष्टतमता

किसी भी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों का क्षेम आधार पैरेटो निकर्ष द्वारा स्पष्टतः नियंत्रित है कि जो कि बताता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक दक्ष समाधान किसी पैरेटो इष्टतम स्थिति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह क्षेम अर्थशास्त्र के प्रथम प्रमेय की ओर इंगित करता है।

***क्षेम प्रमेय 1*** *: किसी ऐसी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था में जो व्यक्तियों के बीच मुक्त व्यापार की अनुमति देती हो, कोई भी परस्पर लाभदायक व्यापार संसाधनों (अथवा वस्तुओं) के दक्ष वितरण में परिणत होगा।*

उपर्युक्त प्रमेय के अनुसार, बाज़ार स्वयं लोगों को सर्वोत्तम संभव समाधान की ओर ले जाता है। जैसा कि हमने भाग 1.3 में देखा, यदि व्यक्ति वर्ग अपने अधिकतम उपयोगिता स्तरों तक पहुँच सकता है तो सामाजिक क्षेम भी उच्चतम सीमा तक बढ़ जाता है। क्षेम अर्थशास्त्र का प्रमेय सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता क्योंकि यह उन जटिलताओं की अवहेलना करती है जो लोगों को उपयोगिता अधिकतमीकरण के अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकती हों। यह प्रमेय दर्शाता है कि व्यक्ति के समक्ष 'बाह्य' प्रभाव न हों (यथा, मेरी उपयोगिता को प्रभावित करता पड़ोसी का उपभोग, अविभाज्य एवं संयुक्त रूप से उपभुक्त वस्तुओं का अभाव, एक क्रेता एवं प्रतिस्पर्धी बाज़ार शक्ति धारक विक्रेता की विद्यमानता की वजह से बाज़ार विफल न होता हो, आदि) तो अर्थव्यवस्था स्वतः सर्वाधिक दक्ष समाधान हासिल कर लेगी। इसको *ऐजवर्थ-बॉले बॉक्स* नामक एक तकनीक के पदों में दर्शाया जा सकता है (चित्र 1.4)।

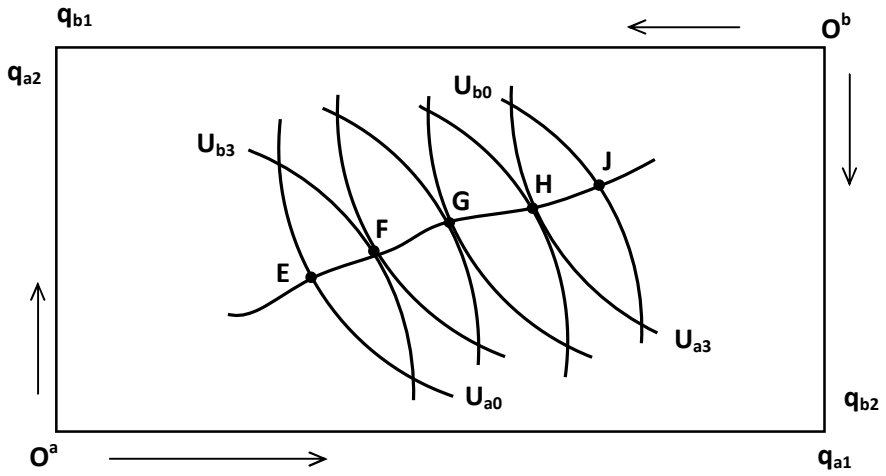


**चित्र 1.4 : ऐजवर्थ-बॉले बॉक्स**

चित्र 1.4 में दिया गया बॉक्स (जो कि ऐजवर्थ और बॉले के नाम पर है) दर्शाता है कि क्षेम प्रमेय-1 किसी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था में पैरेटो इष्टतम परिणाम की ओर अग्रसर करता है। इस बॉक्स में दो मूल बिंदु हैं– एक व्यक्ति *a* के लिए और दूसरा उत्तर-पूर्व कोने पर व्यक्ति *b* के लिए। अतः, यह मात्र 2 व्यक्तियों के वैयक्तिक निर्णयों पर एक 2-व्यक्ति और 2-वस्तु सरलीकृत सामाजिक क्षेम फलन है। इन दो व्यक्तियों के समभाव वक्र दो वस्तुओं संबंधी उनकी उपभुक्त मात्राओं पर आधारित हैं, जहाँ प्रथम वस्तु दोनों के लिए क्षैतिज अक्ष पर मापी गई है और दूसरी वस्तु भी दोनों के लिए ही शीर्ष अक्ष पर मापी गई है। मूल बिंदु (दोनों के लिए समरूप बनाया गया) से क्षैतिज और शीर्ष अक्षों की दूरी उक्त दो वस्तुओं के प्रदत्त परिमाण दर्शाता है। आप देखेंगे कि, चूँकि हम यहाँ उत्पादन की अवहेलना करते हैं, उपभोक्ता व्यवहार को बेहतर समझने के लिए हमें दो वस्तुओं के प्रारंभिक परिमाणों की बात करनी पड़ती है। ये दो उपयोगिता स्तर $U_{a0}$ और $U_{b0}$ *निर्वाह स्तर* समभाव वक्रों की भाँति हैं जिनके नीचे उक्त व्यक्ति उपयोगिता का कोई भी स्तर नहीं चुनेंगे।

उक्त व्यक्तियों के बीच मुक्त व्यापार का महत्त्व समझने के लिए, आइए, मान लें कि आरंभिक समाधान बिंदु L पर है, जो कि व्यक्ति *a* को पुष्टि स्तर पर दर्शाता है। समाज के लिए यह एक सुधार ही कहलाएगा कि वह वर्तमान कीमतों पर व्यापार होने दें ताकि उक्त व्यक्ति बिंदु F पर आ जाएँ। इससे पैरेटो निकर्ष संतुष्ट होता है क्योंकि व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है जबकि व्यक्ति *b* को हानि नहीं होती है (यथा, किसी भी प्रकार नुकसान में नहीं रहता है)। तद्नुसार, क्षेम प्रमेय-1 के दृष्टिकोण से यह एक पैरेटो इष्टतम बिंदु है। वस्तुतः, उक्त से व्यक्तियों के समभाव वक्रों के सभी स्पर्श बिंदु पैरेटो निकर्ष को संतुष्ट करते हैं और यह स्पर्श बिंदुओं से बाहर के किसी भी बिंदु की अपेक्षा सुधार ही कहलाएगा। उक्त दो व्यक्तियों के निर्वाह स्तरों के भीतर इन स्पर्शता बिंदुओं का बिंदुपथ (यथा, FGH) **संविदा वक्र** कहलाता है। यह वक्र दर्शाता है कि दो वस्तुओं के उपलब्ध परिमाणों हेतु उक्त व्यक्तियों का इष्टतम व्यापार सदैव इस बिंदुपथ पर ही होना चाहिए। ये व्यक्ति इस वक्र से कदापि विचलित न होंगे क्योंकि यहाँ सभी बिंदु पैरेटो इष्टतम हैं। सामान्यतया, संविदा वक्र पर अवस्थित बिंदु इस समानता को संतुष्ट करते हैं कि $MRS_{a,12} = MRS_{b,12}$ यथा, वे प्रचलित कीमत अनुपात के बराबर ही होने चाहिए।

पैरेटो इष्टतमता दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था हेतु सर्वाधिक दक्ष समाधान वहाँ होता है जहाँ सभी व्यक्तियों कि लिए समान रूप से उत्तम परिणाम की स्थिति होती है। इससे यह भी प्रकट होता है आर्थिक नीतियाँ कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभातीं क्योंकि बाज़ार स्वयं अर्थव्यवस्था को अनुकूलम दशा की ओर अभिप्रेरित करता है। समस्या, तब शुरू होती है जब कोई यह जानने में रुचि रखता हो कि संविदा वक्र पर संयोजनों में से कौन-सा बिंदु अभीष्टतम होगा? [ध्यान रहे कि पैरेटो दक्ष बिंदुओं की संख्या तो अनन्त है]। इससे समाज में *समानता* का प्रश्न उठता है जो कि समाज में व्यक्तियों की सापेक्षिक स्थिति पर अतिरिक्त मान निर्णय अध्यारोपित कर देता है। इससे क्षेम प्रेमय-2 भी प्रकाश में आता है जो कि अर्थव्यवस्था में अनेक इष्टतम व्यावहारिक दशाओं में से सर्वश्रेष्ठ को संभव बनाने के लिए आर्थिक नीतियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करती है। इस विषय में और अधिक जानने के लिए हमें सर्वप्रथम उपयोगिता संभावना सीमा (UPF) की संकल्पना को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

## 1.5 उपयोगिता संभावना सीमा

चित्र 1.4 में संविदा वक्र *पैरेटो इष्टतमता* निकर्ष का पालन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं का दक्ष आवंटन दर्शाता है। संविदा वक्र से बाहर कोई भी बिंदु एक उप-इष्टतम वितरण होगा, हालाँकि हम नहीं कह सकते कि संविदा बिंदुपथ पर कौन-सा बिंदु अन्य बिंदुओं की अपेक्षा अधिक वांछनीय है। इसको समझाने के लिए, हमें उपयोगिता संभावना सीमा (UPF) की संकल्पना का प्रयोग करना पड़ेगा। यह (UPF)

'संविदा बिंदुपथ' पर अवस्थित $U_a$ और $U_b$ के सभी संभव इष्टतम संयोजनों का बिंदुपथ होता है। चूँकि वस्तुओं के कुल परिमाण ज्ञात हैं, एक व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि किसी अन्य व्यक्ति की उपयोगिता की कीमत पर ही हो सकती है। हम सर्वप्रथम चित्र 1.5 में एक ऐसा ही UPF खींचते हैं। बिंदु A (जो कि सीमांत क्षेत्र के भीतर है) से कोई भी क्रिया बिंदु A के उत्तर-पूर्व वृत्तपाद में किसी भी बिंदु की ओर, पैरेटो की दृष्टि से क्षेम सुधार कहलाएगी। अतः, बिंदु B, C और D सभी A की अपेक्षा सुधार हैं क्योंकि वे *पैरेटो निकर्ष* पर खरे उतरते हैं (यथा, क्योंकि किसी व्यक्ति का क्षेम किसी अन्य व्यक्ति के क्षेम का ह्रास किए बिना बढ़ता है)। परंतु इन बिंदुओं B, D और C में से कौन-सा बिंदु समाज के लिए सर्वाधिक वांछनीय बिंदु है, यह स्पष्ट है क्योंकि व्यक्ति बिंदु B से बिंदु C की ओर गमन करता है (जहाँ व्यक्ति *a* की उपयोगिता घटती है परंतु *b* की उपयोगिता बढ़ती है)। सामान्यतया, UPF मूलबिंदु पर नतोदर होता है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति व्यक्ति *a* से कुछ उपयोगिता ले लेता है तो हमें उस हानि की प्रतिपूर्ति किसी अन्य व्यक्ति *b* हेतु उपयोगिता की मात्रा बढ़ा कर करनी पड़ती है। यह बात क्षेम प्रमेय-2 के कथन से स्पष्ट होती है।

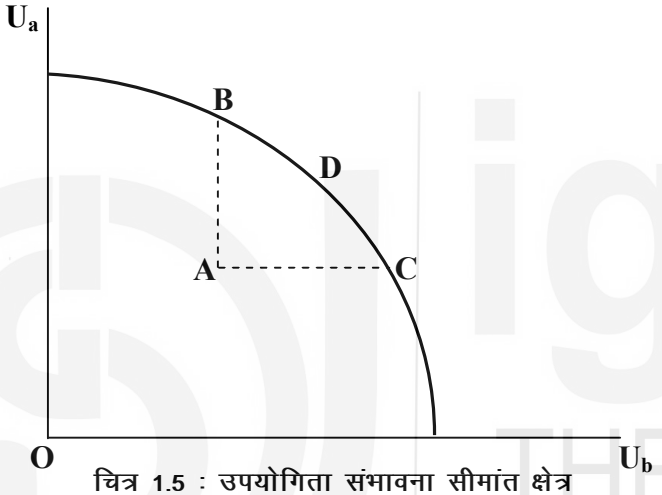


चित्र 1.5 : उपयोगिता संभावना सीमांत क्षेत्र

***क्षेम प्रमेय 2*** *: किसी भी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था में, यह ज्ञात होने पर कि व्यक्तियों के समभाव वक्र, उनके बीच वस्तुओं के किसी भी प्रारंभिक वितरण के लिए, मानक गुणधर्म संतुष्ट करते हैं, उपयोगिता संभावना सीमा पर कोई भी बिंदु एक संतुलन बिंदु होता है।*

उपर्युक्त प्रमेय का अर्थ है कि यदि विद्यमान संतुलन बिंदु वह नहीं है जो समाज के दृष्टिकोण से वांछनीय होता है, तो आय और परिणामतः वस्तुओं का कोई भी पुनर्वितरण किसी अन्य पैरेटो इष्टतम बिंदु पर एक कहीं अधिक वांछनीय परिणाम की ओर प्रवृत्त कर सकता है। तद्नुसार, यदि बिंदु C एक पैरेटो दक्ष संतुलन बिंदु हो, परंतु उस बिंदु पर व्यक्ति *b* व्यक्ति *a* की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगिता प्राप्त करता हो, और समाज *a* के लिए बड़ा हिस्सा चाहता हो क्योंकि *a* *b* के मुक़ाबले गरीब है, यहाँ नीति-हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी ताकि सम्पन्नतर व्यक्ति पर यथोचित कर लगाया जा सके और विपन्नतर व्यक्ति को अर्थसाहाय्य की आवश्यकता होगी ताकि आप का परिणामी पुनर्वितरण उपयोगिता के बेहतर वितरण के साथ एक नये पैरेटो इष्टतम संतुलन D की ओर प्रवृत्त करें। याद करें कि क्षेम प्रमेय-1 के अनुसार, प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था बिना किसी बाह्य नीति-हस्तक्षेप के पैरेटो इष्टतम दशा उत्पन्न कर सकती है। तथापि, सभी पैरेटो इष्टतम दशाएँ वांछनीय नहीं हो सकतीं क्योंकि अतिरिक्त मान निर्णय एक पैरेटो इष्टतम दशा को दूसरों के मुक़ाबले बेहतर दर्शा सकते हैं। इससे क्षेम प्रमेय-2 यह बताते हुए प्रकाश में आती है कि आय (अथवा वस्तुओं) के किसी भी आरंभिक वितरण से प्रारंभ कर, नीति-प्रेरित पुनर्वितरण समाज के किसी मान निर्णय पर आधारित वांछित पैरेटो इष्टतम दशा उत्पन्न कर सकता है।

### 1.5.1 क्षतिपूर्ति सिद्धांत

ऐसे उदाहरणों में जहाँ पुनर्वितरण सभी व्यक्तियों (अथवा समूहों) के क्षेम में वृद्धि करता है, कोई समस्या ही नहीं आती। किन्तु, यदि पुनर्वितरण कुछ व्यक्तियों के नुक़सान में परिणत होता हो तो इस प्रकार पुनर्वितरण के प्रति हानिभोगियों की ओर से विरोध हो सकता है। ऐसी दशाओं से निपटने के लिए कुछ क्षतिपूर्ति सिद्धांत सुझाए गए हैं ताकि लाभार्थी हानिभोगियों की प्रतिपूर्ति करें और फिर भी लाभ में रहें। तीन सुपरिचित क्षतिपूर्ति सिद्धांत निम्नवत् हैं (हैण्डरसन काण्ट, 1971; पृष्ठ 279–270)।

**कैल्डर निकर्ष** : *समाज द्वारा किसी वैकल्पिक आवंटन $\beta$ की तुलना में आवंटन $\alpha$ अधिक पसंद किया जाएगा यदि इस पुनर्वितरण से लाभार्थी हानिभोगियों की प्रतिपूर्ति कर सकते हों और फिर भी लाभ में रहते हों।*

**हिक्स निकर्ष** : *समाज द्वारा किसी वैकल्पिक आवंटन $\beta$ की तुलना में आवंटन $\alpha$ को अधिक पसंद किया जाएगा यदि हानिभोगी इस प्रकार का पुनर्वितरण न करने के लिए लाभार्थियों को लाभजनक रूप से उत्कोच (bribe) न दे सकते हों।*

**सिटोव्स्की निकर्ष** : *समाज द्वारा किसी वैकल्पिक आवंटन $\beta$ की तुलना में आवंटन $\alpha$ को अधिक पसंद किया जाएगा यदि लाभार्थी परिवर्तन करने के लिए हानिभोगियों की प्रतिपूर्ति कर सकते हों जबकि हानिभोगी इस परिवर्तन को न करने के लिए लाभार्थियों को लाभजनक रूप से रिश्वत न दे सकते हों। चूँकि यह कैल्डर और हिक्स दोनों के सिद्धांतों का संयोजन है, इसे सिटोव्स्की का दोहरा निकर्ष भी कहा जाता है।*

क्षतिपूर्ति सिद्धांतों की मुख्य समस्या यह है कि ये सभी प्रच्छन्न हैं, वास्तविक नहीं। तद्नुसार, यह नितांत संभव है कि लाभार्थी वास्तविकता में हानिभोगियों की प्रतिपूर्ति न करें अथवा हानिभोगी पुनर्वितरण का प्रयास निष्फल करने के लिए कोई प्रयास ही न करें, हालाँकि वे कर सकते हों।

**बोध प्रश्न 2** (दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में लिखें।)

1) संविदा वक्र को परिभाषित करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) उपयोगिता संभावना सीमा और संविदा वक्र किस प्रकार संबद्ध हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) द्वितीय क्षेम प्रमेय सरकार द्वारा नीति-हस्तक्षेप की गुंजाइश की किस प्रकार कल्पना करती है?

.....

.....

.....

.....

.....

4) क्षतिपूर्ति सिद्धांतों की सीमाएं क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

## 1.6 लोक अर्थशास्त्र में क्षेम निकर्षों का अनुप्रयोग

क्षेम एवं दक्षता विषयक ऊपर की गई चर्चा विभिन्न वास्तविक सांसारिक विषयों के प्रति प्रासंगिक है। वहाँ जिस बात पर बल दिया गया, वह है– वस्तुओं (एवं संसाधनों) के आवंटन हेतु सर्वाधिक दक्ष समाधान *पैरेटो इष्टतमता* की शर्त पूरी होने पर निर्भर करता है। अनेक संभव दशाओं के बीच किसी विशिष्ट पैरेटो इष्टतम दशा हेतु अधिमान होने की स्थिति में, हमें किसी *क्षतिपूर्ति* सिद्धांत को प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। आइए, अब विशिष्ट आर्थिक प्रसंगों में इन सिद्धांतों के कुछ अनुप्रयोग देखें।

### 1.6.1 एकाधिकार शक्ति

क्षेम अधिकतमीकरण एक प्रतिस्पर्धा बाज़ार अर्थव्यवस्था की कल्पना करके चलता है। प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का मूल आधार बहुसंख्य क्रेताओं एवं विक्रेताओं की विद्यमानता पर निर्भर करता है। यदि इस शर्त की अवहेलना होती है तो बाज़ार में विक्रेता अथवा क्रेता की ओर से संघर्ष देखा जाता है। इससे ऐज़वर्थ-बॉले बॉक्स में समस्या उत्पन्न होती है। यद्यपि यह आरेख उत्पादन पक्ष को छोड़ देता है, हम क्रेता अथवा विक्रेता की ओर से एकाधिकार शक्ति की गंध महसूस कर सकते हैं।

मान लीजिए, ऐज़वर्थ बॉक्स रेखांकित करते समय कल्पिक दो वस्तुओं की प्रदत्त मात्रा के स्थान पर, बॉक्स का आकार उक्त दो वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन द्वारा दर्शाया जाता है। इससे प्रस्तुत कोणांक में किंचित् ही परिवर्तन आता है, परंतु बाज़ार प्राधार के प्रकार पर निर्भर करते हुए इससे बॉक्स का आकार अवश्य प्रभावित होगा। माना कि वस्तु-1 का उत्पन्न किसी एकाधिकारवादी द्वारा नियंत्रित किया जाता है परंतु दूसरी वस्तु प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं द्वारा उत्पादित की जाती है। तब मानक नव-शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, प्रथम विक्रेता ऐसी कीमत वसूलेगा जो सदृश प्रतिस्पर्धी कीमतों से अधिक होगी और उत्पादित मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी। परिणामतः, उपभोक्ता वर्ग के समक्ष ऐसी कीमतें होंगी जो प्रतिस्पर्धी नहीं होंगी और इस कारण उपभोक्ता संविदा वक्र के एक छोर से दूसरे छोर तक गमन करने में सक्षम न होकर उससे बाहर ही रहेंगे। फलस्वरूप, अदक्ष परिणाम सामने आएगा और उपभोक्ता वर्ग को प्रतिस्पर्धी बाज़ार समाधान की तुलना में कुछ उपयोगिता हानि भोगनी पड़ेगी।

सरकार द्वारा नीति-हस्तक्षेप उक्त समस्या को काफ़ी हद तक हल कर सकता है। यदि एकाधिकार एक 'नैसर्गिक एकाधिकार' हो, चूँकि उसके उत्पादन से उत्तरोत्तर आकस्मिक लाभ (अथवा केवल आकस्मिक मितव्ययता) होता है, जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी ही कम उसकी प्रति इकाई उत्पादन लागत होगी। परिणामतः, उत्पादनकर्ता अपनी

क़ीमतों में कटौती कर प्रतिस्पर्धियों को सरलता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। ऐसी स्थिति जल आपूर्ति अथवा बिजली आपूर्ति जैसी जनोपयोगी सेवाओं के लिए उत्पन्न हो सकती है। तद्नुसार, यह कोई विसामान्य बात नहीं है कि इन जनोपयोगी सेवाओं को कानूनन सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन्हें 'जन सुविधाएँ' कहा जाता है।

दूसरी ओर, एकाधिकार पेटेंट अधिकार जैसे अन्य कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसे मामलों में, सरकार कीमत नियामक निकाय गठित कर सकती है जो कि इन वस्तुओं की कीमत-निर्धारण का निरीक्षण करे। कुछ मामलों में, एकाधिकार के स्थान पर, कुछ उत्पादनकर्ताओं द्वारा उत्पादन संघ (जैसे, तेल उत्पादकों के लिए 'ओपेक') बनाया जा सकता है। इस स्थिति में भी, कीमतें प्रतिस्पर्धी कीमतों से अधिक होंगी और उपभोक्ता संविदा बिंदुपथ से बाहर ही होंगे। यहाँ भी, सरकार उपभोक्ताओं को अर्थसाहाय्य दे सकती है ताकि वे एक ऐसी कीमत चुकाएँ जो प्रतिस्पर्धी कीमत के निकटतम आती हो। इससे उपभोक्ता वापस संविदा वक्र पर आ जाएँगे।

एक इसी प्रकार की स्थिति क्रेता पक्ष पर भी उत्पन्न होती है। इसका एक सामान्य उदाहरण है– श्रमिक बाज़ार में नियोक्ताओं का संघ। उदाहरण के लिए, यदि 5–G टेलीफोन हैण्डसेट जैसे किसी 'विशिष्ट' वस्तु के मामले में, केवल दो ही उत्पादक उत्पादन करते हैं और प्रचुर संख्या में कर्मचारी अपनी सेवाएँ देने को तैयार हैं, तब ये दो उत्पादक वेतनमान अधिदिष्ट कर सकते हैं। इस स्थिति में भी श्रम का कीमत प्रतिस्पर्धी वेतनमानों की अपेक्षा काफ़ी कम रहता है और श्रमिकों को अपनी उपयोगिता श्रम सेवाओं के क्रेताओं के पक्ष में हार जानी पड़ती है। ऐसे मामलों में सरकार कानूनी रूप से न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसे मामले भी आते हैं जब श्रम बाज़ार असंगठित हो जिससे क्रेतावर्ग व्यापक सौदाकारी शक्ति अर्जित कर लेता है। यहाँ भी, न्यूनतम वेतन कानून बाज़ार में दक्ष समाधान लाने के लिए एक उत्तम नीति-हस्तक्षेप सिद्ध हो सकते हैं।

### 1.6.2 सार्वजनिक वस्तुएँ

विशुद्ध या अमिश्रित सार्वजनिक वस्तुएँ वे हैं जिनके प्रयोग से किसी को भी अपवर्जित नहीं किया जा सकता और उनके एक बार उपभोगार्थ उपलब्ध हो जाने पर उन्हें संयुक्त रूप से ही उपभोग किया जाना होता है। ऐसी स्थिति में, चूँकि वस्तु को निजी स्वामित्व में नहीं रखा जा सकता है, प्रतिस्पर्धी बाज़ार काम नहीं कर पाता। तद्नुसार, ऐजवर्थ-बॉले आरेख कोई सही समाधान नहीं दर्शाता। मुख्य समस्या यह है कि लोग यह नहीं बताएँगे कि उस वस्तु का उपभोग करने के लिए वे कितना दाम चुकाने को तैयार हैं क्योंकि उसका उपभोग) किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जा सकता। परिणामतः, हम किसी निजी एवं सार्वजनिक वस्तु के बीच स्थानापत्ति की सीमांत दर को उनके कीमत अनुपात के बराबर नहीं मान सकते क्योंकि हर व्यक्ति मुफ़्त सवारी करने का प्रयास करेगा (क्योंकि व्यक्ति द्वारा कुछ भी न चुकाए जाने पर भी वस्तु के उपभोग से किसी को भी अपवर्जित नहीं किया जा सकता)। इस संदर्भ में प्रकाश-स्तंभ या लाइट-हाउस एक सामान्य उदाहरण है। इसी प्रकार का उदाहरण रक्षा बल है जिसकी सेवा किसी राष्ट्र के सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से उपभोग की जाती है। किसी बाज़ार-निर्धारित कीमत के अभाव में, संविदा वक्र अथवा उपयोगिता संभावना सीमा पर इष्टतम बिंदु क्षेम-आधारित पैरेटो इष्टतम निकर्ष को व्यर्थ मानकर निर्धारित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, सरकार को ध्यानपूर्वक एक ऐसी कर व्यवस्था लागू करनी होती है जो सार्वजनिक वस्तु की दिशा में लोगों के वास्तविक अधिमान प्रतिबिंबित करे। यहाँ कर कीमत की भाँति ही काम करेंगे परंतु उचित कर दर का निर्धारण (ताकि लोग अपनी उपयोगिता अधिकतम कर सकें) कठिन होता है।

### 1.6.3 बाह्यताएँ

बाह्यताएँ समाज में सामान्यतया विद्यमान होती हैं परंतु उन्हें नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। सकारात्मक बाह्यता उपभोक्ताओं अथवा उत्पादकों के पक्ष में एक कार्रवाई है, जिसके द्वारा एक ही कार्रवाई उसके पड़ोस में रहने वाले अन्य सभी की उपयोगिता बढ़ा देती है। किसी व्यक्ति के घर के पिछवाड़े में बाग़ समीर एवं सुगंध के माध्यम से भी पड़ोसियों की उपयोगिता बढ़ा सकता है। इसी प्रकार, यदि अधिक स्कूल किसी समाज में औसत ज्ञान में वृद्धि करते हैं तो इससे न केवल स्कूली बच्चों को मदद मिलेगी बल्कि समग्र समाज लाभान्वित होगा। नकारात्मक बाह्यता के बारे में, हम सघन रूप से बसे पड़ोस में घरेलू उद्यमों की विद्यमानता का उदाहरण दे सकते हैं, जिससे शोर और वायु प्रदूषण वहाँ रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

उक्त दोनों ही प्रकार की बाह्यताएँ दर्शाती हैं कि किसी एक व्यक्ति की कार्रवाई न सिर्फ़ उसकी उपयोगिता को, बल्कि कई अन्य लोगों की उपयोगिता को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार, एक व्यक्ति के समभाव वक्र किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे वक्रों में संचलन से स्वतंत्र नहीं होते। परिणामतः, वह समस्त कार्यतंत्र जिससे इष्टतम क्षेम निर्धारित किया जाता है, अनिश्चित हो जाता है। चूँकि अनेक उदाहरणों में ऐसी बाह्यताएँ उत्पन्न करने वाले लोग (या फर्में) अपनी निजी लागतों और लाभों के विषय में सोचते हैं (जिसके परिणामस्वरूप, ऐसी बाह्यताएँ लाने वाली वस्तुएँ एवं सेवाएँ बहुधा या तो अत्यापूर्तित होती हैं या फिर अल्पापूर्तित), निजी एवं सामाजिक लाभों (एवं लागतों) के बीच काफ़ी अंतर मिलेगा। इसीलिए कर एवं अर्थसाहाय्यों के माध्यम से सरकार द्वारा नीति-हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है (यथा, नकारात्मक बाह्यता उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर कर लगाना और सकारात्मक बाह्यता उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना)।

### 1.6.4 अपूर्ण जानकारी

प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक शर्तों में एक है– क्रेताओं एवं विक्रेताओं दोनों की पूर्ण जानकारी होना। यदि इनमें से कोई एक भी अपूर्ण जानकारी रखता होगा तो आपूर्तित वस्तुओं की मात्रा वांछित मात्रा से कम हो सकती है अथवा हो सकता है कि क्रेता को वस्तु की उत्तम गुणवत्ता मिले ही नहीं। अब तक हमारी चर्चा के विषय रहे क्षेम निकर्ष यह मानकर चलते हैं कि उपभोक्ताओं को उपयोगिता उत्पाद की पूर्ण जानकारी वाली वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होती है जिससे वस्तुओं का कीमत का निर्धारण अपने प्रतिस्पर्धी इष्टतम से विचलित नहीं होता, न ही वस्तु की गुणवत्ता वस्तुओं के उपभोग से वांछित उपयोगिता की अपेक्षा निम्नतर स्तर की ओर अग्रसर करती है। ऐसे मामलों में, सरकार को प्रक्रिया सुधार के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। एक उदाहरण : सरकारी अभिकरणों द्वारा औष्याधि नियंत्रण है (जो कि अनेक देशों में प्रचलित है)। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी औषधियों के प्रवेश के साथ-साथ उनकी प्रभावोत्पादकता का भी पर्यवेक्षण करता है और शेष जगत् के लिए भी मानक निर्धारित कर देता है। एक अन्य उदाहरण, किसी देश के मौसम विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना है जो विक्रेताओं एवं क्रेताओं की अन्य तरीकों से मदद करती है। इसी प्रकार, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) जैसे किसी अभिकरण को ग्राहकों को सही प्रकार के बीमा उत्पाद सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी दी जाती है क्योंकि बीमा बाज़ार हमेशा अपूर्ण जानकारी ही देता है। अनेक उदाहरणों में विक्रेता वर्ग बीमा की न्यूनापूर्ति करता है जो कि वस्तुओं के कीमत-निर्धारण को विकृत करता है, जिससे उपभोक्ता वर्ग संविदा वक्र से बाहर निकल जाता है।

**बोध प्रश्न 3** (दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में लिखें।)

1) सरकार को किसी एक स्वाधिकार प्राप्त उत्पाद के मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) क्षेम अधिकतमीकरण के लिए कोई सार्वजनिक वस्तु क्या समस्या उत्पन्न करती है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) किसी सघन रूप से बसे इलाके में स्थापित किए जा रहे घरेलू उद्यमों के मामले में, नीति-हस्तक्षेप की दृष्टि से क्या अपेक्षित होगा?

.....

.....

.....

.....

.....

4) औषधियों पर नियंत्रण या उनका विनियमन क्यों आवश्यक है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 1.7 सार-संक्षेप

लोक अर्थशास्त्र में हम कुछ क्षेम संबंधी सरोकारों पर आधारित किसी राष्ट्र की सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। किसी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक स्वीकृत क्षेम निकर्ष है– पैरेटो निकर्ष। सार्वजनिक नीतियों का क्षेम आधार दो महत्त्वपूर्ण क्षेम प्रमेयों पर आधारित है– एक किसी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था

में मुक्त-व्यापार के महत्त्व को बतलाता है, जो कि क्षेम अधिकतमीकरण की ओर अग्रसर करता है, और दूसरा यह बताता है कि संसाधनों के किसी प्रारंभिक वितरण से कोई भी वितरण किसी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में प्रतिपूरक पुनर्वितरण नीतियों के माध्यम से किया जा सकता है। यह आधार ज्ञात होने पर, क्षेम अधिकतमीकरण नीतियों के अनेक अनुप्रयोगों पर उन परिस्थितियों में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है जो किसी प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था के संचालन में अंतर्निहित मूल अवधारणाओं का उल्लंघन करती हों। इनमें शामिल हैं– एकाधिकार शक्ति, लोकहित, बाह्यताएँ और अपूर्ण जानकारी। ऐसी किसी भी विरूपणकारी घटना घटने की स्थिति में, केवल समुचित सरकारी नीतियाँ ही स्थिति सुधार सकती हैं, जो कि समाज में लोगों के क्षेम अधिकतमीकरण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देगा।

## 1.8 शब्दावली

**सामाजिक क्षेम फलन** : वैयक्तिक अधिमानों पर आधारित, समाज हेतु क्षेम का एक औसत मापदण्ड।

**सामाजिक समभाव वक्र** : किसी समाज में लोगों के उपयोगिता स्तरों का बिंदुपथ जो कि उपयोगिता का एक नियत स्तर प्रस्तुत करता है।

**ऐजवर्थ-बॉले बॉक्स** : एक आयताकार बक्स जो दो वस्तुओं की प्राप्त मात्रा और दो व्यक्तियों के समभाव वक्र दर्शाता है।

**संविदा वक्र** : ऐजवर्थ-बॉले बॉक्स में बिंदुओं का रेखापथ, जो वस्तुओं के कीमत अनुपातों के ज्ञात होने पर प्रत्येक व्यक्ति का इष्टतम क्षेम दर्शाता है।

**पैरेटो निकर्ष** : एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी व्यक्ति का क्षेम कम से कम किसी एक (अन्य) व्यक्ति के क्षेम को घटाए (नुकसान) बिना नहीं बढ़ाया जा सकता है।

**उपयोगिता संभावना सीमा** : संविदा वक्र से व्युत्पन्न इष्टतम उपयोगिता स्तरों का बिंदुपथ।

**क्षतिपूर्ति सिद्धांत** : कर एवं आर्थिक सहायताओं के माध्यम से संसाधनों के किसी पुनर्वितरण को व्यवहार्य बनाने के लिए प्रतिपूर्ति की एक योजना।

**बाज़ार विफलता** : वे दशाएँ जिनमें प्रतिस्पर्धी बाज़ार तंत्र काम करने में विफल रहता है।

## 1.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Graaff, J de V (1979). *Theoretical Welfare Economics* (CUP-VIKAS Students' Edition) New Delhi: Vikas Publishing House.
2. Green, H.A. John (1976). *Consumer Theory*. New Delhi: The Macmillan Company of India Limited.
3. Henderson, James M and Richard E. Quandt (1971). *Microeconomic Theory*. Tokyo: McGraw-Hill KOGAKUSHA, LTD.
4. Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubenfeld (2006). *Microeconomics*, 6th Edition. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited.
5. Stiglitz, Joseph E. (1986). *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.

## 1.10 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

**बोध प्रश्न 1**

1) यह कि क्षेम को उपभोक्ताओं के अधिशेष, उत्पादकों के अधिशेष एवं सरकार के अधिशेष के कुलयोग के रूप में मापा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के अधिशेष को क्षेम-वर्धक के रूप में देखा जाता है।

2) ऐसा इसलिए है कि समाज का समग्र क्षेम अनिवार्यतः वैयक्तिक उपयोगिता स्तरों पर निर्भर करता है और इस कारण सामाजिक क्षेम फलन व्यक्ति-केंद्रित होता है, जिसमें सामाजिक संजाल जैसे पहलुओं को अनदेखा किया जाता है।

3) अपनी प्रकृति में संयोज्य होने के बावजूद, यह लोगों के लाभ एवं हानि की उपेक्षा करता है। सामाजिक समभाव वक्र एक ऋजुरेखा होता है, जो दोनों अक्षों पर $45^{o}$ की प्रवणता दर्शाता है क्योंकि समाज लोगों के बीच उपयोगिताओं का संतुलन प्रदान कर सकता है।

4) सामाजिक समभाव वक्र L-आकृति के होते हैं क्योंकि यह दर्शाता है कि जब निर्धनतम का क्षेम स्तर निश्चित कर दिया जाता है तो उक्त वक्र (SIC) का क्या स्वरूप होता है।

**बोध प्रश्न 2**

1) यह पैरेटो निकर्ष पर खरे उतरते विभिन्न समभाव वक्रों के स्पर्शता बिंदुओं का रेखापथ होता है।

2) उपयोगिता संभावना सीमा 'संविदा बिंदुपथ' पर क्षेम बिंदुओं के सभी संभव इष्टतम संयोजनों का बिंदु पथ होता है।

3) यह बताकर कि यदि कोई विशिष्ट संतुलन बिंदु समाज की दृष्टि से वांछनीय न हो तो आय का पुनर्वितरण किसी अन्य पैरेटो इष्टतम बिंदु पर अधिक वांछनीय परिणाम (क्षेम अथवा उपयोगिता) की ओर अग्रसर कर सकता है।

4) ये सब संभावित होते हैं, वास्तविक नहीं।

**बोध प्रश्न 3**

1) पैटेंट रक्षित वस्तुओं के कीमत-निर्धारण का पर्यवेक्षण करना।

2) लोग यह नहीं बताते कि वे कितना भुगतान करने को तैयार हैं क्योंकि वे उसके उपयोग से अपवर्जित नहीं किए जा सकते।

3) शोर एवं वायु प्रदूषण को उनके उत्सर्जन हेतु मापदंड निर्धारित कर नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है।

4) उनकी सुरक्षा एवं प्रभावोत्पादकता का पर्यवेक्षण करना और मानकों में निर्देश-चिन्ह तय करना।

# इकाई 2 बाज़ार विफलता और राजकीय विफलता

**संरचना**


2.0 उद्देश्य

2.1 विषय प्रवेश

2.2 बाज़ार दक्षता

2.3 बाज़ार विफलता

- 2.3.1 बाह्यता
- 2.3.2 अपूर्ण प्रतिस्पर्धा
- 2.3.3 सार्वजनिक वस्तुएँ
- 2.3.4 विषम सूचना

2.4 राजकीय विफलता

- 2.4.1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र
- 2.4.2 प्रतिनिधिक लोकतंत्र
- 2.4.3 अधिकारी-तंत्र और अदक्षता

2.5 सार-संक्षेप

2.6 शब्दावली

2.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत


## 2.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद, आप इस योग्य होंगे कि :

- 'दक्षता' शब्द को परिभाषित कर सकें;
- दर्शा सकें कि किस प्रकार पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ारों की दशाएँ अधिकतम क्षेम सुनिश्चित करती हैं;
- वे मानक कारक बता सकें जो 'बाज़ार विफलता' का कारण बनते हैं;
- चर्चा कर सकें कि क्यों 'बाह्यताएँ' सरकारी हस्तक्षेप को उचित ठहराती हैं;
- स्थित सुधार हेतु सरकार के समक्ष नीति विकल्प बताते हुए इस बात का ख़ाका खींच सकें कि किस प्रकार 'अपूर्ण प्रतिस्पर्धा' क्षेम हानि की ओर ले जाती है;
- 'सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में बाज़ार विफलता' का अभिलक्षण समझा सकें;
- अदक्षता के परिणामों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए विषम सूचना न्यूनतम कर देने का महत्त्व उजागर कर सकें;
- स्पष्ट कर सकें कि किस प्रकार 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' क्षेम अधिकतमीकरण को सुनिश्चित नहीं कर पाता;

- तर्क दे सकें कि क्यों 'प्रतिनिधिक लोकतंत्र' अधिकतम क्षेम हेतु दक्ष नीतियाँ क्रियान्वित करने में विफल रहते हैं; तथा
- समालोचना कर सकें कि क्यों 'लोकतंत्र' और 'नौकरशाही' केवल आशय में क्षेम बढ़ाने, परंतु वास्तविकता में, केवल उप-इष्टतम क्षेम लब्ध करने हेतु दुरभिसंधि का काम करते हैं।

## 2.1 प्रस्तावना

'सार्वजनिक नीति' संबंधी मुख्य प्रश्नों में एक है – 'सरकार को बाज़ारों के क्रिया-व्यापार में हस्तक्षेप कब करना चाहिए?' यदि बाज़ार पूरी तरह ठीक-ठाक काम करता हो तो सरकारी हस्तक्षेप हेतु कोई औचित्य नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति में, *अहस्तक्षेप नीति* (laissez faire) सर्वोत्तम सिद्ध हो सकती है। बहरहाल, यदि बाज़ार वांछित लक्ष्य हासिल करने में विफल रहते हैं तो सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अतः, एक निर्णायक प्रश्न सामने आता है – 'बाज़ार विफल' कब होते हैं और बाज़ार विफलता के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकारी हस्तक्षेप के आलोचकों का कहना है कि सरकार को जो करना चाहिए वह वस्तुतः वैसा नहीं कर पाती। ऐसा सरकार की निर्णयन प्रक्रिया में निहित स्वार्थों अथवा मतभेदों की वज़ह से हो सकता है। इसका अर्थ होगा –बाज़ार विफलता की समस्याओं को दुरुस्त करने में सरकार की असफलता। इस इकाई में हम बाज़ार विफलता और सरकार विफलता संबंधी इन्हीं दो विषयों पर चर्चा करेंगे। विशिष्टतः, यह इन प्रश्नों का उत्तर देती है – 'इनका अर्थ क्या है? ये कब उठ खड़ी होती हैं? ये क्यों उठ खड़ी होती हैं? और इनसे भावी नीति के लिए क्या सबक लिया जा सकता है?' पहले भाग में हम बाज़ार विफलता के अर्थ और कारणों पर चर्चा करेंगे। तदोपरांत, हम चर्चा करेंगे कि क्यों और कब राजकीय विफलता के उदाहरण सामने आ सकते हैं।

## 2.2 बाज़ार दक्षता

अर्थशास्त्र में, 'बाज़ार विफलता' के उदाहरण का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त अभिभावी निकष 'दक्षता' से ताल्लुक रखता है। 'दक्षता' शब्द मूलतः 'क्षेम' की संकल्पना से संबंध रखता है। 'क्षेम', अर्थशास्त्र में दी गई परिभाषा के अनुसार, वह अंतर है जो उत्पाद की किसी प्रदत्त मात्रा हेतु किसी समाज के सदस्यों द्वारा भुगतान तत्परता में से उस मात्रा को प्रस्तुत करने में समाज को पड़ी लागत घटाकर ज्ञात होता है। इसे 'उपभोक्ता अधिशेष' और 'उत्पादनकर्ता अधिशेष' के कुल योग के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा इसलिए है कि, अधिकांश मामलों में, भुगतान तत्परता (WTP) और उत्पादन लागत के बीच का अंतर उपभोक्ताओं एवं फर्मों, दोनों के बीच बंट जाता है। 'दक्षता' इसलिए, इस अवधारणा से ताल्लुक रखती है कि क्षेम या तो अधिकतम होता है या फिर समाज में कोई भी समूह (जैसे– उपभोक्ता वर्ग) किसी अन्य समूह (जैसे– उत्पादनकर्ता) को निकृष्टतर स्थिति में लाए बग़ैर श्रेष्ठतर स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता अधिशेष उत्पादनकर्ता अधिशेष घटाए बिना नहीं बढ़ाया जा सकता और इसका विपरीत भी सत्य है।

मुक्त एवं पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ारों को क्षेम अधिकतम करने वाला माना जाता है, यथा– यह दक्ष अर्थात् प्रभावी होता है। पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ार का माँग वक्र बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता भुगतान तत्परता का कुल योग होता है। यहाँ भुगतान तत्परता वह अधिकतम कीमत इंगित करती है जो कि उपभोक्ता वर्ग बाज़ार में बेची जाने वाली वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं हेतु चुकाने को तैयार होता है। यह अतएव, उस बाज़ार माँग वक्र के समान ही होता है जो इस प्रश्न का उत्तर देता है कि 'विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्राएँ बेची जा सकती हैं?' आपूर्ति पक्ष पर, किसी भी पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ार का अभिलक्षण होता है – बहुत बड़ी संख्या में फर्मों (प्रत्येक एक कीमत स्वीकारक) की

विद्यमानता, जो कि किसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सजातीय उत्पाद प्रस्तुत करती हैं, जो वर्धमान सीमांत लागतों में परिणत होता है। अतः, आगे चलकर, फर्में प्रदत्त उद्योग से लागतरहित रूप से 'निकास' अथवा उसमें 'प्रवेश' कर सकती हैं। पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ारों पर बनी अन्य अवधारणाओं में शामिल हैं– अपने लाभों को अधिकतम करने हेतु उत्पादों, कीमतों, प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन उपादानों एवं उपभोक्ता वर्ग के बेरोक-टोक आवागमन विषयक पूर्ण जानकारी। उक्त निश्चय ही अकाट्य एवं प्रतिबंधी मान्यताओं के तहत कोई भी पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ार संतुलन कीमत पर पहुँच जाता है (चित्र 2.1)। संतुलन कीमत $P^*$ पर, बाज़ार इस अर्थ में लाभ कमाता है कि उस कीमत पर उपभोक्ता वर्ग द्वारा माँगी गई मात्रा फर्मों द्वारा आपूर्तित मात्रा के बराबर होती है (यथा– माँग आपूर्ति के बराबर होती है)।

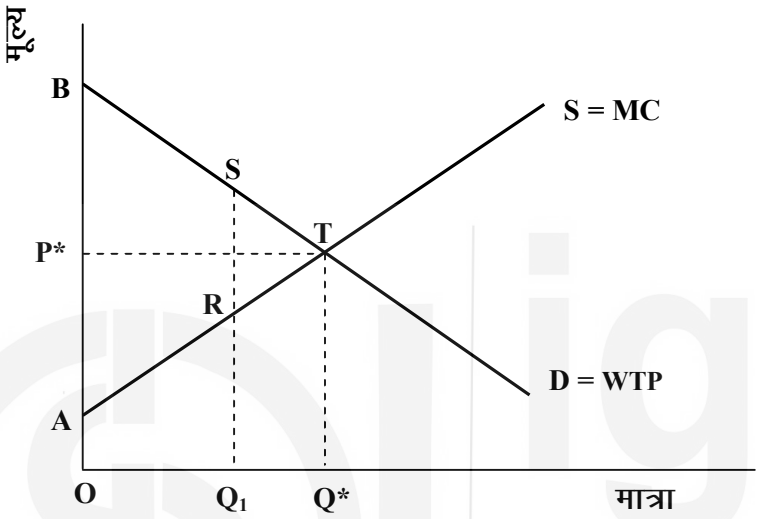


**चित्र 2.1 : किसी पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ार में साम्यावस्था**

क्षेम चूँकि भुगतान तत्परता (WTP) और उत्पादन लागत के बीच अंतर होता है, उसे उस क्षेत्र से मापा जाता है जो किसी दी गई मात्रा हेतु आपूर्ति वक्र (अथवा MC वक्र) से ऊपर और माँग वक्र (अथवा WTP वक्र) से नीचे होता है। इस प्रकार की स्थिति में, संतुलन मात्रा $OQ^*$ हेतु, क्षेम क्षेत्र ABT अर्थात् अधिकतम संभव क्षेम के बराबर होता है। यदि $Q^*$ से अधिक मात्राएँ प्रस्तुत की जाती हैं तो समाज को पड़ी लागतें उपभोक्ता वर्ग द्वारा भुगतान तत्परता के मान से अधिक होगी, जिससे क्षेम घट जाएगा। इसी प्रकार, $Q^*$ से कम मात्राओं के लिए, जैसे कि $Q_1$ क्षेम में कमी [जिसे (क्षेम की) कुल भार हानि कहा जाता है] जिसे क्षेत्र RST द्वारा इंगित किया जाता है।

**बोध प्रश्न 1** (दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में लिखें।)

1) 'दक्षता' किस प्रकार 'क्षेम' से जुड़ी होती है।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) वे दशाएँ बताएँ जिनके तहत पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ार अधिकतम दक्षता उत्पन्न करते हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'कुलभार हानि' से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

## 2.3 बाज़ार विफलता

भाग 2.2 में उल्लिखित कारणों की वज़ह से ही प्रतिस्पर्धी बाज़ार की दक्षता अनेक प्रतिबंधी मान्यताओं पर आधारित होती है। जब इन मान्यताओं की अवहेलना की जाती है तो बाज़ार किसी दक्ष अर्थात् प्रभावी परिणाम पर पहुँचने में विफल रहते हैं। विशेष रूप में, ऐसा निम्नलिखित मामलों में होता है– (i) बाह्यताएँ, (ii) अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, (iii) सार्वजनिक वस्तुएँ, तथा (iv) अपूर्ण जानकारी। इस भाग में हम इनमें से प्रत्येक मामले की पड़ताल यह दर्शाते हुए करेंगे कि ऐसी दशाओं में समाधान स्वरूप काम करने के लिए कौन-से साधन अपनाए जाते हैं।

### 2.3.1 बाह्यताएँ

कोई बाह्यता तब उत्पन्न होती है जब बाज़ार से सीधे जुड़े लोगों के अलावा (उपभोक्ताओं स्वरूप अथवा उद्योग की फर्मों के रूप में), समाज के अन्य सदस्य, बाज़ार के संचालन से प्रभावित होते हों। यह प्रभाव लाभकारी अथवा हानिकारक हो सकता है। यदि यह लाभकारी हो तो हम इसे 'सकारात्मक बाह्यता' की संज्ञा देते हैं; यदि यह हानिकारक हो तो इसे 'नकारात्मक बाह्यता' कहा जाता है। यदि कोई बाह्यता फर्मों की गतिविधियों से उत्पन्न होती हो तो उसे 'उत्पादन बाह्यता' कहा जाएगा; यदि वह उपभोक्ता के व्यवहार से पैदा होती हो तो 'उपभोग बाह्यता' कहलाएगी। तद्नुसार, हमें बाह्यताओं का एक चतुर्मुखी विभाजन प्राप्त होता है जो कि तालिका 2.1 में सोदाहरण दर्शाया गया है।

**तालिका 2.1 : सकारात्मक एवं नकारात्मक बाह्यताएँ**

| गतिविधि स्रोत | नकारात्मक | सकारात्मक |
|---|---|---|
| **उत्पादन** | प्रदूषण, मृदा निम्नीकरण | मधुमक्खी पालन |
| **उपभोग** | धूम्रपान (निष्क्रिय) | टीकाकरण |

बाह्ताओं की विद्यमानता में बाज़ार क्षेम को अधिकतम करने में विफल रहते हैं। इसे सहज बोध से इस बात पर ध्यान देते हुए समझा जा सकता है कि प्रदूषण से प्रभावित होने वाले लोग एक ऐसी लागत वहन करते हैं जिसे उत्पादनकर्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली लागतों में नहीं गिना जाता है। इसी प्रकार, कुछ उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयाँ (जैसे– अपशिष्ट एवं कूड़ा-करकट कम करना) ऐसे अन्य उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर सकती हैं जो इस लाभ को अपनी भुगतान तत्परता से व्यक्त नहीं करते क्योंकि वे स्वच्छतर परिवेश का दाम नहीं चुकाया करते। इस प्रकार, किसी बाज़ार विशेष में भागीदारी न करने वाले लोगों को उपगत क्षेम हानि एवं लाभ सामाजिक क्षेम को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं।

**नकारात्मक उत्पादन बाह्यता** : विभिन्न प्रकार की बाह्यताओं के बीच सर्वाधिक सामान्य है– नकारात्मक उत्पादन बाह्यता। यह तब उत्पन्न होती है जब उत्पादन के किसी प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, कुछ हानियाँ अथवा क्षतिपूर्ति उत्पादनकारी फर्मों के अलावा किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत की जाती हो। उदाहरण के लिए, दिल्ली व उत्तर भारत के कई अन्य शहरों में वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव का दोष (अन्य कारणों के साथ-साथ) निकटवर्ती राज्यों/क्षेत्रों में किसानों द्वारा फसलों के ठूँठ या पराली जलाए जाने को दिया जाता है। फसलों के उत्पादनकर्ता (किसानों) को ये ठूँठ या पराली खेतों में ही जला देना सस्ता पड़ता है ताकि वे अगली फसल की बुवाई के लिए ज़मीन तैयार कर सकें। परंतु वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव निकटस्थ शहरों पर दिखाई पड़ते हैं। शहरी जनसमुदाय, ख़ासकर बच्चे व बूढ़े, विभिन्न श्वसन रोगों से ग्रस्त हो जाता है। उपचार की ऊँची लागत, स्वास्थ्य हानि, समयपूर्व मृत्यु, आदि समाज पर भारी आर्थिक लागत थोप देती हैं जोकि किसानों द्वारा वहन नहीं की जाती है। वह उदाहरण दर्शाता है कि उत्पादनकर्ताओं की लागत समाज को पड़ी लागत से काफी कम ही होती है, जिसमें उत्पादन लागतें और क्षतिपूर्ति शामिल होते हैं। यह 'निजी सीमांत लागत' (PMC) के ऊपर अवस्थित 'सामाजिक सीमांत लागत' (SMC) को इंगित करते हुए दर्शाया जा सकता है, जहाँ ये दोनों उत्पादनकर्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली उत्पादन लागते हैं (चित्र 2.2)।

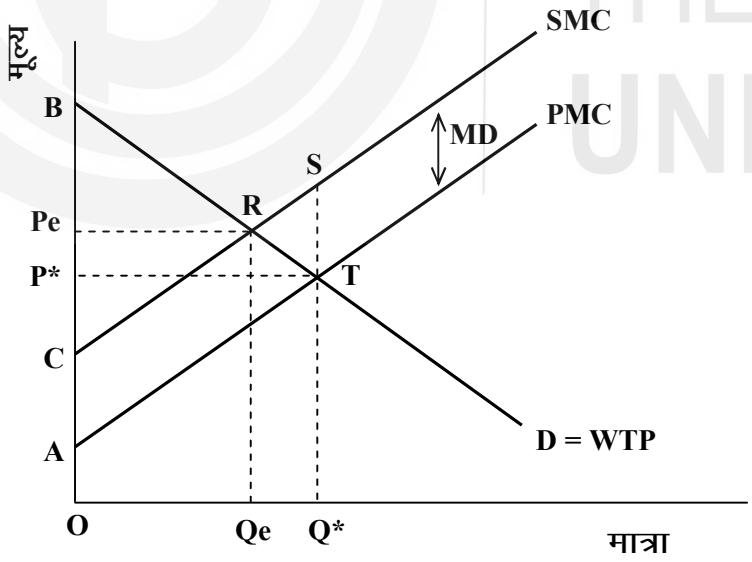


**चित्र 2.2 : नकारात्मक बाह्यता के तहत बाज़ार विफलता**

उत्पादनकर्ताओं की सीमांत लागतों का कुल योग ही आपूर्ति वक्र होता है। इसी प्रकार, माँग वक्र उपभोक्ताओं की भुगतान तत्परता का कुल योग होता है। किसी भी मुक्त रूप से प्रतिस्पर्धी बाज़ार में संतुलन मात्रा $Q^*$ इकाई कीमत $P^*$ पर प्रस्तुत एवं विक्रय की जाएगी। परंतु नकारात्मक बाह्यता के मामले में, समाज द्वारा उपगत लागतों $P^*$ को एक अदक्ष कीमत स्तर को अर्पित करते हुए कहीं अधिक (उत्पादनकर्ताओं द्वारा वहन की

जाने वाली लागतों की अपेक्षा) ही बैठती हैं। वक्र SMC को PMC के समांतर यह मानते हुए खींचा जाता है कि 'सीमांत क्षति' (MD) स्थिर होगी। यदि ऐसी बात न हो और सीमांत क्षति अधिक उत्पादन करने पर बढ़ जाती हो तो वक्र SMS वक्र MPC से और दूर भिन्न दिशा में मुड़ जाएगा। चूँकि हमारा सरोकार समाज द्वारा उपगत लागतों से ही है, $Q_e$ से अधिक कितना भी उत्पादन हो, वह लाभ (अथवा भुगतान तत्परता) की बजाय सामाजिक लागत में ही वृद्धि करेगा। $Q_e$ से अधिक उत्पादन करना, जैसे कि $Q^*$ क्षेम को घटाकर RST की सीमा तक ले आता है। बाज़ार क्षेम अधिकतम नहीं करता है, जो कि तभी सिद्ध होगा जब $Q_e$ को प्रस्तुत किया जाएगा। यह एक बाज़ार विफलता का उदाहरण है। बाह्यता की विद्यमानता में, दक्ष उत्पादन $Q_e$ है और अधिकतम लभ्य क्षेम क्षेत्र CBR है। बाज़ार इस क्षेम को RST जितना कम कर देता है और इसी कारण यह एक बाज़ार विफलता का उदाहरण बन जाता है।

उक्त परिणाम वास्तविक जीवन में प्रायः ही देखने में आता है। गंगा और यमुना का प्रदूषण अंशतः इन नदियों में डाले जा रहे औद्योगिक बहिःस्रावों का ही परिणाम रहा है, जो पानी को अस्वास्थ्यकर और विषैला बना रहा है। इसी प्रकार, जब कोई किसान भूजल का दोहन करता है तो निकटस्थ क्षेत्रों में अन्य सभी के लिए भूजल स्तर घट जाता है। जब कोई बाँध बनाया जाता है तो इसकी वृहद् बाह्यताएँ जलग्रहण एवं नियंत्रण दोनों ही क्षेत्रों में दृष्टिगत होती हैं (जैसे– अप्लावन, लवणता, धारा के साथ नदी का घटा प्रवाह, लोगों का पुनर्वास)। अतः, बड़े बाँध विवादग्रस्त ही रहे हैं। विश्व स्तर पर, वन अवक्षय, भूमंडलीय तापन, ओज़ोन अवक्षय, आदि का दोष अंशतः नकारात्मक उत्पादन बाह्यताओं को ही जाता है। इन बाह्यताओं की कुल लागत महत्त्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, वैश्विक रूप से वायु प्रदूषण की लागत 5 करोड़ खरब डॉलर वार्षिक मानी गई है। विगत पाँच वर्षों में गंगा की सफाई पर खर्च की गई राशि 4000 करोड़ रुपये से भी अधिक रही है और अब भी वह अस्वच्छ ही है। इस समस्या के समाधान हेतु, आइए, एक बार फिर चित्र 2.2 पर नज़र डालें। चित्र दर्शाता है कि उत्पादन अधिकतमकारी सामाजिक क्षेम $Q_e$ है कीमत $P_e$ है। यहाँ सरकार जो कर सकती है, वह है – उत्पादनकर्ताओं पर सीमांत क्षति की राशि के बराबर राशि का कर थोप दे। इससे MC वक्र उत्पादनकार्ताओं की ओर खिसक कर उसे SMC के बराबर कर देगा। वक्र SMC के बराबर नए आपूर्ति वक्र के साथ, बाज़ार अपनी विफलता को दूर कर उत्पादन $Q_e$ प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार का कर 'पीगूवियन कर' कहलाता है। एक विकल्प स्वरूप, सरकार विनियमन का सहारा ले सकती है और कीमत $P_e$ पर सीमित कर सकती है अर्थात् $Q_e$ से अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार के परिणाम विभिन्न प्रकार के नीति साधनों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

**सकारात्मक उपभोग बाह्यता** – नकारात्मक उत्पादन बाह्यता के एकदम विपरीत दृश्य है – सकारात्मक उपभोग बाह्यता। यह तब उत्पन्न होती है जब कुछ उपभोक्ताओं की उपभोग क्रिया से अन्य लोग सकारात्मक रूप से प्रभावित (यथा, लाभांवित) होते हैं। इसका एक उदाहरण है – वर्षा जल संग्रहण हेतु कुछ परिवारों द्वारा किए जा रहे प्रयास। ये प्रयास भूजल स्तर का पुनर्भरण कर सभी परिवारों को अधिक जल उपलब्ध कराएँगे, जिससे सभी स्थानीय निवासी लाभान्वित होंगे। एक अन्य उदाहरण है – प्राथमिक शिक्षा, जो न सिर्फ परिवार को लाभ पहुँचाती है बल्कि समस्त पास-पड़ोस को भी लाभान्वित करती है (स्वच्छता, बेहतर व्यवहार, आदि को प्रोत्साहित कर)। इन उदाहरणों का मुख्य बिंदु है – समाज को सीमांत लाभ (MBS) उस 'निजी सीमांत लाभ' से कहीं अधिक होता है जो समाज के सदस्यों की भुगतान तत्परता (WTP) द्वारा व्यक्त किया जाता है (चित्र 2.3)। बाज़ार $Q^*$ पर अल्प उत्पादन करेगा जबकि दक्षता (यथा, क्षेम अधिकतमकारी) उत्पादन $Q_e$ होगा। कम उत्पादन कर, बाज़ार क्षेत्र TRS के बराबर क्षेम हानि की वजह बनता है। बाज़ार विफलता की इस समस्या का समाधान 'सीमांत लाभ' (MB) के बराबर कोई अर्थसाहाय्य हो सकता है ताकि माँग वक्र को MBS वक्र तक ऊपर उठाया जा सके।

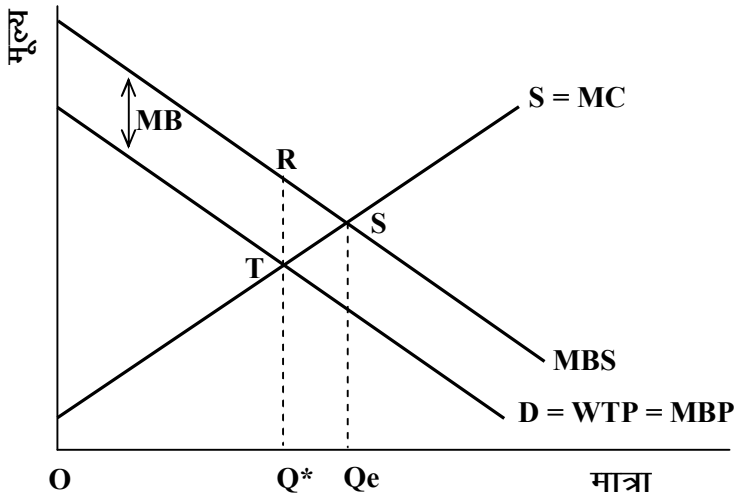


**चित्र 2.3 : सकारात्मक बाह्यता के तहत बाज़ार विफलता**

विकल्पतः, विनियमन अथवा सार्वजनिक खाद्य-आपूर्ति पर विचार किया जा सकता है। यही कारण है कि क्यों सरकारें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, रोग-प्रतिरक्षीकरण, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग, साफ-सफाई, वर्षा जल संग्रहण, आदि पर प्रायः आर्थिक सहायता देती है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक खाद्य-आपूर्ति का सहारा सरकार द्वारा बाज़ार विफलता के एक उपाय स्वरूप लिया जाता है, जहाँ ऐसी वस्तुओं के सकारात्मक उपभोग द्वारा सामाजिक लाभों की सुलभता को विस्तार प्रदान किया जाता है।

## 2.3.2 अपूर्ण प्रतिस्पर्धा

अपूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी बाज़ार क्षेम अधिकतम करने में विफल रहते हैं। अपूर्ण बाज़ार का एक चरम उदाहरण है – एकाधिकार। अतः, हम एकाधिकार के उदाहरण का प्रयोग यह दर्शाने के लिए करते हैं कि किस प्रकार बाज़ार अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विफल रहते हैं। चूँकि एकाधिकारी एकमात्र आपूर्तिकर्ता होता है, माँग वक्र एकाधिकारी का 'औसत आगम' (AR) भी वक्र होता है। चूँकि किसी भी एकाधिकारी का 'सीमांत आगम' (MR) वक्र उसके AR वक्र के नीचे अवस्थित होता है, एकाधिकारी $Q^*$ मात्रा प्रस्तुत करता है (चित्र 2.4) क्योंकि वही उसके लाभ को अधिकतम करेगी (जहाँ MC = MR)। परंतु क्षेम अधिकतमकारी मात्रा $Q_e$ है, जहाँ MC = WTP। मान लेते हैं कि यहां बाह्यताएँ शून्य हैं।

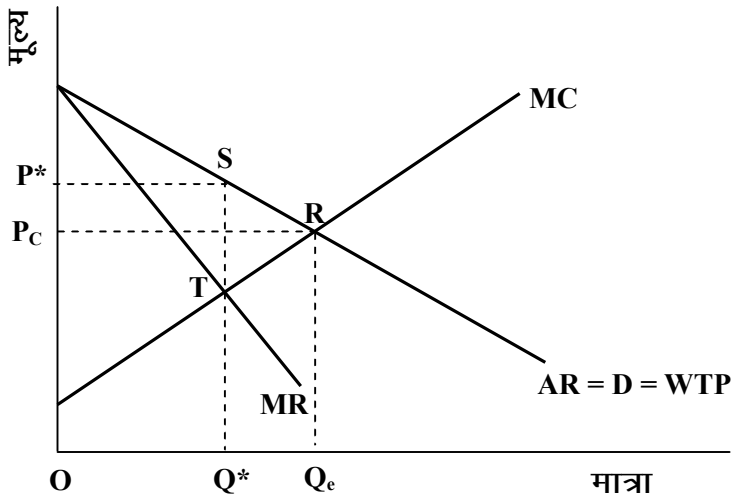


**चित्र 2.4 : अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और बाज़ार विफलता**

अधिकतम लाभ उत्पादन $Q^*$ कीमत $P^*$ पर बेचा जाता है, जो कि उससे अधिक होती है जो किसी पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ार ने तय की हो। अतएव, एकाधिकारी लाभ अधिकतम करने के लिए कीमत बढ़ा सकता है और मात्रा घटा सकता है। यह क्षेत्र TSR की क्षेम हानि की ओर प्रवृत्त करता है क्योंकि उत्पादन दक्ष ($Q_e$) स्तर की अपेक्षा कम किया जाता है। चूँकि $Q_e$ तक उत्पाद हेतु समाज की WTP > MC (समाज द्वारा उपगत लागत), क्षेम की हानि होती है और यह एक बाज़ार विफलता का उदाहरण बन जाता है। आनुभविक अध्ययनों में ऐसी क्षेम हानि का आकलन किया गया है, जहाँ अमेरिका के लिए किए गए कुछ आकलन इस हानि को GDP के 3 से 5 प्रतिशत तक रखते हैं। इन अध्ययनों में अदक्षता, उत्पादकता हानि, प्रतिस्पर्धा निषेध, आदि कारकों को कारण बताया गया है। विकासशील देशों के लिए किए गए अध्ययनों में, केवल आवंटन दक्षता पर विचार कर, क्षेम हानि को विशाल आंका गया है। उदाहरण के लिए, मैक्सिकन टेलीकॉम एकाधिकारवादी के एक अध्ययन में वर्ष 2005–09 की अवधि के लिए हानि का आकलन देश की जीडीपी के लगभग 2 प्रतिशत पर किया गया। ध्यान देने की बात है कि यह केवल एक कंपनी की ओर से था। एकाधिकार के नकारात्मक प्रभाव एवं अन्य अपूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी बाज़ारों से निपटने के लिए सार्वजनिक नीति में निम्नलिखित साधनों का पक्ष लिया गया है – (i) एकाधिकार-विरोधी कानून जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने का प्रयास करें; (ii) कीमत नियंत्रणों के माध्यम से एकाधिकारों का विनियमन; तथा (iii) सहज एकाधिकारों के मामले में राजकीय उद्यम।

**बोध प्रश्न 2** (दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में लिखें।)

1) वे कौन-से कारक हैं जो 'बाज़ार विफलता' में परिणत होने में योगदान देते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) 'नकारात्मक उत्पादन बाह्यता' के आर्थिक परिणाम बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

3) विश्वभर में अनुभूत नकारात्मक उत्पादन बाह्यता के उदाहरण दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

4) सकारात्मक उपभोग बाह्यता के उदाहरण दें। यह कैसे काम करती है?

.....

.....

.....

.....

.....

5) अपूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी बाज़ारों के नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए अपनाए जाने वाले नीति साधन कौन-से हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

### 2.3.3 सार्वजनिक वस्तुएँ

सार्वजनिक वस्तुएँ बाह्यता के एक चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। अमिश्रित सार्वजनिक वस्तुओं को निजी वस्तुओं द्वारा दर्शाए जाने वाले दो गुणों के अभाव द्वारा परिभाषित किया जाता है। प्रथम, वे उपभोग में प्रतिस्पर्ध्येतर होती हैं अर्थात् एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु आ उपभोग अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग हेतु उपलब्ध मात्रा को घटाता नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि स्ट्रीट लाइट का उपयोग एक पैदलयात्री द्वारा किया जाता है तो वह दूसरों के लिए भी उपलब्ध रहती है। स्वच्छ वायु एक अन्य उदाहरण है। दूसरे, सार्वजनिक वस्तुएँ गैर-अपवर्ज्य होती हैं। इसका अर्थ है कि वह सार्वजनिक वस्तु सभी के लिए उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए, पास-पड़ोस का कोई अच्छा सार्वजनिक पार्क सभी के लिए सुखद दृश्य प्रदान करता है। इसी प्रकार, यदि कोई देश बाहरी आक्रमण से भली-भाँति प्रतिरक्षित हो तो उसके सभी नागरिक सुरक्षा का एहसास करते हैं। इन दो अभिलक्षणों की सहकालिक विद्यमानता एक अमिश्रित सार्वजनिक वस्तु को परिभाषित करती है। परंतु यदि इन दो अभिलक्षणों में से केवल एक ही सिद्ध होता हो तो यह स्थिति 'मिश्रित सार्वजनिक वस्तुओं' वाली होती है, जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.2 : अमिश्रित एवं मिश्रित सार्वजनिक वस्तुएँ**

| अभिलक्षण | प्रतिस्पर्ध्ये | प्रतिस्पर्ध्येत्तर |
|---|---|---|
| **अपवर्ज्य** | निजी वस्तुएँ (जैसे– कॉफी, चॉकलेट आदि) | मिश्रित सार्वजनिक वस्तु (केवल टीवी) |
| **गैर-अपवर्ज्य** | मिश्रित सार्वजनिक वस्तु (निःशुल्क पार्किंग) | अमिश्रित सार्वजनिक वस्तुएँ (रक्षा, कानून एवं व्यवस्था) |

जैसा कि सकारात्मक बाह्यताओं के मामले में होता है, बाज़ार सार्वजनिक वस्तुओं की इष्टतम मात्रा प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं। बाह्यता के मामले में, देखा जाता है कि बाज़ार अल्प-उत्पादन करता है। किसी अमिश्रित सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण में, बाज़ार संभवतः शून्य उत्पादन करता हो। इसे अंतःप्रज्ञात्मक रूप से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई निजी उत्पादनकर्ता कोई अमिश्रित सार्वजनिक वस्तु प्रस्तुत करता हो (जैसे– शहर के लिए आतिशबाज़ी) तो यह लाभ उठाए जाने के लिए

सभी उपभोक्ताओं को तत्काल उपलब्ध होती है (गैर-अपवर्ज्यता) और इसीलिए वह इसे बाँट कर अलग-अलग बंडलों में नहीं बेच सकता। यदि उसे किसी छोटे शहर के निवासियों से पूछना पड़े कि वे आतिशबाजी हेतु कितना दाम चुकाने को तैयार हैं और उनसे पटाखों की किसी विशिष्ट मात्रा के लिए धनराशि एकत्र करनी पड़े तो शायद ही वह अपनी लागतें पूरी कर सकें। ऐसा इसलिए है कि निवासी अपनी भुगतान तत्परता (WTP) कम करके ही बताएँगे। प्रतिस्पर्ध्येतर उपभोग का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति आतिशबाजी का दाम चुकाता है तो हर व्यक्ति बिना कोई दाम चुकाए ही उसका आनंद ले सकता है (यथा, मुफ़्तसवारी की अनुमति है)। तद्नुसार, निजी बाज़ारों के लिए छोड़ दिए जाने पर, अमिश्रित सार्वजनिक वस्तुएँ अल्प-आपूर्तित ही रहेंगे। यही कारण है कि क्यों रक्षा, कानून एवं व्यवस्था, अग्नि शमन सेवाएँ, आदि सरकार द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार की सार्वजनिक वस्तुओं का निधिकरण लोक वित्त से किया जाता है। इन वस्तुओं के मामले में बाज़ार विफलता को आरेखीय रूप से दर्शाया जा सकता है (चित्र 2.5)। चूँकि, कोई भी सार्वजनिक वस्तु उपभोग में प्रतिस्पर्ध्येतर होती है, समाज को लाभ (MSB) उसके सदस्यों के WTP वक्रों का अनुलंब योगफल होता है। दूसरे शब्दों में, यदि समाज के एक सदस्य के लिए WTP, माना शहर के पुलिस बल (किसी ज्ञान आकार का) हेतु, $x_1$ हो, और किसी अन्य सदस्य के लिए $x_2$ हो, तो MSB उस ज्ञात आकार के बल हेतु होगा $-\ x_1 + x_2$ । समाज अपना क्षेम अधिकतम कर लेगा यदि सार्वजनिक वस्तु की $Q_e$ मात्रा प्रदान की जाए। तथापि, उपभोक्ता वर्ग 'मुफ्त सवार समस्या' के चलते एक काफी निम्न WTP प्रकट कर सकता है (निम्नतर MSB वक्र द्वारा दर्शाई गई)। वास्तविक उत्पादन $Q_a$ है और इसी कारण बाज़ार की कारगुज़ारी क्षेत्र TSR की क्षेम हानि का कारण बनेगी। सार्वजनिक वस्तुएँ, इसीलिए, इष्टतम उत्पादन प्रस्तुत करने में बाज़ारों के असफल रहने का कारण बनती हैं। इस हानि को परिभाषित करना कठिन होता है परंतु यह इस बात पर ध्यान दिए जाने के लिए पर्याप्त संकेत करती है कि आमतौर पर, निम्न कर-जीडीपी अनुपात (जिसे देश की सार्वजनिक वस्तुएँ मुहैया कराने की क्षमता के परोक्षी के रूप में लिया जाता है) दर्शाने वाले देश ही अल्पतम विकसित देश भी होते हैं।

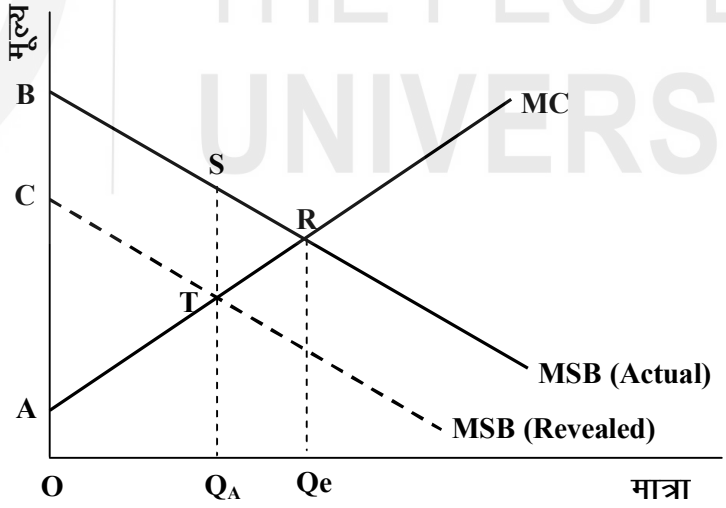


**चित्र 2.5 : अमिश्रित सार्वजनिक वस्तुओं में बाज़ार विफलता**

### 2.3.4 विषम सूचना

पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ार पूर्ण सूचना की मान्यता पर काम करते हैं, यथा – सभी पक्षों के पास पूरी सूचना होती है। इसका अर्थ है कि किसी भी पक्ष (जैसे– विक्रेता) के पास इस अर्थ में निजी सूचना नहीं होती कि अन्य (जैसे– उपभोक्ता वर्ग) उससे बेखबर हों। परंतु जब इस मान्यता की अवहेलना होती है तो यह 'विषम सूचना' का मामला होता है। ऐसी स्थितियों में, यह संभव है कि विक्रेताओं के पास बेचे गए उत्पादन की गुणवत्ता के विषय

में कुछ ऐसी सूचना हो जो क्रेताओं को ज्ञात न हो। यह इस अर्थ में बाज़ार विफलता का कारण बनता है कि क्षेम अब इष्टतम नहीं रहता।

लेख, पुस्तकों आदि में दो मुख्य प्रकार की सूचना विफलताओं के बीच भेद किया जाता है। प्रथम को 'नैतिक जोखिम' कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे – 'गुप्त कार्रवाई', 'स्वामी अभिकर्ता' अथवा केवल 'अभिकरण समस्या'। इसके तहत, एक पक्ष (प्रायः 'स्वामी') अभिकर्ता' की कार्रवाइयों को नहीं देख पाता है। उदाहरण के लिए, नियोक्ता यह नहीं देख पाता कि कर्मचारी अपना प्रयास कितना और किस गुणवत्ता के साथ कर रहा है। सूचना विफलता का दूसरा उदाहरण तब सामने आता है जब लेन-देन के किसी एक पक्ष – क्रेता अथवा विक्रेता – के पास कोई ऐसी सूचना होती है जो दूसरे पक्ष के पास नहीं होती। ये विषम सूचना के ही उदाहरण हैं (अनुबंध अथवा विनिमय से पूर्व) जो 'प्रतिकूल चयन' की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसे सोदाहरण समझने के लिए एक हाल ही का उदाहरण लेते हैं – बोइंग 737 मैक्स, एक यात्री विमान जिसका प्रथम प्रयोग वर्ष 2016 में किया गया। दो दुर्घटनाओं (अक्तूबर 2018 व मार्च 2019) के पश्चात् जिनमें लगभग 350 यात्री मारे गए, मार्च 2019 में विश्वभर में इसकी उड़ानों को बंद कर दिया गया। अन्वेषणों के सामने आया कि विमान में डिज़ायन संबंधी दोष थे जिनका निदान कंपनी ने एक सॉफ़्टवेयर से करने का प्रयास किया था। इसका ब्यौरा न तो विनियामकों को उपलब्ध कराया गया था और न ही हवाई कंपनियों को और इस प्रकार यह एक सूचना विषमता का मामला बना। यदि हवाई कंपनियों को पूरी जानकारी होती तो उन्होंने ये विमान खरीदे ही नहीं होते। दूसरे शब्दों में, पूरी जानकारी देने पर इन विमानों की माँग काफी कम हो जाती। परंतु चूँकि इन हवाई कंपनियों को कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने ऑर्डर दे दिए यानी माँग ऊँची रही। यही बात यात्रियों पर लागू होती है। यह स्थिति चित्र 2.6 में दर्शाई गई है। यहाँ $MSB_1$, वह स्थिति दर्शाता है जब उपभोक्तावर्ग उत्पाद के नकारात्मक प्रभाव से परिचित नहीं होता। यदि उन्हें यह पता होता तो उनका WTP वास्तविक स्थिति को दर्शाते $MSB_2$ जैसे निम्न स्तर पर होता।

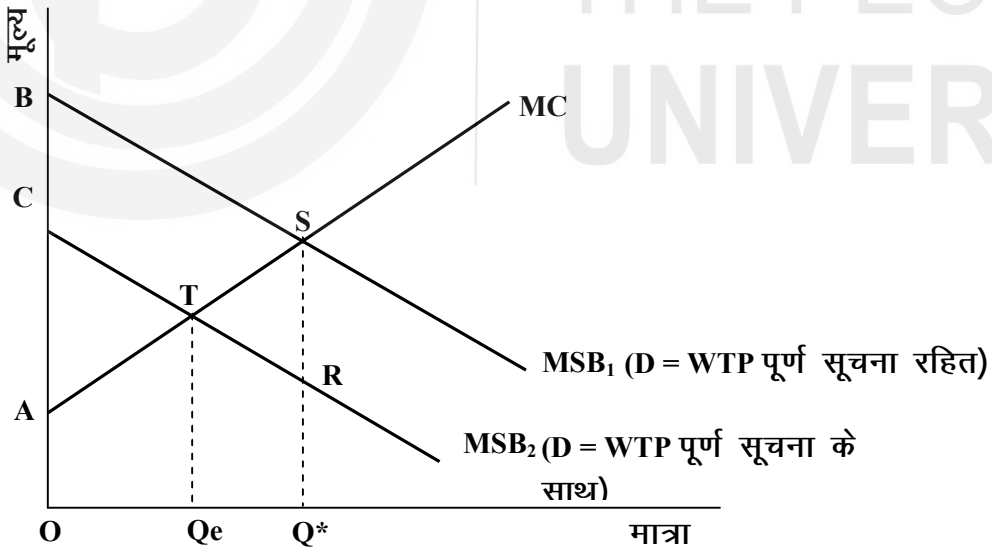


**चित्र 2.6 : सूचना विषमता की स्थिति में बाज़ार विफलता**

सूचना विषमता के कारण, बाज़ार $Q^*$ मात्रा प्रस्तुत करता है जबकि दक्ष मात्रा है – $Q_e$। अतएव, बाज़ार का कार्य-व्यापार दोषयुक्त वस्तु का अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन करने के लिए संसाधनों के अपनियतन के कारण क्षेत्र TSR के बराबर क्षेम हानि को जन्म देता है। यह कोई विसामान्य स्थिति नहीं है; ऐसा आप अन्य मामलों में भी देख सकते हैं (जैसे– चिकित्सा-औषधियाँ, वाहन) जिनके विषय में आमतौर पर पढ़ने-सुनने में आता है। जैसा कि वायुयान का मामला दर्शाता है, अनर्थकारी लागतें घोर रूप ले सकती हैं।

जान-माल की हानि के अतिरिक्त, मामले के परवर्ती प्रभावों ने बड़ी मात्रा में क्षतिपूर्ति की ओर अग्रसर किया (जैसे – रुपया देना, बोइंग के शेयर भाव गिर जाना, माँग में गिरावट और यहाँ तक कि अमेरिका की जीडीपी पर दुष्प्रभाव)। इसका समाधान सरकार द्वारा नियुक्त विनियामकों को सामने लाना ही है। परंतु, अक्सर ही, जब विनियामक एवं सरकार भी समस्या के निदान में विफल रहते हैं, तब, यह राजकीय विफलता बन जाती है।

**बोध प्रश्न 3** (दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में लिखें।)

1) 'सार्वजनिक वस्तुओं' के मामले में 'बाज़ार विफलता' क्यों सामने आती है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सूचना विषमता 'बाज़ार विफलता' को किस प्रकार जन्म देती है। इसके दो प्रकारों की आमतौर पर किन नामों से जाना जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) सूचना विषमता की समस्या हेतु सुझाया गया समाधान क्या है? क्या यह हमेशा कारगर सिद्ध होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 2.4 राजकीय विफलता

विगत शताब्दी के अधिकांश भाग में, अर्थशास्त्रियों को न सिर्फ बाज़ार विफलता के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान रहा बल्कि उन्हें बाज़ार विफलताओं को दुरस्त करने के लिए सरकार की क्षमता में भी विश्वास रहा। शताब्दी के पूर्वार्ध में यह दृष्टिकोण अभिभावी रहा कि जब बाज़ार विफल रहते हैं तो कोई भी हितैषी एवं सक्षम सरकार वह कर सकती है जो उसे करना चाहिए अर्थात् बाज़ार विफलता को दूर कर सकती है। तब सरकार को एक 'काल पात्र' के रूप में देखा जाता था, जिसमें आदान होता था बाज़ार विफलता और परिणाम होता था दक्षता! यह किसी ऐसी सरकार के हाथों में बाज़ार विफलताओं की 'चिकित्सा' के रूप में देखे जाने का एक नियामक तरीका है जिसे वह सब करने में सक्षम होना चाहिए जो उससे अपेक्षित हो।

शताब्दी के मध्य से, अधिकाधिक विश्लेषण दक्ष सकारात्मक प्रश्न पर केंद्रित रहने लगा कि सरकार वस्तुतः किस प्रकार काम करती है; न कि इस नीतिशास्त्रिक प्रश्न पर कि उसे कैसे काम करना चाहिए। किए जाने वाले प्रश्न थे– (i) सरकार क्या है? (ii) वह कैसे तय होती है? (iii) जब वह सरकार में बैठे लोग निर्णय लेते हैं तो उनकी अभिप्रेरणाएँ क्या होती हैं? (iv) सरकार अपने निर्णय किस प्रकार लेती है? और अंततः (v) क्या यह सब दक्षता (यथा, क्षेम अधिकतमीकरण) की ओर ले जाता है? इस प्रश्न पर कि 'सरकार क्या है?; अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आधुनिक लोकतंत्रों में, सरकार चयनित राजनीतिज्ञों और नियुक्त अधिकारी-तंत्र से मिलकर बनती है। यह प्रतिपादित किया गया कि ये जन-समुदाय अन्य अभिकर्ताओं से भिन्न नहीं होते क्योंकि वे भी अपने निजी हितों को साधने में ही लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए, राजनीतिज्ञों का मुख्य उद्देश्य पुनः चुना जाना ही होता है। अतएव, एक संबद्ध और निर्णायक प्रश्न होता – 'मतदान प्रणालियाँ कैसे काम करती हैं और उनके परिणाम क्या होते हैं?' यह विश्लेषण एक रीतिबद्ध प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साथ शुरू हुआ, जिसने अध्ययन करने का प्रयास किया कि सामाजिक स्तर पर निर्णय ज्ञात करने के लिए वैयक्तिक अधिमानों को किस प्रकार एकत्र किया जाता है। यही था– 'सामाजिक चयन सिद्धांत' का मर्म।

### 2.4.1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र

प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत, नागरिक ही निर्णय लेते हैं। मान लीजिए कि एक 3000 मतदाताओं वाला छोटा-सा कस्बा है, जो कि तीन समूहों के समाज रूप से बँटा है – वृद्धजन, युवा माता-पिता व अन्य। कस्बे को एक परियोजना के लिए '100 करोड़ रुपये' खर्च करने पर निर्णय लेना है। माना कि विकल्प इन दो परियोजनाओं में से ही चुना जाना है – अस्पताल अथवा विद्यालय। इस स्थिति में विकल्प मतदान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर आसानी से चुना जा सकता है। इनमें से जिस प्रस्ताव को भी 50 प्रतिशत से अधिक मत मिलेंगे, उसे चुन लिया जाएगा। ऐसे लगभग हर मामले में, किसी निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। इसे 'बहुमत का नियम' कहा जाता है, जो कि तब काम करता है जब चयन केवल दो विकल्पों में से किया जाना हो। परंतु यदि विकल्पों की संख्या बढ़ाकर दो से अधिक कर दी जाए तो कुछ आधारभूत युक्तियुक्त सिद्धांतों को सहकालिक रूप से संतुष्ट करना संभव नहीं होगा। इसे देखने के लिए, आइए, तीसरी परियोजना को एक स्टेडियम के रूप में शामिल कर लेते हैं। अब तीन प्रकार के मतदाता अधिमान नीचे दी गई तालिका 2.3 के अनुसार होंगे।

**तालिका 2.3 : तीन विकल्पों के तहत निर्णय**

| अधिमान क्रम | वृद्धजन | युवा माता-पिता | अन्य |
|---|---|---|---|
| **प्रथम अधिमान** | अस्पताल | विद्यालय | स्टेडियम |
| **द्वितीय अधिमान** | स्टेडियम | अस्पताल | विद्यालय |
| **तृतीय अधिमान** | विद्यालय | स्टेडियम | अस्पताल |

यदि इन तीनों परियोजनाओं के लिए मतदान कराया जाता है तो मतदाता अपने प्रथम अधिमान व्यक्त करेंगे और प्रत्येक को 1000 मत मिलेंगे, यानी अनिर्णय की स्थिति। बहरहाल, यदि 'अन्य' समूह में से पाँच 'अस्पताल' के पक्ष में मत दे दें तो परियोजना का चयन 'फस्ट पास्ट द पोस्ट' नामक मतदान विधि से किया जा सकता है क्योंकि उसे ही सर्वाधिक संख्या में वोट मिले होंगे। परंतु यह बहुत अधिक वांछनीय स्थिति नहीं होगी क्योंकि लगभग दो-तिहाई मतदाताओं को अपने प्रथम अधिमान के रूप में अस्पताल नहीं रखा था। अतः, इससे बहुमत के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। इसके अलावा, यह अन्य परियोजनाओं के लिए मतदाता अधिमान को भी ध्यान में नहीं रखता। यह दोष दूर करने के लिए, हम एक ही समय पर किन्हीं दो परियोजनाओं को शुरू करने वाली मतदान प्रणाली चुन सकते हैं। मान लेते हैं कि प्रथम मत 'अस्पताल' अथवा 'स्टेडियम' के बीच एक विकल्प है जिसमें 2000 मतदाता (वृद्धजन एवं युवा माता-पिता) 'स्टेडियम'

की बजाय 'अस्पताल' पसंद करते हैं और 'अस्पताल' पहले दौर में विजित रहता है। यदि मतदान का दूसरा दौर 'अस्पताल' और 'विद्यालय' के बीच हो तो उस स्थिति में 'विद्यालय' चुना जाएगा जब 'युवा माता-पिता' व 'अन्य' 'अस्पताल' की बजाय 'विद्यालय' पसंद करेंगे। अब क्या हम 'विद्यालय' को विजेता घोषित कर सकते हैं? यदि मतदान 'विद्यालय' और 'स्टेडियम' के बीच होता है तो 'स्टेडियम' जीत जाएगा क्योंकि 'वृद्धजन' व 'अन्य' विद्यालय की बजाय इसे ही पसंद करते हैं? अतः, किसी युक्तियुक्त निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता है। यह विरोधाभास उस क्रम पर निर्भर नहीं करता जिसमें परियोजनाओं को मतदान के लिए 'जोड़ीवार' लिया जाता है।

तब क्या हम मतदान नियम को बदल सकते हैं? उदाहरण के लिए, प्रथम अधिमान को 3 अंक दिए जा सकते हैं, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। अब मतदाताओं को सभी परियोजनाओं पर अपने-अपने अधिमान घोषित करने को कहा जाता है। उक्त अंकों को तब मतों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। हमारे उदाहरण में, उक्त तीन समूहों में से 'अस्पताल' को मिलेंगे $(1000 \times 3) + (1000 \times 1) + (1000 \times 2)$ अंक। इस प्रकार के मतदान को **'बोर्डा काउंट'** कहा जाता है। परंतु, जैसा कि ऐरो (1951) द्वारा सिद्ध किया गया, किसी भी मतदान प्रणाली के तहत कोई भी 'युक्तिसंगत' परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं होता। ऐरो की प्रसिद्ध 'असंभावना प्रमेय' से यही परिणाम सामने आता है। ऐरो की प्रमेय कुछ स्वयंसिद्ध शर्तों से आरंभ होती है, जिन्हें 'अभिगृहीत' कहा जाता है। ये हैं – (i) मतदातागण विभिन्न विकल्पों पर स्पष्ट कोटिक्रम दर्शाते हैं और ये कोटिक्रम संक्रामी एवं अप्रतिबंधित होते हैं; (ii) किन्हीं भी दो परियोजनाओं का कोटि क्रम किसी तीसरे विकल्प के समावेशन अथवा अपवर्जन से प्रभावित नहीं होता; (iii) यदि कोई परियोजना किसी भी बदतर स्थिति में लाए बगैर किसी अन्य को बेहतर स्थिति में ला सकती हो तो उसे चुना ही जाना चाहिए; तथा (iv) सामाजिक कोटिक्रम किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में प्रमेय ने दर्शाया कि उक्त मान्यताओं के तहत ऐसे किसी भी सुसंगत सामाजिक विकल्प को व्युत्पन्न करना असंभव होता है जो कि एक ही समय पर दो से अधिक प्रकल्पों पर विचार करने पर चुना जा पाए। यदि किसी परियोजना को जोड़ीवार तुलना में प्रत्येक अन्य परियोजना से अधिक पसंद किया जाता है तो हम इसे 'कॉन्डोर्सेट विजेता' की संज्ञा देते हैं। ऐरो ने दर्शाया कि ऐसे मामलों में जहाँ 3 अथवा उससे अधिक विकल्पों से चुनने वाले 2 अथवा उससे अधिक मतदाता होते हैं तो हमें कोई सुसंगत परिणाम (यथा, कोई कॉन्डोर्सेट विजेता) तभी प्राप्त हो सकता है जब हम वैयक्तिक अधिमानों पर प्रतिबंध लगा दें। तदंतर, ब्लैक (  ) द्वारा यह दर्शाया गया कि यदि वैयक्तिक अधिमान पूर्णतः 'एकल-शीर्षस्थ' हों तो कोई सुसंगत परिणाम सैद्धांतिक रूप से संभव है। आइए, अपने छोटे-से कस्बे में अधिमानों को निम्नवत् बदल कर देखें (तालिका 2.4)।

**तालिका 2.4 : क्रमित जन अधिमान**

| अधिमान | वृद्धजन | अन्य | युवा माता-पिता |
|---|---|---|---|
| **प्रथम अधिमान** | अस्पताल | स्टेडियम | विद्यालय |
| **द्वितीय अधिमान** | स्टेडियम | विद्यालय | स्टेडियम |
| **तृतीय अधिमान** | विद्यालय | अस्पताल | अस्पताल |

उपर्युक्त कोटिक्रम में, हमने केवल 'युवा माता-पिता' के अधिमान को बदला है। यदि हम अधिमानों के दो समुच्चयों की तुलना आरेखीय रूप से देखें (चित्र 2.7) तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब अधिमान एकल शीर्षस्थ बन चुके हैं (पहले अधिमान $YP_1$, अब अधिमान $YP_2$)।

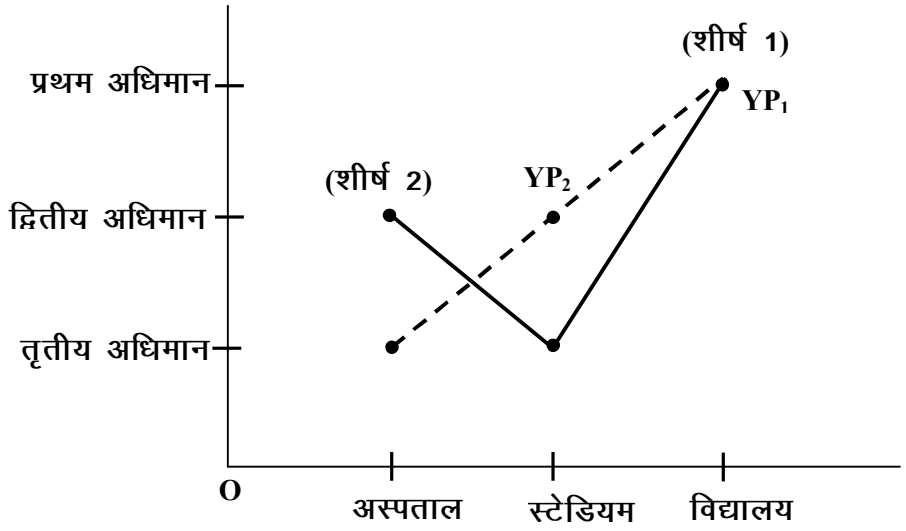


**चित्र 2.7 : परिवर्तित अनुक्रमण से एकल शीर्षस्थ अधिमान प्राप्त करना**

यहाँ दिया गया चित्र दर्शाता है कि उपयुक्त प्रतिबंधों के साथ, किसी सामाजिक विकल्प को ज्ञात करने हेतु वैयक्तिक विकल्पों को एकत्र कर कोई सुसंगत परिणाम प्राप्त संभव होता है। जोड़ीवार परियोजनाओं से शुरू कर हम 'संकर्मकता का निकष' नामक शर्त पूरी कर सकते हैं। हमारे उदाहरण में, इसका अर्थ है कि 'स्टेडियम' को 'विद्यालय' से अधिक वरीयता प्राप्त है, 'विद्यालय' को 'अस्पताल' से अधिक और 'स्टेडियम' को 'अस्पताल से भी अधिक। ध्यान दें कि ये परिणाम यथातथगतः वैसे ही हैं जो मध्य स्थित समूह चुनता है। 'एकल शीर्षस्थ' प्रतिबंध वस्तुतः एक महत्त्वपूर्ण प्रमेय की ओर अग्रसर करता है, जिसे 'माध्यिका स्थित मतदाता प्रमेय' कहा जाता है। इस प्रमेय के अनुसार, किसी एकल शीर्षस्थ अधिमान की स्थिति में, माध्यिका स्थित मतदाता ही निर्णयकारी कारक होता है। सरल शब्दों में, यदि 1001 मतदाताओं वाले किसी समूह को यह तय करना हो कि किसी घटना विशेष को मनाया जाए अथवा नहीं, 501वें मतदाता की पसंद ही परिणाम तय कर देगी! तद्नुसार, किसी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, कुछ विशिष्ट मान्यताओं के साथ, निर्णय लिया जा सकता है।

लेकिन क्या वह निर्णय दक्ष या प्रभावी होगा? अनिवार्यतः नहीं! ऐसा इसलिए है कि दक्षता क्षेम से संबंध रखती है, जिसे समाज की भुगतान तत्परता और समाज की लागत के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमारे पिछले उदाहरण में, माना 501 मतदाता किसी अवसर को मनाने का निर्णय लेते हैं। तब यह निर्णय उत्सव के पक्ष में होगा। माना 500 मतदाता उत्सव के खिलाफ है और कुछ भी चुकाने को तैयार नहीं है जबकि समर्थक प्रतिव्यक्ति 100 रुपये चुकाने को तैयार हैं। अतः, कुल WTP होगी– रु. 50,100। यदि समारोह की लागत रु. 1 लाख आती है तो परिणाम अदक्ष कहलाएगा क्योंकि लागतें WTP से अधिक हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसी कारण, प्रायः तब तक सुसंगत निर्णयों पर पहुँचने की संभावना प्रस्तुत नहीं करते जब तक कि वैयक्तिक अधिमान फलनों द्वारा कुछ शर्तें न पूरी हो जाएँ। यदि वे किसी सुसंगत निर्णय पर पहुँचते भी हैं तो यह सुनिश्चित नहीं कि निर्णय क्षेम अधिकतम करेगा ही।

## 2.4.2 प्रतिनिधिक लोकतंत्र

यह, बहरहाल, सत्य है कि अधिकांश लोकतंत्रों में निर्णय किसी नियत अवधि के लिए लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधियों द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार के परोक्ष लोकतंत्रों में, राजनीतिज्ञ एवं राजनीतिक दल लोगों के मत हासिल करने का प्रयास इस विचार के साथ नहीं करते कि वे क्षेम बढ़ाने वाली नीतियाँ बनाएँगे, बल्कि एकमात्र इस उद्देश्य के साथ करते हैं कि चुने जाने के बाद वे सत्ता का उपभोग करेंगे। राजनीतिज्ञ, किसी अन्य आर्थिक अभिकर्ता की भाँति ही, निज हित से दिशा-निर्देशित होते हैं न कि परहितवाद से। डाउन्स (1957) का कहना है कि 'पाटियाँ चुनाव जीतने के लिए नीतियाँ तैयार करती हैं, न कि नीतियाँ बनाने के लिए चुनाव जीतती हैं।'

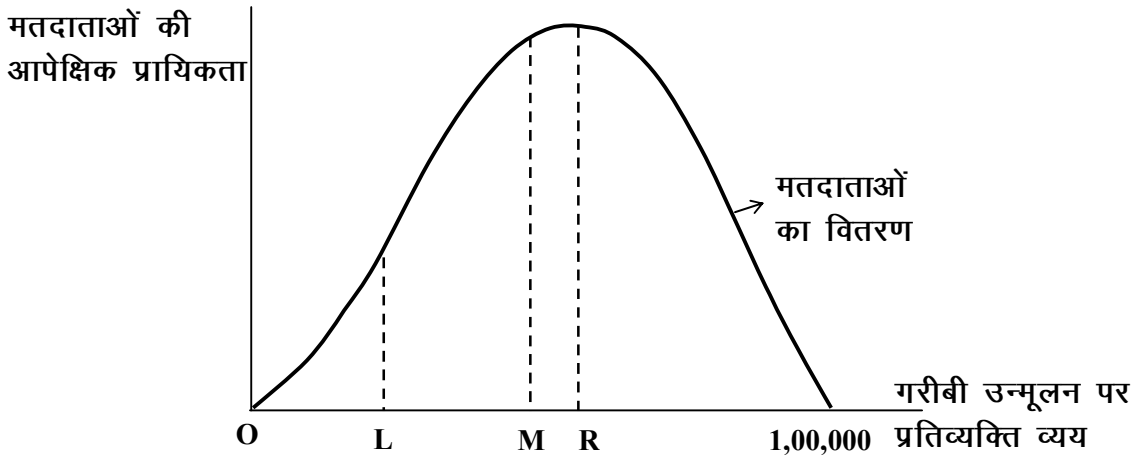


**चित्र 2.8 : प्रस्तावित व्यय स्तर के अनुसार मतदाताओं का वितरण**

यही वह बिंदु है जहाँ माध्यिक मतदाता प्रमेय प्रासंगिक हो जाती है। यदि कहीं दो दल (अथवा प्रत्याशी) हों और मतदान किसी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर हो (जैसे – गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर सरकारी खर्च की राशि), तो यहाँ माध्यिक मतदाता ही होगा जो चुनाव में निर्णायक मतदाता सिद्ध होगा। आइए, मतदाताओं की आपेक्षिक प्रायिकता को शीर्ष अक्ष पर और उक्त कार्यक्रम पर खर्च किए जाने वाले प्रति व्यक्ति धन की राशि क्षैतिज अक्ष पर दर्शाएँ (चित्र 2.8)। चूँकि यहाँ केवल दो ही दल हैं, इनमें से एक दल को जीतने के लिए पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने ही होंगे। राशि M वितरण को समान अर्धांशों में बाँटती है। तद्नुसार, यह स्पष्ट है कि जीतने के लिए, किसी भी राजनीतिक दल को M के निकट किसी व्यय स्तर, जैसे R, का वायदा करना होगा, न कि ऐसे किसी स्तर का जो M से दूर हो, जैसे L, राजनीति दल, इसीलिए, चुनाव जीतने के लिए M, का वायदा करने की ओर आकर्षित होंगे। दूसरे शब्दों में, दल चुनाव जीतने के लिए नीतियाँ बनाने को बाध्य होते हैं [न कि इसका विपरीत]।

जैसा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण में था, यहाँ भी यह सुनिश्चितता नहीं है कि व्यय का यह स्तर (R) क्षेम अधिकतमीकारी होगा। ऐसा इसलिए है कि यह वस्तुतः समाज की भुगतान तत्परता और परियोजना अथवा कार्यक्रम की लागत पर निर्भर करता है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी, अतएव, इस अर्थ में एकाधिपत्य के दोष से पूरी तरह मुक्त नहीं होते कि वे भी फिजूल खर्ची में लिप्त पाए जाते हैं। अक्सर ही, वे प्रतिमाएँ, सबसे ऊँची इमारत, ओलम्पिक खेलों के लिए निविदा, आदि आडंबरपूर्ण योजनाओं में हाथ डाले रहते हैं, बेशक अर्थव्यवस्था के हालात बहुत अच्छे न हों। इसके अलावा, माध्यिका स्थित मतदाता प्रमेय तब वैध नहीं होगी जब उसकी निहित मान्यताओं की अवहेलना की जाए। ऐसी मान्यताओं में प्रथम है – मतदान किसी एकल आयाम अथवा मुद्दे पर (जैसे– गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली राशि पर हो)। परंतु वास्तव में, चुनाव रक्षा, असमानता, सामाजिक सुरक्षा, आदि एकाधिक आयामों पर लड़े जाते हैं, जिनमें सहसंबद्ध होना अनिवार्य नहीं होता। दूसरी मान्यता यह है कि केवल दो ही प्रत्याशी होते हैं, जिसका उल्लंघन भी अधिकांशतः किया जाता है। तीसरी अव्यक्त मान्यता यह है कि राजनीतिज्ञों को मतदाता अधिमान के वितरण विषयक पूरी जानकारी होती है, जो कि संभवतः पूर्णरूपेण सत्य न हो। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उल्लंघन इस तथ्य से होता है कि अनेक विषयेतर मुद्दे (मतदाता अधिमान के सिवा) भी होते हैं जो राजनीतिज्ञों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक है – चुनाव लड़ने के लिए धन। चुनाव बहुत खर्चीले होते हैं क्योंकि इनमें शामिल होते हैं मीडिया विज्ञापन, पोस्टर, परिवहन, जनशक्ति संघटन, वायु परिवहन, आदि। उदाहरण के लिए, एक अनुमान के अनुसार, भारत में वर्ष 2019 के आम चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा लगभग 60,000 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ अर्थात् लगभग 100 करोड़ रुपये प्रति संसदीय चुनाव क्षेत्र, विजेता दल को, ज़ाहिर है, अधिक खर्च करना पड़ता है; उसने, दरअसल, अन्य सभी दलों के खर्च के बराबर राशि खर्च की। यह स्थिति भारत में कोई अनोखी नहीं है। वर्ष

2000 में, अमेरिकी चुनावों के विजेता के खर्च का आकलन भी बताता है कि उसने जीतने के लिए 18.5 करोड़ डॉलर खर्च किए थे। स्पष्टतः राजनीतिक निधिकरण का इतना विशाल परिमाण केवल अति धनाढ्य लोगों से ही आ सकता है। अमीर व्यापार एवं औद्योगिक घराने, इसीलिए, नीति को प्रभावित करने में भरपूर अपेक्षित शक्ति रखते हैं। वे राजनीतिज्ञों के करीबी बन जाते हैं और यदि इस प्रकार के संबंधों पर नियंत्रण नहीं रखा जाता तो यह प्रायः 'यारों का पूँजीवाद' बन जाता है, जहाँ नीतियाँ समाज-हित के लिए नहीं बल्कि मालदार के दुराग्रही हितों के लिए बनाई जाती हैं। धन के अलावा, विचारधारा भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे नीतियाँ सामाजिक अधिमानों से भटक जाती हैं।

उपर्युक्त की एक उपप्रमेय यह है कि नीतियाँ कुछ कारणों से प्रतिनिधिक लोकतंत्रों में शायद सुसंगत न होती हों, जैसे – एकल शीर्षस्थता का अभाव, माध्यिक मतदाता प्रमेय की मान्यताओं का उल्लंघन, धन की भूमिका, आदि। इस बात के साक्ष्य हैं कि नव-निर्वाचित शासन-व्यवस्थाएँ प्रायः पूर्व शासन-व्यवस्थाओं द्वारा शुरू की गई कुछ नीतियों को निरस्त कर देती हैं, बेशक निर्वाचक वर्ग द्वारा उन्हें पसंद किया जाता हो।

अंततः, प्रतिनिधि वर्ग एक गुण और भी दर्शाता है जिसे 'राजनीतिक व्यापार चक्र' कहा जाता है। चूँकि पदस्थ सरकार का मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्वाचित होना होता है, वह चुनावों से पूर्व लोक लुभावक योजनाओं पर खर्च करती है। चुनावों के बाद बजट प्रतिबंध कड़े कर दिए जाते हैं और नीति का प्रवाह चुनावों में पैसा लगाने वालों के पक्ष में हो जाता है। यह, निश्चय ही, नॉर्धास द्वारा प्रस्तावित परंपरागत राजनीतिक व्यापार-चक्र नहीं है, परंतु यह किसी विकासशील देश में लोकतंत्र के संदर्भ में उस सिद्धांत का भावार्थ अवश्य बताता है। राजनीतिक व्यापार-चक्र सिद्धांत के पक्ष में पर्याप्त आनुभविक साक्ष्य मिलते हैं। ये उन क्षेम अधिकतमकारी नीतियों से व्यापक पलायन की ओर इशारा करते हैं जो सरकार द्वारा अपनाई जानी चाहिएं। दूसरे शब्दों में, सरकार में आसीन राजनीतिक दल दक्षता की बजाय स्व-हित को प्राथमिकता देते हैं।

### 2.4.3 अधिकारी-तंत्र और अदक्षता

लोकतंत्रों में अधिकारी-तंत्र अर्थात् नौकरशाही को प्रशासन का एक अपेक्षाकृत स्थायी प्राधार माना जाता है, यद्यपि राष्ट्रपति शासन में, शीर्ष स्तर सरकार के साथ बदल सकता है। अधिकारी-तंत्र के कार्य हैं– (i) अधिनियम (कानून) और सरकार की नीतियाँ क्रियान्वित करना; (ii) अधिनियमों के अधीन नियम-विनियम बनाना; और (iii) सार्वजनिक एवं हित-वस्तुओं के प्रावधान से विनियामक एवं विकास भूमिकाएँ अमल में लाना। इसमें प्रायः अधिकारियों का कोई स्थायी समूह होता है।

सार्वजनिक वस्तुएँ एवं सेवाएँ मुहैया कराने में अधिकारी-तंत्र कितना दक्ष होगा – यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर 'एन इकॉन्मिक थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी' (निस्कैनन द्वारा विकसित) में मिलता है। यद्यपि यह सिद्धांत अमेरिका के प्रसंग में विकसित किया गया, जहाँ अधिकारी-तंत्र भारत से कुछ भिन्न है, कुछ फेरबदल के साथ इसके युक्तियुक्त विचार का संबंध भारतीय प्रसंग से जोड़ा जा सकता है। आइए, एक नगरपालिका व कूड़ा-करकट निराकरण, अपशिष्ट निपटान एवं स्वच्छता का कार्यभार सौंपे गए उसके विभाग का उदाहरण लेते हैं। सरकारी महकमों में, निजी क्षेत्र से भिन्न, उत्पादन की सीमांत लागत पर किंचित् ही ध्यान दिया जाता है। यदि विभाग दर्शाता है कि और अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है तो वह और अधिक बजट नियतन के लिए कह सकता है। अधिकारी, इसीलिए, एक बजट अधिकतमकारी अभिकर्ता ही है। जितना अधिक बजट होगा उतनी ही अधिक शक्ति उस अधिकारी के हाथ में आ जाएगी और कहीं अधिक प्रतिष्ठा, सुविधाएँ एवं कर्मचारी वर्ग उसके अधीन होंगे। उक्त विभाग, उत्पादन को एक ऐसे बिंदु पर धकेल देगा जहाँ MSB औसत लागत के बराबर होगा न कि सीमांत लागत के बराबर (चित्र 2.9)। मान लेते हैं कि MSB एक वास्तविक लाभ है जो कि निकाय के आलाकमान को ज्ञात ही नहीं है। विभाग के प्रमुख, जो बजट अधिकतम करने में रुचि रखते हैं, $Q_B$ मात्रा प्रस्तुत करेंगे, न कि $Q_e$ की क्षेम अधिकतमकारी मात्रा। क्षेम हानि, जैसा कि पहले भी था, क्षेत्र TSR दर्शाता है।

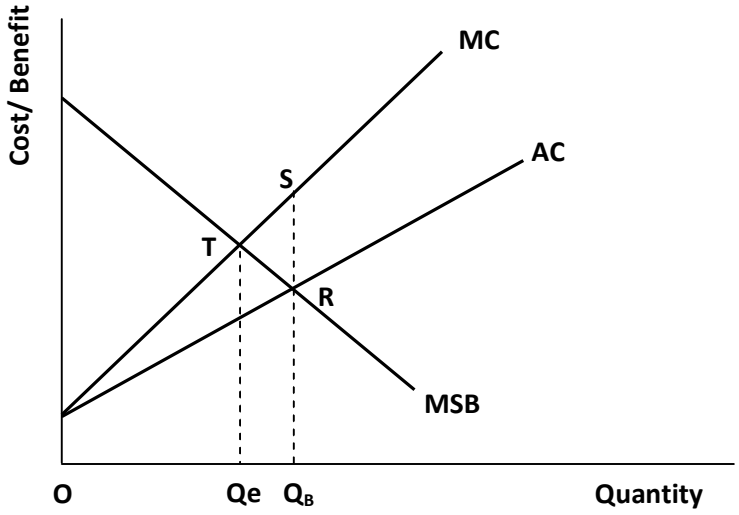


**चित्र 2.9 : नौकरशाही का लागत-लाभ परिदृश्य**

अधिकारी-तंत्र विनियामक अभिकरणों का प्रबंधन एवं सरकार के प्रकार्य भी करता है। यहाँ भी, राजकीय विफलता दृष्टिगत होती है – 'विनियामक प्रग्रहण' एवं 'किराया-अपेक्षा' संबंधी सिद्धांतों के लिहाज से। मिसाल के लिए, दूरसंचार क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि दूरसंचार कंपनियाँ कॉल दरों में मामूली बढ़ोतरी के लिए विनियामक के पास जाती हैं। उपभोक्ता वर्ग का अधिकांश बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ जाने के झमेले में नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक को पड़ी लागत बहुत बड़ी नहीं है। इसके अलावा, विनियामक के पास जाना और बढ़ोतरी के खिलाफ कोई मामला पेश करना व्यक्तियों के लिए महँगा पड़ता है क्योंकि इसके लिए उन्हें आँकड़े एकत्र करने होते हैं, केस तैयार करना होता है, बिखरे हुए उपभोक्ताओं को संघटित करना होता है, इत्यादि। फिर लाभ वैयक्तिक उपभोक्ताओं को पड़ने वाली लागतों के मुकाबले बहुत कम होता है। परंतु दूरसंचार संचालकों का लाभ करोड़ों रुपयों में जा सकता है (बेशक शुल्क थोड़ा-सा ही बढ़े)। इससे लेखाकार, वकील, जनसंपर्क अभिकरण, आदि संघटित होकर विनियामक के समक्ष एक सशक्त केस रखेंगे। विनियामक के समक्ष अब होंगे– संचालकों की ओर से एक सशक्त केस और उपभोक्ताओं की ओर से एक कमज़ोर अथवा अविद्यमान केस, जो कि शुल्क दर बढ़ाने के पक्ष में ही जाने वाला है। यह एक 'विनियामक प्रग्रहण' का उदाहरण है। विनियामक प्रग्रहण के मामले को उस वक्त अवलंब मिल जाता है जब हम देखते हैं कि विनियामक के पास स्टाफ कम है, विशेषज्ञता का अभाव है और प्रायः निश्चय ही कार्रवाइयों एवं लागतों की जानकारी का अभाव है, जो कि दूरसंचार कंपनियों के पास भरपूर होंगे। इसे विनियमन की दक्षता को क्षति पहुँचाती विषम सूचना का उदाहरण भी माना जा सकता है। यहाँ स्मरण करें – भाग 2.3.4 में आए बोइंग 737 मैक्स के संबंध में उल्लिखित विनियामक विफलता का उदाहरण।

कभी-कभी, सरकारी नीतियाँ वास्तव में एकाधिकारों के सृजन एवं सातत्य में मदद करती हैं (क्योंकि राजकीय नियंत्रण प्रायः अभाव पैदा कर देते हैं)। इस प्रकार की स्थितियाँ 'किरायों' की शुरुआत की ओर अग्रसर कर देती हैं। फर्में प्रायः इस 'किराए' का प्रग्रहण करने का प्रयास करती हैं। ये फर्में 'किराए' का प्रग्रहण करने अथवा सरकारी नीति को 'किराया' लगाए जाने की दिशा में ले जाए जाने के लिए जनसंपर्क एवं विज्ञापनों का प्रयोग करने, लॉबी करने और यहाँ तक कि रिश्वत देने का भी प्रयास कर सकती हैं। कुछ लोग, इसीलिए, अत्यधिक प्रतिबंधात्मक कानूनों को 'पैसा कमाने का जाल' कहते हैं। 'मद्यनिषेध' ने, उदाहरण के लिए, अमेरिका में विधि-विरोधी गुट अर्थात् माफिया को जन्म दे दिया। उदारीकरण-पूर्व भारत में लाइसेंस और परमिट राज ने गंभीर अदक्षताओं को जन्म दिया था क्योंकि आर्थिक अभिकर्ता उत्पादन की बजाय किराया-अपेक्षा में पैसा और प्रयास लगाते हैं। मैक्सिकन दूरसंचार एक अन्य प्रासंगिक उदाहरण है। किराया-

अपेक्षी क्रियाकलाप, इसीलिए, भ्रष्टाचार से निकट का संबंध रखते हैं जब प्रतिबंधी कानून किसी नौकरशाह को अत्यधिक स्वैच्छ अधिकार प्रदान कर देते हैं तो उसे भ्रष्ट हो जाने का अवसर मिल जाता है। यह बात राजनीतिज्ञों पर भी लागू होती है। यदि किसी अधिकारी/बाबू को लगता है कि घूस बड़ी है और पता लगने और सज़ा होने के अवसर कम, तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। यह निवेश, संवृद्धि और आय वितरण को प्रतिकूलतः प्रभावित करता है। अनेक अध्ययनों में आकलित की गई लागतें बहुत विशाल पाई गई हैं।

अंततोगत्वा, सरकार ने विस्तार की प्रवृत्ति दर्शाई है। राजनीतिज्ञ और अधिकारी-तंत्र संसाधनों पर 'अधिकार एवं नियंत्रण' नहीं छोड़ना चाहते। इसके अलावा, यदि सरकार में अधिक लोग रखे जाते हैं तो कर्मचारियों का हिसाब-किताब रखने, उनकी वेतन प्रक्रिया, आदि के लिए और अधिक लोग रखने पड़ते हैं। अतः, अधिकारी-तंत्र विस्तार करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। वे अर्थशास्त्री जो शासकीय विफलता की बात करते हैं, इसीलिए, संविधान अथवा किसी कानून में उसके विस्तार पर प्रतिबंध लगाकर सरकार के आकार पर काबू रखने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत ने राजकोषीय सुधार एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया, जिसका अभिप्राय है – सरकार के विस्तार पर गति-अवरोधक लगाना।

## 2.5 सारांश

बाज़ार विफलता बाह्यता, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक वस्तुओं एवं विषम सूचना के कारण उत्पन्न होती है। इन सभी मामलों में, उत्पादन इष्टतम स्तर से दूर ही रहता है। आदर्शतः, सरकार को दक्षतापूर्णक काम करने के लिए बाज़ारों को सक्षम बनाते हुए आगे आने और असंगतियाँ दूर करने में कुशल होना चाहिए। बहरहाल, सरकार में भी ऐसे अभिकर्ता होते हैं जिनका ध्यान समाज-क्षेम की कीमत पर अपने व्यक्तिगत लाभ अधिकतम करने पर ही रहता है। इस प्रकार, अक्सर ही, सरकार भी विफल ही रहती है। बाज़ार एवं शासकीय विफलता संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए सफलता के विविध स्तरों के साथ हित-वस्तुओं के उपभोग को बढ़ावा देने हेतु अर्थसाहाय्य, सरकार द्वारा उत्पादन, कीमत एवं मात्रा पर सीमा-निर्धारण, आदि विभिन्न साधन बताए जाते हैं।

## 2.6 शब्दावली

**बाह्यता** : वह स्थिति जिसमें सीधे लिप्त लोगों के सिवा समाज के अन्य सदस्य भी सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।

**अमिश्रित सार्वजनिक वस्तुएँ** : वे वस्तुएँ जो ग़ैर-प्रतिस्पर्धा एवं गैर-अपवर्ज्यता की दोहरी शर्तों को सहकालिक रूप से पूरा करती हैं।

**बाज़ार विफलता** : वह स्थिति जिसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार के किसी एक अथवा अन्य कारकों के उल्लंघन के कारण उत्पादन इष्टतम स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

**शासकीय विफलता** : वह स्थिति जिसमें भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही अदक्षता जैसे कारकों के कारण सरकार का हस्तक्षेप अदक्ष अर्थात् निष्प्रभावी होता है।

## 2.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) John Rawls (1971). *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press.

2) R Nozic (1974). *Anarchy, State and Utopia*, New York: Basic Book Inc.

3) Richard A. Musgrave (1982). *The Theory of Public Finance* International Student Edition.

## 2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

**बोध प्रश्न 1**

1) 'दक्षता' का अर्थ होता है – 'क्षेम' का अधिकतमीकरण। दूसरे शब्दों में 'उत्पादन लागत' और WTP के बीच अंतर कम से कम होना चाहिए।

2) (i) फर्मों के सरल प्रवेश एवं विकास से पहचान प्राप्त तुलनात्मक गुणवत्ता वाली सजातीय वस्तुएँ प्रस्तुत करने वाली फर्मों की बड़ी संख्या होना; (ii) उत्पाद, कीमत एवं प्रौद्योगिकी के विषय में पूर्ण जानकारी; तथा (iii) उत्पादन के उपादानों एवं उपभोक्ताओं का निर्मुक्त आवागमन।

3) इसका अर्थ है – समाज को पड़ने वाली वह लागत जब उत्पादित मात्रा इष्टतम से कम हो। आरेखीय रूप हो, यह चित्र 2.1 में क्षेत्र RST है।

**बोध प्रश्न 2**

1) (i) बाह्यता, (i) अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, (iii) सार्वजनिक वस्तुएँ और (iv) विषम सूचना।

2) समाज उत्पादनकर्ताओं को पड़ी लागत की अपेक्षा अधिक लागत झेलता है। प्रभावतः, इष्टतम कीमत P* (पूर्ण बाज़ार दशा में अभिभावी) अदक्ष हो जाता है।

3) (i) वनों का काम होना, (ii) भूमंडलीय तापन, (iii) ओज़ोन अवक्षय।

4) (i) भूजल पुनःभरण, (ii) प्राथमिक शिक्षा, (iii) प्रतिरक्षीकरण। यह MBS (समाज को सीमांत लाभ) MBP (निजी सीमांत लाभ) की अपेक्षा अधिक रखकर काम करती है।

5) (i) प्रति-एकाधिकार कानून, (ii) कीमत नियंत्रण, (iii) राजकीय उद्यम।

**बोध प्रश्न 3**

1) इसलिए कि, मुफ्त सवारी के कारण उत्पादित मात्रा इष्टतम से कम होती है।

2) उत्पादन इष्टतम से कम प्रस्तुत करके। यह सभी पक्षों को प्राप्त 'पूर्ण सूचना' के उल्लंघन का स्पष्ट उदाहरण है। आचारिक संकट तथा प्रतिकूल चयन।

3) विनियामक गठित करना। नहीं, इसकी अपनी सीमाबद्धताएँ हैं जो शासकीय विफलता के मुद्दे की ओर ले जाती हैं।

# इकाई 3 समता और न्याय

**संरचना**


3.0 उद्देश्य

3.1 विषय प्रवेश

3.2 राज्य के आदर्शमूलक सिद्धांत
- 3.2.1 बॅकनन का सिद्धांत
- 3.2.2 कोम का सिद्धांत

3.3 न्याय के सिद्धांत
- 3.3.1 रॉल्स का सिद्धांत
- 3.3.2 नॉज़िक का सिद्धांत

3.4 समता

3.5 व्यवहारात्मक लोक अर्थशास्त्र
- 3.5.1 बाज़ार परिणामों की सीमाएँ
- 3.5.2 परिबद्ध विवेकशीलता एवं अभिव्यक्त अधिमान

3.6 सार-संक्षेप

3.7 शब्दावली

3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत


## 3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप इस योग्य होंगे कि :

- किसी अर्थव्यवस्था में समता एवं न्याय स्थापित करने की दिशा में सरकार की चार प्रमुख भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकें;
- दर्शा सकें कि उत्पादन एवं उपभोग क्रियाकलापों में विकृतियाँ दूर करने में 'सरकारी हस्तक्षेप' किस प्रकार अतिमहत्त्वपूर्ण होता है;
- बॅकनन के 'संविदात्मक सिद्धांत' का तर्काधार स्पष्ट कर सकें;
- कोम के 'उदारवादी सामाजिक संविदा' सिद्धांत में दिए गए तर्कों पर प्रकाश डाल सकें;
- रॉल्स के 'न्यास-सिद्धांत' के मुख्य तर्कों को निरूपित कर सकें;
- नॉज़िक के 'वैधानिक अधिकार सिद्धांत' और 'वितरण में न्याय' सिद्धांत का वर्णन कर सकें;
- 'समता' की संकल्पना पर चर्चा कर सकें;
- 'व्यवहारात्मक लोक अर्थशास्त्र' की रूपरेखा चित्रित कर सकें;
- मुक्त बाज़ार के दक्षता दावों की 'सीमाएँ' बता सकें; तथा
- 'परिबद्ध विवेकशीलता' और 'अभिव्यक्त अधिमान' पर टिप्पणी लिख सकें।

## 3.1 विषय प्रवेश

किसी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था' के लिए, उसे एक क्षेमकारी राज्य मानते हुए 'सामाजिक क्षेम' के अधिकतमीकरण हेतु सरकारी हस्तक्षेप का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता होती है। तथापि, सामाजिक क्षेम के अधिकतमीकरण का अर्थ सामाजिक न्याय होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण, सामाजिक क्षेम के अतिरिक्त 'समता एवं न्याय' का अध्ययन किए जाने की भी प्रासंगिकता होती है। एक आर्थिक दृष्टिकोण से, राज्य के हस्तक्षेप को उसकी विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है; यथा – (i) नियतनकारी, (ii) वितरणात्मक, (iii) स्थैर्यकारी, एवं (iv) नियामक भूमिकाएँ। किसी भी क्षेमकारी राज्य में, सरकार को राजकोषीय दायित्व को सामाजिक क्षेम के अधिकतमीकरण की ओर अग्रसर करने वाला माना जाता है। यह सामाजिक-आर्थिक प्राधार के उत्पादन अथवा प्रावधान यथा, सामाजिक अतिरिक्त पूँजी के सृजन, हेतु सार्वजनिक व्यय के नियतन के माध्यम से हासिल किया जाता है। इसमें निम्नलिखित तीन चरण शामिल होते हैं –

(क) संसाधन संरोध ज्ञात होने पर, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच संसाधनों का दक्ष प्रयोग;

(ख) 'अधिकतम सामाजिक लाभ' के सिद्धांत पर आधारित बजट के इष्टतम आकार का निर्धारण; तथा

(ग) 'सामूहिक चयन' के लिहाज से 'वैयक्तिक अधिमानों' के माध्यम से (उत्पादन अथवा प्रावधान हेतु) विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की वरीयताओं का निर्धारण। किसी भी लोकतंत्र में, जहाँ सत्ताधारी दल सत्ता में बने रहने के लिए जनसाधारण के मतों पर निर्भर करता है, सरकार बजटीय नियतन द्वारा जन-समर्थन हासिल करने का प्रयास करती है। इसका अर्थ है कि सरकार के उपलब्ध एवं संभावित संसाधन उन सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए नियत किए जाएँगे जो अधिकतम जनसंख्या को संतुष्ट करते हुए 'लोक चयन' या 'जनता की पसंद' के अनुरूप हों।

अपनी 'वितरणात्मक भूमिका' में, सरकार 'सामाजिक न्याय' संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभिलक्षित 'समता' संबंधी लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करती है। पुनश्च, अपनी बजटीय नीति के माध्यम से, सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संघर्षरत् रहकर अमीर और गरीब के बीच विषमता को दूर करने का प्रयास करती है। 'स्थैर्यकारी भूमिका' राज्य की अर्थव्यवस्था को अत्यानुकूल बनाने तथा उसके आर्थिक मूल को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। यह संसाधन जुटाने एवं प्रभावी व्यय प्रबंधन की राजकोषीय नीति के अनुसार चलती है। यह घाटों को स्थिर करके, ऋण को धारणीय बनाकर और अर्थव्यवस्था के लिए अधिकतम संवृद्धि हासिल करके राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन हेतु प्रयास करती है। अंततः, 'नियामक भूमिका' आर्थिक नीतियाँ निरूपित करने व उनके प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन पर अभिलक्षित होती है ताकि राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। यह नियम, विनियम, मापदंड एवं दिशा-निर्देश तैयार कर बेहतर प्रशासन प्रदान करने पर भी अभिलक्षित होती है।

## 3.2 राज्य के आदर्शमूलक सिद्धांत

'बाज़ार विफलता' के दौर में सरकारी हस्तक्षेप वांछित होता है। सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में, (क) उपभोग में अप्रतिद्वंद्विता, और (ख) सुलभता में गैर-अपवर्ज्यता संबंधी अपने अभिलक्षण के कारण फ्री-राइडर अर्थात् मुफ्तख़ोरी समस्या बढ़ती है। दक्षता के दृष्टिकोण से, 'मुफ्तख़ोरी' की समस्या को काबू किया ही जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि सरकार किसी सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन का काम हाथ में लेती है, जबकि उसके प्रयोग से किसी को रोका नहीं जाएगा, तो प्रयोगकर्ताओं द्वारा एक निश्चित

भुगतान होना चाहिए। तद्नुसार, यदि किसी 'वस्तु' को एक 'सार्वजनिक वस्तु' के रूप में मुहैया कराया जाता है तो किसी व्यक्ति को उसके लिए भुगतान न किए जाने पर उसके उपभोग से अपवर्जित भी किया जा सकता है। यदि ऐसी वस्तुओं को निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित किया जाना हो तो सरकार द्वारा लागत-साझेदारी होनी चाहिए। अन्यथा, निजी क्षेत्र के पास इस प्रकार की वस्तुएँ उत्पादित करने हेतु आगे आने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। सामाजिक क्षेम के दृष्टिकोण से, सरकार को ऐसी सार्वजनिक वस्तुएँ स्वयं उत्पादित कर अथवा लागत साझेदारी जैसे कुछ सार्वजनिक व्यय उपगत कर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अतएव, जनोपयोगी सेवाओं के मामले में, 'सीमांत लागत (MC) कीमत निर्धारण' नीति को अपनाए जाने से निजी फर्मों को हानि उठानी पड़ती है। केवल उनका 'औसत लागत' (AC) पर कीमत निर्धारण करके, और 'AC – MC' के अंतर की प्रतिपूर्ति करके, ही सरकार निजी क्षेत्र से सार्वजनिक अथवा व्यापक उपभोग हेतु ऐसी जन-सेवाओं के उत्पादन में शामिल होने की अपेक्षा कर सकती है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी कुछ सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के मामले में, यदि सरकारी हस्तक्षेप न हो तो गंभीर अल्पभोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जबकि यह सत्य है कि एक शिक्षित व्यक्ति अत्यधिक निजी सुविधा अथवा हितलाभ प्राप्त करता है, शिक्षित व्यक्तियों से समाज को विशाल सकारात्मक अधिप्लव अर्थात् छलकाव भी प्राप्त होता है। परंतु लोग संभवतः अल्पभोग में परिणत होने वाले अपने सामाजिक-आर्थिक कारणों की वजह से अपनी शिक्षा जारी रखने के इच्छुक न हों। सरकार को शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने के साथ-साथ नाम लिखवाने व दीर्घावधि लाभ लेने हेतु अन्य प्रोत्साहन प्रस्तुत करने के लिए भी सार्वजनिक व्यय उपगत कर ऐसी वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहित करना पड़ता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी विशेष गुण वस्तुओं, अर्थात्, हितकर वस्तुओं में निजी एवं सार्वजनिक दोनों वस्तुओं के अभिलक्षणों का सम्मिश्रण देखा जा सकता है। इस प्रकार, सरकार की भूमिका में कुछ वस्तुओं के अति-उत्पादन को घटाना भी शामिल है, जिनमें समाज पर नकारात्मक अधिप्लव प्रभाव प्रवृत्ति होती है (उदाहरणार्थ, पर्यावरणीय एवं सामाजिक लागत की दृष्टि से), और साथ ही, विशेष गुण-वस्तुओं के अल्पभोग की ओर भी। अवगुण-वस्तुओं (जैसे, सिगरेट) के लिए, सरकार उनके उत्पादन अथवा उपभोग को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाती है अथवा कर वसूलती है।

### 3.2.1 बॅकनन का सिद्धांत

बॅकनन यह नहीं मानते कि राजनीतिक प्रक्रिया महज आय का वितरण करने के लिए काम करती है क्योंकि इसमें विभिन्न दबाव समूह शामिल होते हैं, जो कि अन्य लोगों को हानि पहुँचाकर अपनी निजी आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास करते है। किसी वास्तविक वांछित दशा का अनुभव करने के लिए, महज आय का विवरण ही काफी नहीं होता, समाज में आय का पुनर्वितरण होना चाहिए। बॅकनन आय-भिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए चार महत्त्वपूर्ण कारकों को स्पष्ट रूप से देखते हैं – विकल्प, भाग्य, प्रयास एवं जन्म। चौथा कारक 'जन्म' लोगों की उन अक्षयनिधियों में अंतर बतलाता है जो उनके नियंत्रण से बाहर होती हैं। असमान आय-वितरण के रूप में अक्षयनिधियों के वितरण में पक्षपात को ध्यान में रखते हुए, बॅकनन राज्य की भूमिका को न्यायसंगत ठहराने के लिए तीन अलग-अलग संस्थाओं के गठन का विधान करते हैं। ये संस्थाएँ हैं – (i) अंतर-पीढ़ी वित्तीय अंतरणों का कराधान; (ii) सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित शिक्षा-व्यवस्था; तथा (iii) रोज़गार के अवसरों में भेदभाव को कम करने अथवा उसका परिहार करने हेतु नियम-संहिता।

आरंभ (यथा, जन्म के तुरंत बाद) से ही बच्चे को अपनी अक्षयनिधियों की असमानता पर टिकी पारिवारिक सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में अंतर पर आधारित समाज में पक्षपात का सामना करना पड़ता है। इस प्रसंग में, किसी परिवार में पूर्व पीढ़ी की संचित धन-सम्पत्ति महत्त्वपूर्ण होती है। ऐसा इसलिए है कि उत्तराधिकार के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी

अमीर हो जाती है जो कि वर्तमान में उसकी अर्जित आय की वजह से नहीं होता। अतएव, समता अर्थात् निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, बर्कॅनन वित्तीय अंतरणों अंतर्पीढ़ी का कराधान विहित करते हैं। मानव विकास के साथ-साथ मानव संसाधन विकास भी ज्ञान एवं कौशल विकसित कर एक शालीन जीविका में योगदान देता है। मानव विकास में आते हैं – साक्षरता, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं समाज में (व्यक्तियों के लिए न्यूनतम स्तर पर वांछित) जीवन-स्तर। मानव संसाधन विकास समाज में पक्षपात मिटाने से संबंध रखता है ताकि किसी व्यक्ति के सापेक्ष लाभ में (ज्ञान एवं कौशल-निर्माण के लिहाज से) वृद्धि की जा सके। यह लक्ष्य उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास में अधिक सार्वजनिक निवेश से हासिल किया जा सकता है। उच्च-शिक्षा प्राप्ति के माध्यम से बेहतर अर्जन को सरल बनाकर मानव क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित शिक्षा-प्रणालियाँ इस प्रकार अभिकल्पिक की जाएँ कि निर्धन वर्ग से आने वाले छात्रों को अवश्य ही अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसके अंतर्गत, समाज में समता हासिल करने की दिशा में जाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप निर्णायक रूप से वांछित होता है।

बॅकनन योग्यता के आधार पर सभी के लिए रोज़गार के अवसरों में समानता के पक्षधर हैं। तथापि, सामाजिक रूप से अलाभांवित वर्ग के लिए, वह राज्य से सहायता का विधान करते हैं ताकि उस वर्ग के लोग उस रोज़गार-बाज़ार में प्रतिस्पर्धा हेतु स्वयं को समर्थ बना सकें जहाँ किसी भी पूर्वाग्रह अथवा पक्षपात के बिना रोज़गार प्राप्त करने हेतु अवसर में समानता हो। जोखिमों से बचने के लिए, बॅकनन एक संस्था स्वरूप बीमा के पक्षधर हैं। यह विपत्तिकाल में क्षतिपूर्ति द्वारा राहत दिलाने में मदद करेगा, बशर्ते पॉलिसी पहले ही खरीद ली गई हो और उसके लिए देय किश्तों का भुगतान कर दिया गया हो। अतएव, एक संस्था स्वरूप बीमा अनिश्चित विपत्तियों के परिणामस्वरूप निर्धनता की ओर धकेले जाने से बचाते हुए समाज में समता स्थापित करने में मदद करता है। उपर्युक्त सभी पहलुओं में, बॅकनन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादकर्ता स्वरूप और हस्तक्षेप एवं विभिन्न निजी पक्षों के साथ संविदा के माध्यम से उनके प्रावधान हेतु सहायक स्वरूप राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका को न्यायसंगत ठहराते हैं।

### 3.2.2 कोम का सिद्धांत

कोम व्यक्ति की स्वायत्तता के मूल विचार से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं और अपने परिश्रम के फल पर व्यक्ति के नैतिक अधिकार की स्थापना करते हैं। इस स्वायत्तता में अपना अधिकार त्यागना या उसका आदान-प्रदान भी सम्मिलित है। कोई अधिकार-संहिता तभी वैध कहलाती है यदि वह किसी अन्य वैध अधिकार-संहिता के रूपांतरण से उद्भूत होती है (जहाँ रूपांतरण स्वयं किसी वैध प्रक्रिया के तहत हुआ हो)। वैधता या तो स्वैच्छिक सहमतियों (संविदाओं) से प्राप्त होती है या फिर सरकारी नियमों का पालन किए जाने की आवश्यकता होने से, वह पण्य क्षेत्र में अनायास ही पैदा नहीं हो जाती। परवर्ती अनेक कारणों से होता है, जैसे जानकारी का अभाव, सार्वजनिक रूप से प्रदत्त वस्तुओं की स्थिति में मुफ्तख़ोरी की समस्या पर नियंत्रण में कठिनाई, बाह्यताएँ तथा यह तथ्य कि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के साथ औपचारिक समझौता नहीं कर सकता जो उस समय मौजूद ही न हों। मूलतः, यह सभी कारक आदान-प्रदान की लागतों की विद्यमानता से जुड़े हैं। इससे राजनीतिक प्रक्रिया की भूमिका प्रासंगिक हो जाती है। दरअसल, यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जो उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करती है जो कोई भी प्रत्यक्ष निर्बंध लेन-देन हासिल नहीं कर सकता। 'उदारवादी सामाजिक संविदा' (कोम द्वारा प्रयुक्त) का अर्थ है – वैयक्तिक संविदाओं की शृंखला और उनमें अंतर्निहित सिद्धांत। कोम किसी 'उदारवादी सामाजिक संविदा' को इन शब्दों में परिभाषित करते हैं – एक 'संभव, स्वीकृत, निर्विवाद, उपलक्षित एवं वैध समझौता'। कोमा का सिद्धांत कुछ नई गहन जानकारियाँ देते हुए समानता, दक्षता और स्वतंत्रता के बीच अंतर्जात तनाव का ध्यान रखता है। कोम किसी भी 'स्वातंत्र्यवादी, अधिकार-आधारित प्राधार' में आय के पुनर्वितरण में सामाजिक एवं सांस्थानिक हस्तक्षेपों को सही

ठहराते हैं। कोम ने विकालांगजन अथवा निम्न-आय क्षमता वाले लोगों के लिए हस्तांतरण की एक व्यवस्था स्वरूप 'आधारभूत बीमा' का सिद्धांत सुझाया है। उन संविदाओं के क्रियान्वयन एवं कार्य-सिद्धि के लिए सरकारी हस्तक्षेप वांछित होती हैं, जो कि लेन-देन लागतों के न होने पर सहज ही दृष्टिगत होता है। दूसरे शब्दों में, अपूर्ण जानकारी एवं मँहगे लेन-देनों की दुनिया में सामाजिक संविदाओं की कार्य-सिद्धि हेतु एक सहायक स्वरूप राज्य की भूमिका न्यायसंगत है।

**बोध प्रश्न 1** (दिये गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में दें।)

1) कुछ ऐसे प्रकार की सार्वजनिक वस्तुओं, जिनका समाज-हित में भारी परिमाण में लोगों द्वारा उपभोग किया जाना आवश्यक हो, विनियमित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप क्यों ज़रूरी होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) बॅकनन सांस्थानिक समझौतों के माध्यम से समता सरोकारों को पूरा किए जाने का सुझाव किस प्रकार देते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'मानव विकास' और 'मानव संसाधन विकास' के बीच अंतर स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

4) कोम ने 'उदारवादी सामाजिक संविदा' पदबंध का क्या अर्थ व्यक्त किया है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 3.3 न्याय के सिद्धांत

व्यावहारिक दृष्टि से, आय-वितरण के संदर्भ में समता की व्याख्या न्याय के रूप में की जाती है। तथापि, यह आर्थिक न्याय का कोई उपयुक्त मापदंड नहीं है क्योंकि आय-भिन्नताओं को अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं से अलग नहीं किया जा सकता (कुशलताओं को उन्नत करने हेतु आवश्यकताओं एवं प्रयास के लिहाज से)। व्यक्तिगत पसंद एवं उपयोगिता बाज़ारों के आर्थिक सिद्धांत में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं (जहाँ बाज़ार ही आर्थिक विश्लेषण का आधार होता है)। यह भी कहा जाता है कि केवल उपयोगिता पर अर्थशास्त्रिक आग्रह भी न्याय की व्याख्या के लिए अपर्याप्त होता है।

### 3.3.1 रॉल्स का सिद्धांत

जॉन रॉल्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था रखते हैं। अपनी पुस्तक *(ए थ्योरी ऑफ जस्टिस)* के मूल में, रॉल्स न्याय की एक निष्पक्ष व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों की अच्छाई में निष्ठा दर्शाते हैं। वह एक ऐसी काल्पनिक दशा पर विचार करते हैं जिसमें जनसमूह एक न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था विकसित करने को एकत्र होता है। लिंग, प्रजाति, धन-संपत्ति एवं गुणों के आधार पर फैसले किसी भी सामाजिक व्यवस्था के भीतर व्यक्तियों के स्थापन की अनुचित रूप से तरफ़दारी कर सकते हैं अथवा उसे विकृत कर सकते हैं। रॉल्स के अनुसार, जीवन अवसरों का खेल है, जिसमें प्रकृति सामाजिक व्यवस्था में विषमता की ओर रूझान को दर्शाती है। चूँकि हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते, समाज में पक्षपात के स्वाभाविक वितरण का प्रभाव कम करने के लिए कोई सामाजिक व्यवस्था (जिसमें सामाजिक संस्थाएँ विद्यमान हों) होनी ही चाहिए। रॉल्स का मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म-जात भाग्य अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण लाभान्वित अथवा अलाभान्वित नहीं होना चाहिए। वह एक 'अज्ञान यवनिका' का सुझाव देते हैं ताकि उक्त जनसमूह बिना पूर्वाग्रह किसी भी सामाजिक संविदा में प्रवेश कर पाने में सफल हो सके।

रॉल्स का दावा है कि किसी भी समाज में हर व्यक्ति 'प्राथमिक वस्तुओं' की इच्छा रखता है। ये प्राथमिक वस्तुएँ सार्वजनिक वस्तुओं की भाँति होती हैं जो कि हर व्यक्ति द्वारा उपभोग की जानी चाहिए (उदाहरणार्थ, अधिकार, स्वाभाविक गुण, आय एवं धन-सम्पत्ति)। रॉल्स दो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं – (i) समान मूल स्वातन्त्र्य सिद्धांत, और (ii) सामाजिक एवं आर्थिक विषमता सिद्धांत। पूर्ववर्ती के अनुसार, हर व्यक्ति के पास समान मूल स्वातन्त्र्यों की एक पूर्णतः पर्याप्त योजना पर एक समान अधिकार है। परवर्ती को हासिल करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए, रॉल्स का सुझाव है कि समाजों को दो सिद्धांतों के आधार पर न्यायपूर्णता हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, यथा – (क) अवसर की समानता सिद्धांत, तथा (ख) अंतर सिद्धांत। प्रथम में अपेक्षित होता है कि अवसर की निष्पक्ष समानता की शर्तों के तहत नौकरियाँ व पद सभी के लिए खोलकर विषमताएँ या पक्षपात को दूर किया जाए। अंतर सिद्धांत में यह अपेक्षित होता है कि जब विषमताएँ किसी सामाजिक आवश्यकता की वजह से विद्यमान हों तो बनाए गए नियम समाज के 'अल्पतम लाभांवित' सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए हों।

उक्त पुस्तक (*ए थ्योरी ऑफ जस्टिस*) सरकार द्वारा स्कूलों के निधिकरण पर जोर देती है। रॉल्स संस्थाओं और लोकतंत्र को अमूर्त रूप में लेते हैं। वह सभी को उनकी उच्चतम अंतःशक्ति तक शिक्षित किए जाने के लिए संसाधन जुटाने को महत्त्व देते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी समाज में शिक्षा की गुणवत्ता उसके लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए नागरिक शिक्षा अत्यावश्यक है। कोई भी न्याय संगत संस्था हर व्यक्ति के महत्त्व और योगदान को पहचानती है। अतः, स्कूली शिक्षा प्राधार एवं नीति को लोकतांत्रिक ढंग से सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता होती है। निजी सम्पत्ति, भू-स्वामित्व अधिकार समेत, उन अधिकारों में एक है जिनकी रॉल्स अनुमति देते हैं। भू-स्वामित्व अधिकार में

अनधिकार प्रवेश करने वालों को वर्जित करने का अधिकार शामिल है। यह, बदले में, स्वतंत्र आवागमन के अधिकार से विरोध दर्शाता है। अतः, 'अधिकारों में भिन्नताओं की सापेक्ष वरीयताओं' को सुव्यवस्थित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुमति देने हेतु आवश्यक शर्तें लागू करके उसी स्थान पर जहाँ लोग रह रहे हैं, मुद्दों को सुलझा दिया जाना चाहिए। रॉल्स का वितरणात्मक निकष, समाज में विपन्नतम व्यक्ति के क्षेम को अधिकतम किए जाने पर अभिलक्षित है। रॉल्स के अनुसार, यही वह न्यायसंगत और नीति-संगत विकल्प भी होगा जिसे सभी मूल स्थिति में चुनेंगे। सामूहिक इच्छा पर आधारित, पुनर्वितरणात्मक क्रियाकलाप, इसी परिणाम की ओर दिशा-निर्देशित होना चाहिए।

### 3.3.2 नॉज़िक का सिद्धांत

नॉजिक़ (एक स्वातन्त्र्यवादी) का तर्क है कि 'न्यायसंगत परिणाम' वे होते हैं जो वस्तुओं के न्यायसंगत अधिग्रहण एवं विनिमय की शर्तें पूरी करते हुए, व्यक्तियों की विभिन्न कार्रवाइयों से प्राप्त किए जाते हैं। न्याय के लिए किसी विशिष्ट वितरणात्मक प्रतिमान की आवश्यकता नहीं होती ('अंतर सिद्धांत' से भिन्न, जहाँ वस्तुओं के वितरण का एक ऐसा प्रतिमान अपेक्षित होता है जो अल्पतम सम्पन्न लोगों को लाभ पहुँचाएं)। नॉज़िक 'अधिकारिता सिद्धांत' प्रस्तुत करते हैं जिसमें लोगों की वर्तमान उपलब्धियाँ न्यायसंगत रूप से अर्जित होती हैं, और केवल अंतरण सिद्धांत यह तय करता है कि उत्तरवर्ती वितरण न्यायसंगत हैं या नहीं। किसी व्यक्ति की अधिकारिता पूर्व स्वामियों की अधिकारिता की वैधता पर निर्भर होती है, और उनकी अधिकारिता उनके पूर्व स्वामियों की अधिकारिता की वैधता पर, इत्यादि। उनका कहना है कि राजनीतिक दार्शनिक सदा यह मान लेने को प्रवृत्त रहे हैं कि – (i) न्याय समानता की दिशा में धन-सम्पत्ति के व्यापक पुनर्वितरण की माँग करता है, और यह भी कि (i) राज्य का यह एक वैधानिक प्रकार्य है कि उक्त पुनर्वितरण पुरोगामी कराधान जैसे माध्यमों से लाया जाए। नॉज़िक का तर्क है कि इन अवधारणाओं को मान लिए जाने की बजाय इन पर बहस किए जाने की आवश्यकता है।

'*ऐनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया*' अर्थात् 'अराजकता, राज्य और राम-राज्य' विषयक नॉज़िक के शोध-प्रबंध में तीन भाग हैं। प्रथम भाग यह दर्शाने का प्रयास करता है है कि कोई भी 'अल्प राज्य' (अपने नागरिकों की बल और छल से रक्षा करने तक सीमित) किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किए बिना वैधतापूर्वक उदय हो सकता है। दूसरे भाग में, नॉज़िक का दृढ़ कथन है कि 'अल्पराज्य' सर्वाधिक व्यापक राज्य भी होता है जो कि न्यायसंगत ठहराया जा सकता है और यह भी कि इससे ज़रा भी अधिक व्यापक राज्य लोगों के अधिकारों का हनन करता है। तीसरे भाग में, वह निश्चयपूर्वक कहते हैं कि 'अल्प राज्य' ही वह आदर्श राज्य है जिसके लिए संघर्ष किया जाना यथेष्ट है। नॉज़िक के अनुसार, लोग अपनी उत्तराधिकार में प्राप्त परिसम्पत्तियों के अधिकारी हैं, भले ही, वे उसके पात्र हों या न हों। जहाँ तक जन्मजात योग्यताओं या क्षमताओं का सवाल है, लोग स्वयं इन शक्तियों से सम्पन्न होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करते। किसी भी चित्रकार को स्वयं द्वारा बनाई गई किसी पेंटिंग को रखने का अधिकार है, बेशक उसकी कलात्मक प्रतिभा उसे विरासत में प्राप्त हुई हो और उसकी पात्रता हासिल करने के लिए उसने कुछ न किया हो। यदि लोगों की वर्तमान उपलब्धियाँ न्यायसंगत रूप से अर्जित हों तो 'अंतरण सिद्धांत' मात्र ही यह फैसला करता है कि अनुवर्ती वितरण न्यायसंगत हैं अथवा नहीं। नॉज़िक का तर्क है कि किसी का भी यह दायित्व नहीं है कि वह स्वयं से विपन्नतर लोगों की मदद करें। बहरहाल, अमीर की ओर से गरीब को दिए जाने वाले स्वैच्छिक दान के विरुद्ध उसके पास कुछ नहीं है।

नॉज़िक का (*'थ्योरी ऑफ जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूशन'* ) 'वितरण में न्याय का सिद्धांत' राज्य के शून्य पुनर्वितरणीय क्रियाकलाप की वकालत करता है। नॉज़िक की किसी व्यक्ति संबंधी संकल्पना रॉल्स की किसी व्यक्ति संबंधी संकल्पना से भिन्न है, जो यह

कहते हैं कि लोगों की योग्यताएँ उनकी अपनी सम्पत्ति नहीं होती। नॉज़िक का तर्क है कि यदि मैं स्वयं का स्वामी हूँ तो मैं अपनी योग्यताओं का भी स्वामी हूँ और यदि मैं स्वयं की योग्यताओं का स्वामी हूँ तो मैं अपने स्वामित्व वाली योग्यताओं के उत्पादों का भी स्वामी हूँ। 'स्वयं पर स्वामित्व' संबंधी अवधारणा इस बात में एक आत्मवाचक महत्त्व दर्शाती है कि एक स्वयं पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति के रूप में मेरे पास अपनी सम्पत्ति पर निर्बाध अधिकार हैं। पुनर्वितरणात्मक कराधान, प्रतिभा सम्पन्न वर्ग से लेकर अलाभान्वित वर्ग तक, स्वयं पर स्वामित्व का दो तरीकों से उल्लंघन करता है। प्रथम, वे दशाएँ जिनके तहत मेरी योग्यताओं (और उनके उत्पादों) का प्रयोग संसाधनों के एक न्यायसंगत नियतन की ओर अग्रसर करेगा, न्याय के तीन सिद्धांतों द्वारा निर्दिष्ट होता है, यथा – प्रारंभिक अधिग्रहण का सिद्धांत, अंतरण का सिद्धांत और समंजन का सिद्धांत। तद्नुसार, यदि हम न्याय के रॉल्सवादी सिद्धांत पर अडिग रहें (कि प्रतिभा संपन्न लोग अपनी योग्यताओं से तभी लाभान्वित हो सकते हैं जब वह अलाभान्वित वर्ग को भी लाभ पहुँचता हो, यथा– अंतर सिद्धांत का पालन करके) तो नॉज़िक के अनुसार, यह लोगों के साथ एकसमान व्यवहार किए जाने की विफलता दर्शाएगा, क्योंकि अलाभान्वित वर्ग को अन्य लोगों पर आंशिक स्वामित्व प्रदान कर देगा। दूसरे, 'स्वयं पर स्वामित्व' एवं स्वामित्व अधिकार किसी व्यक्ति को इस बात में सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं कि वह भलाई के प्रति अपनी धारणा कायम रख सके और स्वयं-निर्धारित जीवन की राह पर चल सके। उसका स्वामित्व छीनकर हम उसके विकल्प घटा रहे हैं और उसकी संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। इससे उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है और इसी कारण यह नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण हैं।

**बोध प्रश्न 2** (दिये गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में दें।)

1) 'प्राथमिक वस्तुओं' को रॉल्स किस प्रकार परिभाषित करते हैं? समाज में 'सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएँ' घटाने के लिए उनका क्या सुझाव है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) वे पहलू बताइए जिन पर रॉल्स समाज में निष्पक्षता और समता संबंधी मुद्दों को निबटाए जाने के लिए विशेष ज़ोर देते हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

3) नॉज़िक के 'अधिकारिता सिद्धांत' के पीछे मुख्य तर्क क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 3.4 समता

समता का अर्थ है – 'न्याय और निष्पक्षता'। ये दो आयाम कराधान विषयक लगभग सभी लेख, पुस्तकों आदि में प्रायः देखे जाते हैं। 'क्षैतिज समता सिद्धांत' के अनुसार, एक समान परिस्थितियों में लोगों के साथ एकसमान ही व्यवहार किया जाना चाहिए। परंतु 'अनुलंब समता सिद्धांत' के अनुसार, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में अवस्थित लोगों के साथ भिन्न-भिन्न रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। असदृश अर्थात् भिन्न परिस्थितियों को पहचानना सरल होता है और सदृश्य अर्थात् एकसमान परिस्थितियों को सिद्ध कर पाना कठिन। उदाहरण के लिए, कोई दो व्यक्ति एकसमान आय अर्जित करने वाले हो सकते हैं परंतु उनके पास भिन्न-भिन्न अक्षयनिधियाँ हो सकती हैं अथवा उनके समक्ष भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यय दायित्व हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, समता का सिद्धांत लागू कर समानता मापने का कोई भी निकष तय करना (यथा, न्याय और निष्पक्षता संबंधी सर्वसम मानदंड अपनाना) कठिन होता है।

तर्कसंगत रूप से, एक ऐसी कर प्रणाली, जो भिन्न-भिन्न आय-वर्ग के लोगों पर भिन्न-भिन्न कर भार निर्दिष्ट करती हो, को एक समान आय वाले लोगों पर एक समान कर भी निर्दिष्ट करना चाहिए। इस दृष्टि से, कराधान में समकक्षों के साथ एक साथ व्यवहार अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। बल्कि यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक साधन मात्र है कि कर भार इस प्रकार वितरित हों कि वह अनुलंबता से साम्यिक अर्थात् न्यायोचित हो। कराधान में 'हितलाभ' के सिद्धांतानुसार, कर भार उन हितलाभों के अनुसार निर्दिष्टि किया जाए जो करदाता सरकार द्वारा आपूर्तित वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त करते हों। यदि हम यह मानकर चलें कि सरकारी खर्च से करदाता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले हितलाभ उसके आय-स्तरों के अनुसार होते हैं तो यह इस बात का उदाहरण हो सकता है कि एकसमान आय वाले करदाता कर की एकसमान ही राशि चुकाएँगे। परंतु, चूँकि अनुलंब समता में अपेक्षित है कि भिन्न-भिन्न आय-वर्ग के करदाता भिन्न-भिन्न कर राशि चुकाएँ, इस बात पर निर्भर करते हुए कि हितलाभ आय के अनुसार भिन्नता दर्शाते हैं, तो यहाँ यह अपेक्षित होगा कि कर भार का हितलाभ प्रतिगामी रूप से अथवा समानुपातिक रूप से अथवा पुरोगामी रूप से वितरित किया जाए (इस बात पर निर्भर करते हुए कि सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं से हितलाभ समानुपातिक रूप से कम हुए अथवा समान अनुपात में हुए अथवा समानुपातिक रूप से अधिक होते हैं)। 'देय-क्षमता' सिद्धांत के तहत, एकसमान आय-वर्ग के लोगों को एक समान देय-क्षमता रखने वालों के रूप में ही जाना जाता है और इस प्रकार उन्हें करों में एकसमान राशि ही चुकानी चाहिए।

क्षैतिज समता सिद्धांत अपनाए जाते समय अनेक संकल्पनात्मक मुद्दे ध्यान में रखे जाने चाहिए। एकसमान के रूप में समूहकृत किए जाने वाले करदाताओं के लिए कौन-सा मापदंड अपनाया जाता है, यह उक्त संदर्भ में महत्त्वपूर्ण होगा। सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त मानदंड है – भली-भाँति परिमित वार्षिक आय। करारोपित आय अथवा उपभोग क्षैतिज समता से संगत है अथवा नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि आय की कौन-सी परिभाषा आप प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, दो करदाताओं A और B के मामले में विचार करें, जहाँ दोनों दो समयावधियों तक रहेंगे। पहली अवधि में, दोनों करदाता कार्यशील हैं और रु. 100,000 अर्जित करते हैं तथा दूसरी अवधि में, वे सेवानिवृत्ति कर लेते हैं। माना कि करदाता-A रु. 40,000 बचाता है और यह राशि 10 प्रतिशत के ब्याज पर निवेश कर देता है, जबकि करदाता-B केवल रु. 20,000 बचाता है और वह भी 10 प्रतिशत के ब्याज पर निवेश कर देता है। यदि वार्षिक आय को हम मानक के रूप में लें तो A और B को पहली अवधि में एकसमान आय (रु. 100,000) धारक के रूप में देखा जाएगा, परंतु, दूसरी अवधि में, A की आय B की आय की तुलना में अधिक होगी (B के मात्र रु 2000 की तुलना में रु. 4000)। क्षैतिज एवं अनुलंब समता का सिद्धांत अपनाने पर अपेक्षित होगा कि A और B पहली अवधि में एकसमान कर चुकाएँ और

दूसरी अवधि में A व्यक्ति B की अपेक्षा अधिक कर चुकाए। तद्नुसार, इस उदाहरण में, कर-योग्य आय क्षैतिज समता के मानक को पूरा करती है, कर-योग्य उपभोग ऐसा नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि पहली अवधि में, A अपेक्षाकृत कम कर भुगतान करेगा, उनकी आय भले ही एकसमान है (क्योंकि इस अवधि में A कम उपभोग करता है)। यदि जीवनकाल आय को मापदंड मान लिया जाए तो उपभोग पर आधारित करारोपण क्षैतिज समता हासिल कर लेता है, जबकि कर-योग्य आय उन लोगों पर कहीं अधिक भारी बोझ डालती है जिनकी जीवनकाल आय दूसरों के बराबर ही होती है परंतु वे बचत के माध्यम से अपने जीवनकालिक उपभोग का अधिक हिस्सा बचत के माध्यम से आगामी वर्षों तक अंतरित कर देते हैं। क्षैतिक समता का मानक उस समय सीमित अनुप्रयोज्यता दर्शाता है जब बाह्य लागतों की विद्यमानता में कर वसूले जाते हैं। उदाहरण के लिए, स्मोकर्स अर्थात् धूमनशेड़ियों और गैर-धूमनशेड़ियों को भिन्न-भिन्न कर भार वहन करना होगा, बेशक उनकी आय-राशियाँ एक समान हों, क्योंकि तंबाकू पर कर धूमनशेड़ियों को धूम्रपान की बाह्य लागतें वहन करने को बाध्य करने पर अभिप्रेत होते हैं।

## 3.5 व्यवहारात्मक लोक अर्थशास्त्र

सार्वजनिक नीतियों के विश्लेषण एवं अभिकल्पन में, व्यवहारात्मक लोक अर्थशास्त्र' (BPE) द्वारा मनोविज्ञान और तंत्रिका-विज्ञान से ली गई अवधारणाओं का समावेश देखा जाता है। लोक अर्थशास्त्र विश्लेषण मानवीय निर्णयन संबंधी प्रतिमानों के निरूपण की ओर अग्रसर करता है। इसके दो घटक होते हैं– एक 'चयन' का वर्णन करने वाला और दूसरा 'क्षेम' का वर्णन करने वाला। प्रथम घटक का प्रयोग कर, कीमतों एवं आवंटनों के लिहाज से व्यक्तियों पर नीतिगत सुधारों के प्रभाव का पूर्वानुमान किया जाता है। दूसरे घटक का प्रयोग कर, यह निर्धारित किया जाता है कि उक्त परिवर्तन लाभदायक है अथवा हानिकर (यथा, उपयोगिता बढ़ाते हैं अथवा घटाते हैं)।

नवशास्त्रीय (नवक्लासिकी) दृष्टिकोण यह मानकर चलता है कि व्यक्ति विशेष के चयनों की व्याख्या साध्यता एवं सूचनापरक संरोधों के अधीन किसी सुस्पष्ट एवं स्थिर उपयोगिता फलन के अधिकतमीकरण द्वारा की जा सकती है। यह इस आधार वाक्य को लेकर चलता है कि नीतियों का मूल्यांकन किए जाते समय, सरकार को व्यक्ति के अधिमानी विकल्पों पर संबद्ध परिस्थितियों में प्रेक्षित निर्णयों से वाग्विस्तार करते हुए, उसके परोक्षी के रूप में काम करना चाहिए। यह आधार-वाक्य क्षेम के परिमापन हेतु उपयोगिता फलन के प्रयोग को उचित ठहराता है। प्रभावतः, यह दृष्टिकोण सकारात्मक और गुणात्मक दोनों विश्लेषणों के लिए एक ही प्रतिमान प्रयोग करता है। नवशास्त्रीय दृष्टांत में, सरकारी नीति व्यवहार एवं क्षेम को तभी प्रभावित कर सकती है जब वह निर्णयकर्ता की जानकारी अथवा बजट संरोध को बदल डाले। उदाहरण के लिए, टीकाकरण अभियान किसी बीमारी के जोखिमों और रक्षात्मक कार्रवाई के लाभों से संबंधित जानकारी प्रदान करके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि सिगरेट पर कर धूम्रपान की लागत को बढ़ाकर विकल्पों में फेर-बदल कर सकता है।

नवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से, निजी बाज़ारों में सरकारी हस्तक्षेप संपदा अधिकार लागू करने, बाज़ार विफलताओं से निबटने व संसाधनों को पुनर्वितरित कर पक्षपात दूर करने हेतु न्यायसंगत है। बाज़ार विफलताओं द्वारा प्रेरित हस्तक्षेपों के मानक उदाहरणों में बाह्यताएँ दूर करने हेतु करों एवं अर्थ-साहाय्यों का प्रयोग, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान तथा निजी जोखिम साझेदारी के निष्प्रभावी रहने पर सामाजिक बीमा की पुनर्स्थापना शामिल हैं। इष्टतम आय कराधान एवं सुधारात्मक पर्यावरण नीति संबंधी सिद्धांतों के रूप में नवशास्त्रीय लोक अर्थशास्त्र की उपलब्धियाँ विचारणीय हैं। बहरहाल, एक वर्धमान सरोकार यह है कि यह दृष्टांत उन महत्त्वपूर्ण लोक-नीति चुनौतियों का यथेष्ट रूप से सामना नहीं करता। उदाहरण के लिए, धन-संपत्ति के दुरुपयोग अथवा सेवानिवृत्ति हेतु 'अत्यल्प' बचाने वाले लोगों के अल्पदृष्टिक विकल्प जैसे आत्मघाती व्यवहारों के लिए

क्या कहा जाए? चूँकि नवशास्त्रीय क्षेम निकष स्वैच्छिक उपभोक्ता विकल्पों (उपभोक्ताओं का उपलब्ध सूचना के शर्ताधीन) का सम्मान करता है, वह 'निकृष्ट' विकल्पों को सुधार कर (सिवाय सूचना के प्रावधान के माध्यम से) क्षेम-वृद्धि की संभावना को नियम विरुद्ध घोषित करता है।

### 3.5.1 बाज़ार परिणामों की सीमाएँ

अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है जो इस बात की जाँच करता है कि लोग किस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग करते हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांश अर्थशास्त्र मानव व्यवहार पर निर्भर है, जो कि किंचित् अयुक्त और अपूर्वानुमेय हो सकता है। इसी वजह से, यह ऐसी कुछ विशिष्ट अंतर्जात सीमाओं वाला विज्ञान है जो बाज़ार के निष्पादन संबंधी सटीक पूर्वानुमान को अंतर्निहित रूप से यह ज्ञात करने से रोकती हैं कि नीतियाँ किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों एवं अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा, अर्थशास्त्र का क्षेत्र गैर-पुनरावृत्यता की समस्या से ग्रस्त रहा है। समरूप परिस्थितियों के तहत अतीत में बाज़ारों का व्यवहार कैसा रहा– इस बात के आधार पर किसी परिणाम का पूर्वानुमान करने हेतु बाज़ार दशाओं को ठीक-ठीक फिर से उत्पन्न करना असंभव ही है। अनुल्लंघनीय विज्ञानशास्त्रों (जहाँ अनुसंधानकर्ता कुछ चरों को वियुक्त करने अथवा कारण एवं प्रभाव के बीच प्रत्यक्ष संबंध को सोच-समझ पाने में सक्षम होते हैं) से भिन्न, अर्थशास्त्र में किसी भी, अर्थात्, परिवर्ती को पूर्णतः वियुक्त करने का कोई तरीका नहीं है। बाज़ार बेहद विस्तृत और अंतर्ग्रथित होते हैं। वस्तुतः, यहाँ इतने सारे चर शामिल होते हैं कि उन सभी कारकों को पहचानना असंभव होता है जो सक्रिय हों।

मुक्त बाज़ार का नैतिक दावा इस अंतर्संबद्ध आधार वाक्य पर आधारित होता है कि बाज़ार स्वातन्त्र्य, न्याय एवं दक्षता को अधिकतम करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन का यह कथन काफी प्रसिद्ध है कि किसी भी बाज़ार अर्थव्यवस्था में व्यक्ति अपनी वैयक्तिक आय एवं धन-संपत्ति के उभयांत चयन करने को स्वतंत्र होते हैं। बहरहाल, आय तथा निर्धनता के चरम स्तर इस दावे का उपहास करते हैं कि बाज़ार मानव स्वतंत्रता के प्रतीक हैं (उदाहरणार्थ, किसी गरीब आदमी को अपर्याप्त आय की तुच्छ आज़ादी ही तो होती है)। बाज़ार-निर्धारित आय के संरोधों का, बहरहाल, उसके दूसरे दावे द्वारा समर्थन किया जाता है, यथा– बाज़ार द्वारा प्रदत्त क्रयशक्ति आर्थिक रूप से न्यायसंगत होती है। उक्त दोनों आधार वाक्यों को जोड़कर एक तीसरा दावा यह सामने आता है कि बाज़ार मोटे तौर पर दक्ष होते हैं। माँग और आपूर्ति द्वारा तय कीमतें यह दर्शाती हैं कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं की कद्र करती है। निवेश का परिणामी नियतन इस अर्थ में दक्ष होता है कि बाज़ार शक्तियों द्वारा अधिदिष्ट कोई भी वैकल्पिक नियतन कुल उत्पादन घटाएगा ही। विनियमन, इसीलिए, परस्पर अनुकूल होता है और उपभोक्ताओं को बेहतर जानकारी प्रदान कर और अवसरवादी उत्पादनकर्ताओं की अधिक लाभ अर्जित करने हेतु संभावना को सीमित कर दक्षता बढ़ा सकता है।

### 3.5.2 परिबद्ध विवेकशीलता एवं अभिव्यक्त अधिमान

परिस्थितियों (अथवा परिवेश) के प्रति विवेकशील प्रत्युत्तर आमतौर पर निर्णयन को अभिलक्षित करते हैं, परंतु महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर, विवेकशीलता अर्थात् बुद्धि-संपन्नता विफल हो जाती है। परिणामतः, निर्णयन् परिवेश और निर्णयकर्ताओं के विकल्पों के बीच विसंगति दिखाई पड़ती है। इस विसंगति को 'परिबद्ध विवेकशीलता कहा जाता है (सायमन, 1996)। इस संकल्पना का एक महत्त्वपूर्ण निहितार्थ है। संरचित परिस्थितियों में, हम किसी भी निर्णय को दो घटक के रूप में देख सकते हैं, यथा– परिवेशी प्रोत्साहन तथा किसी निर्णयन प्रसंग में उसकी अनुकूलनशीलता विषयक अधिकतम सीमा। आदर्शतः, विवेकशील विकल्प पर आधारित कोई भी विश्लेषण यह निर्दिष्ट करने में सक्षम होना चाहिए कि परिवेशी प्रोत्साहन क्या हैं और वह उन प्रोत्साहनों पर आधारित निर्णय का ही पूर्वानुमान करें। बहरहाल, जो स्पष्ट नहीं किया जा सकता, वही

दृष्टिगत होने वाली यादृच्छिक त्रुटि होगी अथवा परिबद्ध विवेकशीलता। मानक सांख्यिकीय तकनीकें हमें किसी निर्णय के विवेकशील अनुकूलक अंश को विवेकशीलता की सीमा से पृथक रूप से दर्शाने में सहायक होती है।

व्यवहारात्मक संगठन सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, सर्वेक्षण अनुसंधान और प्रयोगात्मक अर्थशास्त्र से प्राप्त निष्कर्ष मानव व्यवहार के किसी व्याख्यात्मक प्रतिमान स्वरूप विवेकशील चयन की विफलताओं विषयक कोई भी संदेह नहीं रहने देते। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग व उनके चयन पूरी तरह अयुक्त होते हैं। परिबद्ध विवेकशीलता के अनुसार, निर्णयकर्ता अभिप्रेत विवेकशील जन होते हैं, यथा– वे लक्ष्योन्मुखी और अनुकूली होते हैं परंतु मानवीय संज्ञानात्मक एवं भावात्मक स्थापत्य शैली की वजह से, वे कभी-कभी महत्त्वपूर्ण निर्णयों में विफल रहते हैं। विवेकशील अनुकूलनशीलता पर सीमाएँ दो प्रकार की होती हैं – 'कार्यविधिक सीमाएँ', जो यह सीमाबद्ध करती हैं कि हम कहाँ तक निर्णय लेते हैं, ओर 'यथेष्ट सीमाएँ' जो विशिष्ट चयनों को सीधे प्रभावित करती हैं। विवेकशील विश्लेषण, सांस्थानिक संदर्भ में, अनुकूली, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार (यथा, विवेकशील कार्रवाई) हेतु एक मानक के रूप में काम कर सकता है। तब व्यवहार द्वारा, जो कि सीमाओं को संसाधित करने का ही एक परिणाम होगा, हम विचलन को माप सकेंगे। विचलन की विस्तृति, तद्नुसार, एक आनुभविक विषय बन जाता है। ये परस्पर अनन्य और सर्वसमावेशी होते हैं जो कि केवल उन दशाओं में जाँचे जा सकते हैं जब अभिकर्ता बारंबार एक से ही विकल्प चुनते हों।

अभिव्यक्त अधिमान सिद्धांत (प्रोफेसर पी.ए.सैम्युल्सन का योगदान) बुद्धिसम्पन्न उपभोक्ता को उसके अपरिवर्तनीय चयन के आधार पर परिभाषित करता है। यहाँ, किसी भी बुद्धिसम्पन्न व्यक्ति की 'प्रकटित अधिमान संगति' का मूल्यांकन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि वह अपने व्यवहार में किस सीमा तक संगति दर्शाता है, विशेषकर विभिन्न परिस्थितियों में अपने चयन प्रतिमानों में। क्षेमवाद की समालोचना दो शीर्षकों के अंतर्गत समेटी जा सकती है – एक, उपयोगिता संबंधी संकल्पना की कोई नैतिकतापूर्वक उचित व्याख्या तलाश करना आसान नहीं है; दूसरे, कोई भी क्षेमवादी दृष्टिकोण उन सभी सरोकारों का प्रग्रहण नहीं कर सकता जो न्याय निर्णयों हेतु प्रासंगिक हों। प्रथम समालोचना उपयोगिता की परंपरागत आर्थिक व्याख्या से व्युत्पन्न है। आर्थिक विश्लेषण अधिमानों का संबंध चयन से यह तर्क देते हुए जोड़ता है कि चयन उपयोगिता अधिकतमीकरण पर आधारित होता है और इस प्रकार अधिमान चयन व्यवहार द्वारा 'अभिव्यक्त' होते हैं। इस अवधारणा का समर्थन कि चयन उपयोगिता के अधिकतमीकरण को दर्शाते हैं, उपयोगिता की व्याख्या 'संगत अधिमानों के प्रतिनिधित्व' स्वरूप करके किया जाता है। अधिमानों का निर्देशक व्यवहार सामाजिक एवं ऐतिहासिक प्रभावों द्वारा गढ़ा जाता है। अतएव, वास्तविक निर्णय अधिमान के सिवा अन्य विचाराधाराओं से भी प्रभावित होते हैं (जैसे– सामाजिक दबाव एवं नैतिक मापदंड)। उपयोगिता और व्यवहार के बीच संबंध, व्यावहारिक आर्थिक कार्य हेतु अतिमहत्त्वपूर्ण होते हुए भी, न्याय संबंधी किसी क्षेमवादी संकल्पना को अंगीकार करने के लिए आवश्यक नहीं होता।

**बोध प्रश्न 3** (दिये गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में दें।)

1) कराधान विषयक नीति में 'न्याय और निष्पक्षता' किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है?

.....

.....

.....

.....

2) 'हितलाभ का सिद्धांत' और 'देय-योग्यता का सिद्धांत' संबंधी संकल्पनाओं के बीच अंतर स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'व्यावहारिक लोक अर्थशास्त्र' की सीमाबद्धता से आप समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

4) 'बाज़ार परिणामों' पर निर्भरता किस लिहाज से परिस्थितियों से निबटने में सीमाकारी है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 3.6 सार-संक्षेप

इस इकाई में अधिकतम सामाजिक क्षेम की उपलब्धि हेतु राज्य की भूमिका को परिभाषित किया गया। यह ज्ञात होने पर कि उच्चतम सामाजिक क्षेम का निहितार्थ अनिवार्यतः सामाजिक क्षेम नहीं होता है, राज्य की भूमिका को बॅकनन एवं कोम द्वारा दिए गए अनेक नियामक सिद्धांतों के माध्यम से पुनर्परिभाषित किया गया। 'समता' संबंधी संकल्पना का विश्लेषण रॉल्स एवं नॉज़िक द्वारा प्रतिपादित न्याय-सिद्धांतों द्वारा किया गया जबकि 'निष्पक्षता' का विश्लेषण 'क्षैतिज एवं अनुलंब समता' संबंधी संकल्पनाओं के अनुसार किया गया। उक्त सभी पहलुओं पर विचार करने के अलावा, इस इकाई में 'परिबद्ध विवेकशीलता' एवं 'अभिव्यक्त अधिमान' संबंधी संकल्पनाओं के साथ-साथ 'मानवीय सीमाबद्धता' एवं 'बाज़ार परिणामों' के लिहाज से 'व्यवहारात्मक लोक अर्थशास्त्र' के तत्वों से भी परिचय कराया गया।

## 3.7 शब्दावली

**प्राथमिक वस्तुएँ** : अधिकारों स्वाभाविक गुणों, आय एवं धन-संपत्ति के संदर्भ में रॉल्स द्वारा प्रयुक्त पदबंध।

**मूल स्थिति** : समाज में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या विपक्ष में बिना किसी पूर्वाग्रह के नीति-निर्माण की दशा के संदर्भ में रॉल्स द्वारा प्रयुक्त पदबंध।

**परिबद्ध विवेकशीलता** : निर्णयन् परिवेश और निर्णयकर्ताओं के चयनों के बीच बेमेलता।

**प्रकरित अधिमान सिद्धांत** : सैम्युल्सन द्वारा प्रतिपादित वह सिद्धांत जो बुद्धिसंपन्न उपभोक्ता को उसके अनुकूल चयनों के आधार पर परिभाषित करता है।

**पुरोगामी कर दर** : आय में वृद्धि के अनुपात से कहीं अधिक कर दर में वृद्धि।

## 3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) John Rawls (1971). *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press.

2) R Nozic (1974). *Anarchy, State and Utopia*, New York: Basic Book Inc.

3) Richard A. Musgrave (1982). *The Theory of Public Finance* International Student Edition.

## 3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

**बोध प्रश्न 1**

1) परिवहन जैसी कुछ सार्वजनिक वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण औसत लागत पर किया जाना अपेक्षित होता है। इस कारण से, (AC – MC) के समान लागत साझाा करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है ताकि निजी फर्में उत्पादन करना लाभदायक पाएं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी विशेष गुण-वस्तुओं के मामले में, सामाजिक-आर्थिक कारणों से, अल्प-उपभोग हो सकता है। इनकी सकारात्मक बाह्यताओं के कारण, सरकारी हस्तक्षेप इसलिए आवश्यक होता है कि ऐसी विशेष गुण-वस्तुओं का लोग अधिकाधिक उपभोग करें।

2) अंतर्पीढ़ीय वित्तीय अंतरणों का कराधान, सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित शिक्षा-व्यवस्था तथा रोज़गार अवसरों के नियतन में भेदभाव का परिहार करने हेतु नियम तय करना।

3) पूर्ववर्ती का अर्थ शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास होता है। परवर्ती में, समाज में विषमता कम कराने हेतु विशिष्ट प्रयास शामिल होते हैं।

4) इसका अर्थ है – वैयक्तिक संविदाओं के समुच्चय तथा वे सिद्धांत जिनको लेकर वे समाज में प्रवेश पाती हैं। 'उदारवादी' शब्द में वे संविदाएँ भी शामिल होती हैं जो अनौपचारिक रूप से सामने आती हैं।

**बोध प्रश्न 2**

1) 'प्राथमिक वस्तुओं' को 'सार्वजनिक वस्तुओं' के समतुल्य मानकर, जिनका लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके लिए, रॉल्स 'अधिकारों, स्वाभाविक गुण, आय एवं धन-संपत्ति' के उदाहरण देते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएँ घटाने के लिए, वह संघर्ष किए जाने हेतु दो सिद्धांत सुझाते हैं, यथा– अवसरों की समानता का सिद्धांत तथा अंतर सिद्धांत। परवर्ती का अर्थ है कि जहाँ विषमताएँ हों, नियम इस प्रकार बनाए जाएँ कि वे समाज में अल्पतम लाभान्वित को लाभ पहुँचाएं।

2) सरकार द्वारा स्कूलों का निधिकरण, निजी संपत्ति अधिकार तथा समाज के निर्धनतम सदस्यों का क्षेम अधिकतम करने के लिए सरकार का वितरणात्मक निकष।

3) यह कि लोगों की वर्तमान निधियाँ सभी चरणों में यथावत् अपनाए गए अंतरण सिद्धांत के साथ न्यायपूर्वक अर्जित हों। उनका कहना है कि लोग अपनी विरासत में प्राप्त परिसम्पत्तियों के हकदार हो जाते हैं भले ही वे उनके पात्र हों या न हों।

**बोध प्रश्न 3**

1) अनुलंब समता का सिद्धांत अपनाकर, यथा– कर भार पर हितलाभ प्रतिगामी रूप से अथवा समानुपातिक रूप से अथवा पुरोगामी रूप से वितरित करके।

2) हितलाभ के सिद्धांत में यह अपेक्षित होता है कि कर भार करदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाए। देय-योग्यता का सिद्धांत केवल आय को ही ध्यान में रखता है, कुछ और नहीं।

3) व्यावहारिक लोक अर्थशास्त्र सर्व-निर्देशक सिद्धांतों के रूप में 'चयनों' एवं 'क्षेम' संबंधी दोहरे पहलुओं पर विचार करता है। ऐसा करने में वह 'धन-संपत्ति के दुरुपयोग' अथवा 'अविवेकी व्यय' की स्थितियों से निबटने में विफल रहता है।

4) यह इस तथ्य से ग्रस्त रहता है कि बाज़ार दशाएँ दोहराई नहीं जा सकतीं। इससे विगत परिस्थितियों के आधार पर बाज़ार परिणामों का पूर्वानुमान करने में बाधा आती है।

:

58 blank